

सूचना विवरणिका
2020-2021



लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
अशोक विहार III, नई दिल्ली-110052

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्राचार्या का संदेश	4-5
2.	विजन और मिशन	6
3.	घोषणा	7
4.	कोविड-19	8
5.	कोविड -19 अवधि के दौरान लक्ष्मीबाई कॉलेज में महत्वपूर्ण वेबिनार	10
6.	संचालक समूह जुलाई 2020	11
7.	महाविद्यालय की रूपरेखा	12-13
8.	संकाय उपलब्धि	14-15
9.	अकादमिक कैलेंडर	16-17
10.	प्रशासन	18
11.	प्रवेश समितियां (2020-21)	18-19
12.	विभाग प्रभारियों की सूची	20
13.	पाठ्यक्रमों की उपलब्धता	21
14.	उपलब्ध पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों की कुल सीटें 2020-21	22
15.	खेल कोटे के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए लक्ष्मीबाई कॉलेज की सीट मैट्रिक्स	23-28
16.	2020-21 के प्रवेश के लिए बीए प्रोग्राम में अनुशासन पाठ्यक्रमों के लिए संयोजन	29-30
17.	चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस)	30
18.	शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभिन्न अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के प्रवेश दिशानिर्देश और अनुसूची	30-88

19.	वर्ष 2019-20 के लिए कट ऑफ सूची	89-91
20.	प्रवेश के बाद की प्रक्रिया	92-93
21.	सुविधायें	94-101
22.	वित्तीय सहायता	101-102
23.	शैक्षणिक आवश्यकताएं	102
24.	आंतरिक बीमा योजना	102-104
25.	सह पाठ्यक्रम गतिविधियां	105-121
26.	पुरस्कार	121-124
27.	वार्षिक शुल्क 2020-21 का विवरण	125-126
28.	कॉलेज परिसर के नियम - क्या करें और क्या ना करें	127-135
29.	परिशिष्ट	136-139
30.	आंतरिक शिकायत समिति	139-140
31.	फोटो गैलरी	140-146



संदेश

लक्ष्मीबाई कॉलेज में आपका स्वागत है

सितंबर, 2020

संदेश

सितंबर, 2020

प्रिय छात्राओं

अदभुत विचारों, आशाओं और आकांक्षाओं की दुनिया में आपका स्वागत है।

लक्ष्मीबाई महाविद्यालय परिसर अपनी रचनात्मक ऊर्जा के साथ, देश के उज्ज्वल भविष्य को संवारने और अपने आसपास की दुनिया को निरन्तर सुंदर आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। निःसंदेह उच्च शिक्षण संस्थान परिसर अपनी रचनात्मकता, अनुसंधान प्रवृत्ति और नवीन विचारों के पोषण के द्वारा दुनिया को अधिक समुन्नत बनाने का प्रयास सदैव करते रहे हैं।

संस्था के प्रमुख के रूप में मैं, आपको महाविद्यालय के इन 3-5 वर्षों के प्रवास के दौरान एक रोमांचक अनुभव

का आश्वासन दे सकती हूँ। आप यहां स्वयं से साक्षात्कार करते हुए जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझने का सामर्थ्य ग्रहण करेंगी और जीवन को बेहतरीन ढंग से समझ सकेंगी। जीविकोपार्जन के कौशल के साथ-साथ नवीन और सकारात्मक जीवन दर्शन को विकसित कर सकेंगी। हम सभी जानते ही हैं कि शिक्षा मन को अज्ञानता की वेड़ियों से मुक्त करती है और हमें नश्वरता से अमरत्व की ओर ले जाती है। उच्च शिक्षा के माध्यम से अज्ञानता से मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०, उस भारतीय सपने को पूरा करने की आकांक्षा करती है, जिसमें एक जिज्ञासु छात्र, एक विवेचनात्मक चिन्तनशील एवं समस्याओं के समाधान हेतु उच्च स्तरीय कौशल युक्त सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक व्यक्ति के रूप में समृद्ध होता है जो प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूल्यों और परंपराओं में रचा बसा हो। ऐसा कौशल सम्पन्न छात्र निश्चय ही 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों को जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों में बदलने के लिए सक्षम होगा।

वैश्विक महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में हमें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए, आभासी रूप से आपस में जुड़ते हुए ही सही किंतु अपने भावनात्मक रिश्तों को बनाये रखना होगा। ऐसे कठिन समय में हमें एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमारे समाज के असंतुलन को संतुलित करने के साथ उसे पुनः नियोजित कर सके और मानव मन को भी परिष्कृत करें। हमें उच्च शिक्षा से बड़ी उम्मीद है कि वो हमें न केवल स्वयं को जानने और परिष्कृत करने में भौतिकवादी तरीकों से कमाने और खर्च करने के कौशल के साथ प्रेम और शान्ति का सबक भी सिखाए जिससे हम साथ रहकर प्रगति करें और प्रतिकूल समय में भी अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिना किसी को भी हानि पहुँचाए जी सकें।

नितांत एकांत और सीमाओं में रहने का यह समय आत्म अन्वेषण और आत्म विरेचन के लिए उपयुक्त है। क्योंकि आज मानव समाज न केवल कोरोना के टीके या एक रामबाण इलाज को ढूँढ रहा है, वरन एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की भी अपेक्षा करता है जो विश्व को उस समय धारण कर सके जब मां स्वरूप प्रकृति स्वयं को पुनः ऊर्जायित करे और मनुष्यों को एक बार फिर क्षमा करने का निर्णय करे यदि हमारे युवा जमीन से जुड़े रहें और पश्चिम केंद्रित सोच से बच सकें, हमारी आने वाली पीढ़ियों को इंटरनेट की नई दुनिया और आधुनिक तकनीक को सही अर्थों में समझने का सुअवसर प्राप्त होगा

अब समय आ गया है कि हम भारतीय शिक्षा की अनुसंधानात्मक जिज्ञासु पृष्ठभूमि में नई बहुआयामी

और समग्र शिक्षा पद्धति के माध्यम से ज्ञान की एक नई यात्रा आरम्भ करें। हमारी सीखने की प्रक्रिया निर्भयता के साथ चलती रहे और हमारा मन अपनी भारतीय प्रज्ञा से प्रशांत हो प्राचीन ज्ञान से सशक्त हो जिससे हम

अपनी आत्मिक और बाह्य शक्ति को बढ़ाये।

उच्च शिक्षा की एक नई दुनिया ,जो रचनात्मक ऊर्जा से प्रकाशमान है आपकी ऊर्जा जिसमें पर्वतों को हिलाने की शक्ति है में स्वयं को अनावृत करने की प्रतीक्षा कर रही है।

आओ हम प्रार्थना करें कि हम शिक्षक और छात्र एक साथ कार्य करें ,एक दूसरे को जानते समझते हुए ,एक स्वर में बोलें जिससे सामंजस्य के साथ हम आगे बढ़े और स्वयं को और समाज के सम्पूर्ण विकास में योगदान दें।

समानीवआकृतिः समानाहृदयानिवः |

समानमस्तुवोमनोयथावः सुसहासति ||ऋग्वेद

हमारा उद्देश्य एक हो, हमारी भावनाएँ सुसंगत हो। हमारे विचार समान हो।

शुभकामनाओं सहित,

प्रत्यूष वत्सला

प्राचार्या

विजन और मिशन

विजन

"सत्यम् ज्ञानम् अनन्तम्" का अर्थ है, सच्चा ज्ञान अंतहीन है और सदा प्राप्त किया जा सकता है।
तैत्तिरीय उपनिषद् (11.1)

मिशन

- युवाओं में निष्ठा, आत्म जागरूकता और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करना।
- सदी के जीवन और सतत वि वी21कास के लिए प्रासंगिक अनुप्रस्थ कौशल प्रदान करना।
- सत्य और जांच, रचनात्मकता और ज्ञान के प्रति प्रेम की शाश्वत खोज को पोषित करना।

जैसा कि आदर्श वाक्यमें प्रतिष्ठापित है की हमारा विजन प्रबंधन, शिक्षकों और छात्रों को लक्ष्मीबाई कॉलेज को, अकादमिक, खेल और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्टता का केंद्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम सामाजिक जिम्मेदारी और एक मिशन की भावना के साथ काम करते हैं।

घोषणा

हालांकि इस प्रॉस्पेक्टस की सामग्री की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए देखभाल की गई है, लेकिन यहां निहित डेटा केवल सांकेतिक है और इसका उपयोग कानूनी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दी गई जानकारी केवल लक्ष्मीबाई कॉलेज द्वारा दिए गए पाठ्यक्रमों से संबंधित है। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदकों को दिल्ली विश्वविद्यालय सूचना बुलेटिन या डीन, छात्र कल्याण, दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यालय का उल्लेख करने की सलाह दी जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रासंगिक नियमों, विनियमों, अध्यादेशों और संविधियों में निहित जानकारी अंतिम होगी। किसी भी आगे के बदलाव और स्पष्टीकरण के लिए छात्रों को कॉलेज की वेबसाइट lakshmibaicollege.in और नोटिस बोर्ड की जांच करने की सलाह दी जाती है। लक्ष्मीबाई कॉलेज प्रॉस्पेक्टस में सूचना के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई से होने वाले किसी भी नुकसान या नुकसान के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है। कोई भी त्रुटि, यदि पाया जाता है, तो अनजाने में चूक, लिपिकीय गलतियों या किसी अन्य कारण से हो सकता है।

कोविड-19

2020 पूरे विश्व के लिए बेहद मुश्किल समय रहा है। चीन के बुहान शहर से शुरू होकर कोरोना धीरे-धीरे पूरे विश्व में फैल गया।

स्थितियां इतनी विकराल हो गयीं कि भारत जैसे देश को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में विशाल जनसंख्या वाले इस देश में लाखों कामगार बेरोजगार हो गए। बीमारी की दहशत ऐसी भयावह थी कि जिससे जैसे बन पड़ा भूखे, बेहाल, नंगे पांव पैदल, साइकिल ट्रकों, बाइक से वे अपने घरों की ओर निकल पड़े।

दृश्य इतना कारुणिक हो गया कि 1947 के विभाजन की स्थितियों के चित्रपटल आंखों के सामने उमड़ आये। क्या होगा सभी भयभीत थे।

खैर धीरे-धीरे लोगों ने हिम्मत दिखाई। आजीविका के रास्ते पर लोगों की वापसी हुई। लोगों ने एक दूसरे की मदद भी की।

पठन-पाठन के रास्ते भी निकले। इ-लर्निंग के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों की जुगलबंदी हुई और आज वे इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि यह समय बीत जाएगा और हम सभी अधिक मजबूत होकर हंसते-मुस्कुराते अपने जीवन पथ पर अग्रसर होंगे। पर हमें ध्यान रखना होगा कि अपनी प्रकृति मां को अधिक छेड़े न, क्योंकि हम उनकी संताने हैं। आखिर हम प्रकृति मां का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा।

प्रकृति उदास है कह रही है

मैं समझा नहीं हूँ पर तुम मानोगे नहीं

तुम्हारे असीम लालचों ने मेरे बदन में सुराख कर दिये हैं

क्रूर और हिंसक प्रहारों से मेरा बदन छलनी है

अब वक्त है कि मुझे ही कुछ करना होगा

समय के रथ को कुछ देर के लिए रुकना होगा।



कोविड-19 की अवधि के दौरान कॉलेज में हुए महत्वपूर्ण वेबिनार

फिजियो-सोसायटी के मनोवैज्ञानिक फिटनेस 27 जून 2020 को आयोजित
26 जून 2020 को आयोजित समाज के फिजियो-साइकोलॉजिकल फिटनेस
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020
डॉ. मधुलिका बाजपेयी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर इंटरैक्टिव वेबिनार
डॉ. एसबी राठौर द्वारा कर विकल्पों पर वेबिनार
तनाव और नौकरी असुरक्षा के बीच में प्रस्सन कैसे रहें
महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा, विशेषज्ञ सुश्री नमता अग्रवाल, अपर सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
एचईआई विशेषज्ञों में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना
ग्रेजुएट कन्फ्यूजन एंड करियर ऑप्शन, विशेषज्ञ के सिद्धार्थ, करियर काउंसलर, आलोक बंसल, करियर काउंसलर एंड स्टडी इन ओरिएलर, गौरा भाटिया, सीबीओ, एवरेज ईडीयू
मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां कोविड-19 के दौरान, डॉ राजेश सागर. मनोरोग विभाग ,एम्स, दिल्ली ।
स्व साहित्यिक चोरी और इसके निहितार्थों पर वेबिनार, डिप्टी लाइब्रेरियन, दिल्ली विश्वविद्यालय ।
ई-रिसोर्स/ई-बुक्स मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट कैसे करें, डॉ राजेश सिंह, डिप्टी लाइब्रेरियन, दिल्ली।
निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन: कोविड-19 और उससे आगे प्रो आलोक पांडे, निदेशक आईएमएस गाजियाबाद द्वारा।

संचालक मंडल जुलाई 2020

लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

क्रम संख्या	नाम	पद
1.	डॉ ललितबिहारीगोस्वामी	अध्यक्ष
2.	श्री पिनाकी रावटरी	कोषाध्यक्ष
3.	डॉ वीरेंद्र कुमार विजय	सदस्य
4.	श्री अजीत सिंह	सदस्य
5.	श्री वाई.एस.आर. मूर्ति	सदस्य
6.	श्री अमित कोली	सदस्य
7.	श्री विनय दुबे	सदस्य
8.	सुश्री रचनासुधीन	सदस्य
9.	श्री प्रिंस शर्मा	सदस्य
10.	प्रो पामेला सिंगला, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यविभाग	विश्वविद्यालय प्रतिनिधि
11.	प्रो रूपम कपूर, प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग	विश्वविद्यालय प्रतिनिधि
12.	डॉ. प्रत्यूषवत्सला, प्राचार्य, लक्ष्मीबाई कॉलेज	सदस्य सचिव
13.	डॉ अनीता गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग	शिक्षक प्रतिनिधि
14.	सुश्री सोनिका सिंघी, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग	शिक्षक प्रतिनिधि



महाविद्यालय की रूपरेखा

लक्ष्मीबाई कॉलेज महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना १९६५ में महिला कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसे बाद में झांसी की एक प्रेरणादायक, अनुकरणीय और उत्साही रानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर बदल दिया गया। यह दिल्ली विश्वविद्यालय का संघटक कॉलेज है। कॉलेज की अपनी अच्छी तरह से सुसज्जित इमारत, विशाल लॉन, खेल मैदान और स्टाफ क्वार्टर है। इसका स्थान निरूप दिल्ली यूनिवर्सिटी के नजदीक है।

कॉलेज छात्रों, फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अपनी ढांचागत क्षमता बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है। आठ कक्षाओं (पोर्टा केबिन) के निर्माण से लेकर एक अच्छी तरह से सुसज्जित कंप्यूटरीकृत पुस्तकालय के साथ क्रेच (परवरिश), ओपन जिम और एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (आरोग्यम) के विकास के साथ एक ध्यान हॉल, पूरी तरह से सुसज्जित प्रतीक्षालय, आधुनिक प्रशासनिक ब्लॉक (एसपीएस) (कौटिल्य ब्लॉक), पुस्तकालय के पीछे ग्राउंड प्लस दो मंजिला संरचना (विश्वकर्मा ब्लॉक), गर्ल्स कॉमन रूम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ओपन स्टेज की सुविधा है। कॉलेज प्रवेश द्वार पर 76.8वाट के सौर पैनल भी इसकी विशेषता है।

कॉलेज ने परिसर के अंदर सभी लेनदेन के लिए आरएफआईडी कार्ड की शुरुआत और लाइब्रेरी गेट पर आरएफआईडी प्रवेश रिकॉर्डिंग प्रणाली के स्थापना के साथ उच्च शिक्षा में तकनीकी प्रगति में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे यह दिल्ली विश्वविद्यालय में पहला कॉलेज है और शायद भारत में विमुद्रीकरण से पहले कैशलेस हो गया है। ये कार्ड सभी छात्रों को एक पहचान देते हैं और उन्हें कॉलेज के भीतर कैशलेस ट्रांजेक्शन करने की भी अनुमति देते हैं। कॉलेज अपने मोबाइल ऐप, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड, इंफॉर्मेशन कियोस्क को विभिन्न क्षेत्रों में अपने एसेट बेस को मजबूत करने का दावा करता है।

हम भाग्यशाली हैं कि लक्ष्मीबाई कॉलेज में कुशल और योग्य शिक्षकगण हैं, साथ ही सहायक और सक्षम प्रशासनिक और गैरशैक्षणिक कर्मी भी हैं। हमारे पास विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त समर्पित शिक्षकगण हैं जिनमें से ज्यादातर पीएचडी या एमफिल की उच्च डिग्री से सुशोभित हैं। वे

अपने संबंधित विषय के विशेषज्ञ और उत्साही शिक्षक हैं। शिक्षण के अलावा, वे सक्रिय रूप से अनुसंधान, नए पाठ्यक्रमों के विकास, अभिनव परियोजनाओं को शुरू करने, कार्यशालाओं, सेमिनारों, संगोष्ठियों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संमेलनों का आयोजन करने में संलग्न रहते हैं। कई शिक्षकों के प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों और अनुसंधान पत्रिका में अनेक लेख प्रकाशित हैं।

शिक्षाविदों के अलावा, हमारा कॉलेज खेल, एनसीसी और एनएसएस में भी उत्कृष्ट है। लक्ष्मीबाई कॉलेज की एनएसएस इकाई के लिए यह बहुत, गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज की एक स्वयंसेवक रिया कुमारी को गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2019 का हिस्सा बनने का सुनहरा अवसर मिला। लक्ष्मीबाई कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज (एसडब्ल्यू) होने के लिए एनसीसी के पूर्व छात्र क्लब दिल्ली द्वारा 'एनसीसी अचीवर्स' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हमारे कॉलेज की छात्राओं में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता के प्रति गहरी सचेतता है और वे लगातार भेदभाव और उत्पीड़न से रहित समुदाय का निर्माण करने के लिए प्रेरित रहती हैं। छात्रों की रचनात्मकता विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों, कार्यक्रमों के द्वारा स्पष्ट लक्षित होती है।

लक्ष्मीबाई कॉलेज अकादमिक उत्कृष्टता और मानवतावाद के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने छात्रों को स्वशासन की दिशा में प्रशिक्षित करते हैं और उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास को प्रोत्साहित करते हैं। कॉलेज की गतिविधियों के लिए ऊर्जा और जीवन शक्ति, मैत्री और सामाजिक एकजुटता की सामूहिक भावना से आती है। लक्ष्मीबाई कॉलेज से जुड़े हम सभी के लिए यह बहुत संतोष और गर्व की बात है कि हम न केवल आकार में, बल्कि सही दिशा में भी बढ़े हैं, नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए अपने क्षितिज का विस्तार कर रहे हैं।

पिछले पांच दशकों में कॉलेज ने महिलाओं के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये कला और सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। कॉलेज एक विस्तृत कॉलेज है जिसमें करीब ३८०० छात्र हैं। कॉलेज इष्टतम करने के लिए अपने संसाधनों का यथाशक्ति उपयोग करता है। रविवार और अन्य छुट्टियों पर, यह नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के लिए एक शिक्षण केंद्र है।

संकाय उपलब्धि



संसदीय हिन्दी समिति
द्वारा
राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान
2018

डॉ. प्रत्यूष वत्सला प्राचार्य
लक्ष्मीबाई कॉलेज

मेधावी शिक्षकों को दिल्ली शासन द्वारा पुरस्कार



डॉ. अनीता मलहोत्रा
विभाग गृह विज्ञान-2017



डॉ. सुचेता गावा
वाणिज्य विभाग-2018



डॉ. अलका हरनेजा
वाणिज्य विभाग-2019



डॉ. लता शर्मा
वाणिज्य विभाग-2020



डॉ. ईशा चावला, अर्थशास्त्र विभाग। एजीम बैंक अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र अनुसंधान द्वारा
वार्षिक पुरस्कार-2016



डॉ. सीमा कौशिक, शारीरिक शिक्षा विभाग।
डॉ. जे. पी. गौतम राष्ट्रीय पुरस्कार, उत्तर भारत में श्रेष्ठ शारीरिक प्राध्यापक के लिए
सम्मानित, शारीरिक शिक्षा फाउण्डेशन, भारत द्वारा।



डॉ. संगीता शर्मा, राजनीतिशास्त्र विभाग। विश्वविद्यालय द्वारा बेस्ट प्रोग्राम आफिसर
पुरस्कार राष्ट्रीय सामाजिक सेवा (एनसस) के लिए।



कुलसचिव
REGISTRAR

दिल्ली विश्वविद्यालय University of Delhi

NOTIFICATION

A schedule for UG (Entrance-based and Merit-based) and PG admissions for the Academic Session 2020-21:

Schedule for UG Merit Based Admission Process

Process	Date
Admission against 1 st Cut-Off	10:00 am 12 th Oct (Mon) – 5:00 pm 14 th Oct 2020 (Wed)
Last day of payment against 1 st Cut-Off	11:59 pm 16 th Oct 2020 (Fri)
Admission against 2 nd Cut-Off	10:00 am 19 th Oct (Mon) – 5:00 pm 21 st Oct 2020 (Wed)
Last day of payment against 2 nd Cut-Off	11:59 pm 23 rd Oct 2020 (Fri)
Admission against 3 rd Cut-Off	10:00 am 26 th Oct (Mon) – 5:00 pm 28 th Oct 2020 (Wed)
Last day of payment against 3 rd Cut-Off	11:59 pm 30 th Oct 2020 (Fri)
Admission against 4 th Cut-Off	10:00 am 2 nd Nov (Mon) – 5:00 pm 4 th Nov 2020 (Wed)
Last day of payment against 4 th Cut-Off	11:59 pm 6 th Nov 2020 (Fri)
Admission against 5 th Cut-Off	10:00 am 9 th Nov (Mon) – 5:00 pm 11 th Nov 2020 (Wed)
Last day of payment against 5 th Cut-Off	11:59 pm 13 th Nov 2020 (Fri)
Session commences	18 th Nov 2020 (Wed)
Admission against Special Cut-Off	10:00 am 18 th Nov (Wed) – 5:00 pm 20 th Nov 2020 (Fri)
Last day of payment against Special Cut-Off	11:59 pm 22 nd Nov 2020 (Sun)

- In case vacant seats are left, further Cut-Offs may be announced by the University to fill the vacant seats.

Schedule for UG Entrance Based Admission Process

Process	Date
Admission against 1 st Merit List	10:00 am 19 th Oct (Mon) – 5:00 pm 21 st Oct 2020 (Wed)
Last day of payment against 1 st Merit List	11:59 pm 23 rd Oct 2020 (Fri)
Admission against 2 nd Merit List	10:00 am 26 th Oct (Mon) – 5:00 pm 28 th Oct 2020 (Wed)
Last day of payment against 2 nd Merit List	11:59 pm 30 th Oct 2020 (Fri)
Admission against 3 rd Merit List	10:00 am 2 nd Nov (Mon) – 5:00 pm 4 th Nov 2020 (Wed)
Last day of payment against 3 rd Merit List	11:59 pm 6 th Nov 2020 (Fri)
Registration Portal open for first Spot Admission	9 th Nov 2020 (Mon)
Seat allocation for 1 st Spot admission	09:00 am – 5:00 pm on 10 th Nov 2020
Admission against 1 st Spot Admission	11 th Nov 2020
Last day of payment against Spot admission	11:59 pm 13 th Nov 2020
Session commences	18 th Nov 2020 (Wed)

- In case vacant seats left further Spot admissions may be announced by the University of Delhi.

Schedule for PG Entrance/Merit Based Admission Process

Process	Date
Admission against 1 st Merit List	10:00 am 26 th Oct (Mon) – 5:00 pm 28 th Oct 2020 (Wed)
Last day of payment against 1 st Merit List	11:59 pm 30 th Oct 2020 (Fri)
Admission against 2 nd Merit List	10:00 am 2 nd Nov (Mon) – 5:00 pm 4 th Nov 2020 (Wed)
Last day of payment against 2 nd Merit List	11:59 pm 6 th Nov 2020 (Fri)
Admission against 3 rd Merit List	10:00 am 9 th Nov (Mon) – 5:00 pm 11 th Nov 2020 (Wed)
Last day of payment against 3 rd Merit List	11:59 pm 13 th Nov 2020 (Fri)
Session commences	18 th Nov 2020 (Wed)

- In case vacant seats left further Merit Lists may be announced by the University of Delhi.

REGISTRAR (Acting)

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

University of Delhi, Delhi-110007

दूरभाष/Tel. : 27667853; फ़ैक्स/Fax : 27666350; वेबसाइट/Website : www.du.ac.in; ईमेल/E-mail : registrar@du.ac.in

अकादमिक कैलेंडर *

स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए निम्नलिखित अकादमिक कैलेंडर का परिपालन किया जाएगा:

सेमेस्टर I/III/V/	
सत्र आरंभ	10 अगस्त 2020 (सोमवार)
सेमेस्टर मध्यवर्ती अन्तराल	-
मध्यवर्ती अन्तराल के पश्चात् पुनः सत्रारंभ	-
कक्षाओं का समाप्त , परीक्षा की तैयारी हेतु अवकाश और प्रायोगिक परीक्षाएं आरम्भ	28 नवंबर, 2020 (शनिवार)
परीक्षाएं आरम्भ	12 दिसंबर, 2020 (शनिवार)
शीतकालीन अवकाश	29 दिसंबर, 2020 (मंगलवार) से 1 जनवरी 2021 (शुक्रवार)
सेमेस्टर II/IV/ VI और VIII	
सत्र आरंभ	2 जनवरी, 2021 (शनिवार)
सेमेस्टर मध्यवर्ती अन्तराल	24 मार्च, 2021 (बुधवार) को 30 मार्च, 2021 (मंगलवार) (नोट: 29-3-2021 है होली)
मध्यवर्ती अन्तराल के पश्चात् पुनः सत्रारंभ	31 मार्च, 2021 (बुधवार)
कक्षाओं का समाप्त , परीक्षा की तैयारी हेतु अवकाश और प्रायोगिक परीक्षाएं आरम्भ	30 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार)
परीक्षाएं आरम्भ	15 मई, 2021 (शनिवार)

ग्रीष्मकालीन अवकाश	29 मई, 2021 (शनिवार) से 19जुलाई, 2021 (सोमवार)
--------------------	--

* विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार

प्रशासन

प्राचार्य	डॉ प्रत्युषवत्सला
कोषाध्यक्ष	डॉ गायत्री
प्रशासनिक अधिकारी	सुश्री मोनिका
अनुभाग अधिकारी (प्रशासनिक)।	श्री प्रेमकांत
अनुभाग अधिकारी (लेखा)	श्री शेलेन्द्र

सहायक समूह (विभागवार)

श्री विजय प्रकाश	बीए प्रोग्राम	dealing1@lb.du.ac.in
सुश्री समीक्षा लूथरा	बीकॉम(ऑनर्स), बीकॉम(प्रोग्राम), (ऑनर्स), बी.बी.ई.	गणित dealing2@lb.du.ac.in
श्री शुभम शर्मा	सभी ऑनर्स पाठ्यक्रम	dealing3@lb.du.ac.in

प्रवेश के लिए समितियां (2020-21)

प्राचार्य	डॉ प्रत्युषवत्सला
नोडल अधिकारी एवं संयोजक	डॉ राज नांगिया
सदस्य	डॉ विभा गुप्ता
	डॉ सुधा गुप्ता
बीए प्रोग्राम एडमिशन कमेटी	डॉ अनीता मल्होत्रा (समन्वयक)
परामर्श एवं शिकायत समिति	डॉ निर्मलशाहिद डॉ रेणु जैन
	डॉ गीतासाहरे(समन्वयक)
	सुश्री आंचल डॉ सुनीता अरोड़ा
एससी/एसटी हेल्प डेस्क	सुश्री राजश्री राँय (लयासन अधिकारी)
	डॉ पिकीमौर्य
	डॉ रामथोट कोहिंघिलू

पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हेल्प डेस्क	डॉ जया रे
खेल प्रवेश समिति	डॉ सीमा शर्मा डॉ सुनीता अरोड़ा डॉ मीनू
ईसीए प्रवेश समिति	डॉ रेणु जैन डॉ सुचेता चतुर्वेदी श्रीमती दीबा जाफिर
पाठ्यक्रम	प्रभारी शिक्षक
बिजनेस इकोनॉमिक्स	सुश्री उज्जयनी राँय
वाणिज्य	सुश्री ए प्रो सील्वी
अर्थशास्त्र	डॉ सुमनसोनकर
अंग्रेज़ी	डॉ अंजू
हिंदी	डॉ रश्मि गुप्ता
इतिहास	डॉ वृष्टि कन्नोजिया
गणित	डॉ तलत सुल्ताना
दर्शन	सुश्री राजश्री राँय
राजनीति विज्ञान	डॉ अंबुज कुआर त्रिपाठी
संस्कृत	डॉ अनीता शर्मा
होमसाइंस	डॉ सबरीना सरीन
मनोविज्ञान	सुश्री प्रमिला (प्रवेश समन्वयक)
समाजशास्त्र	सुश्री प्रमिला (प्रवेश समन्वयक)
महिला हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबर	181, 112, 132, 1091
एंटी रैगिंग कमेटी	
डॉ गीतांजलि दे: gitanjali@lb.du.ac.in	
डॉ नीलम: neelam@lb.du.ac.in	

विभाग प्रभारियों की सूची

विभाग	नाम	ई मेल
बिजनेस इकोनॉमिक्स	सुश्रीउज्जयनी राँय	bbehod@lb.du.ac.in
वाणिज्य	सुश्री ए प्रो सील्वी	commercehod@lb.du.ac.in
कंप्यूटर एप्लीकेशन	समन्वयक	computerhod@lb.du.ac.in
अर्थशास्त्र	डॉ सुमनसोनकर	economicshod@lb.du.ac.in
अंग्रेज़ी	डॉ अंजू	englishhod@lb.du.ac.in
ईवीएस	समन्वयक	evshod@lb.du.ac.in
हिंदी	डॉ रश्मि गुप्ता	hindihod@lb.du.ac.in
इतिहास	डॉ वृष्टि कन्नोजिया	historyhod@lb.du.ac.in
होम साइंस	डॉ सबरीना सरिन	hsciencehod@lb.du.ac.in
गणित	डॉ तलत सुल्ताना	mathshod@lb.du.ac.in
संगीत	डॉ रेणु जैन	musichod@lb.du.ac.in
दर्शन	सुश्री राजश्री राँय	philosophyhod@lb.du.ac.in
शारीरिक शिक्षा	डॉ सीमा शर्मा	seemakaushik@lb.du.ac.in
राजनीतिक अनुसूचित जाति	डॉ अंबुजकुमार त्रिपाठी	polsciencehod@lb.du.ac.in
पंजाबी	डॉ निर्मलशाहिद	punjabihod@lb.du.ac.in
मनोविज्ञान	समन्वयक	psychologyhod@lb.du.ac.in
संस्कृत	डॉ अनीता शर्मा	sanskrihod@lb.du.ac.in
समाजशास्त्र	समन्वयक	sociologyhod@lb.du.ac.in

उपलब्ध पाठ्यक्रम

<p>1. अंडर ग्रेजुएट कोर्स</p> <p>1.1 मेरिट आधारित</p> <p><u>1.1.(a) (ऑनर्स) पाठ्यक्रम</u></p> <p>बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र</p> <p>बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी</p> <p>बीए (ऑनर्स) हिंदी</p> <p>9बीए (ऑनर्स) इतिहास</p> <p>9बीएसी (ऑनर्स) गणित</p> <p>बीए (ऑनर्स) दर्शन</p> <p>9 बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान</p> <p>बीए (ऑनर्स) मनोविज्ञान</p> <p>बीए (ऑनर्स) संस्कृत</p> <p>बीए (ऑनर्स) समाजशास्त्र</p> <p>बीकॉम (ऑनर्स)</p> <p>बीएसी(ऑनर्स) गृह विज्ञान</p> <p><u>1.1 (ख) (प्रोग्राम) पाठ्यक्रम</u></p> <p>बीए (प्रोग्राम)</p> <p>बीकॉम(प्रोग्राम)</p>	<p>1.2 प्रवेश आधारित पाठ्यक्रम</p> <p>बीए (ऑनर्स) बिजनेस इकोनॉमिक्स (बीबीई)</p> <p>क्र 2. शॉर्ट टर्म कोर्स जोड़ें#</p> <p>महिला और कानूनी साक्षरता,</p> <p>विदेशी भाषाओं में प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम (चीनी, जापानी, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच),</p> <p>अंग्रेजी भाषा और व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम,</p> <p>2D और 3D और स्टॉप मोशन,</p> <p>3. Post स्नातक पाठ्यक्रम</p> <p>एमए दर्शन</p> <p>एमए राजनीति विज्ञान</p> <p>एमए संस्कृत</p> <p># विदेशी भाषा और कौशल पाठ्यक्रमों के बारे में कॉलेज की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।</p>
---	---

2020-21 के लिए उपलब्ध पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम वार छात्रों की संख्या

कोर्स का नाम	21	UR	SC	ST	OBC	EWS	PH	ECA	SPORTS	J&K
	100.0	40.5	15.0	7.5	27.0	10.0	5.0	1.5	3.5	
बीए (प्रोग्राम)	531	214	80	40	144	53	27	8	19	2
बी कॉम (प्रोग्राम)	231	94	35	17	62	23	11	3	8	2
बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान	115	46	17	9	31	12	6	2	4	-
बी कॉम (ऑनर्स)	115	46	17	9	31	12	6	2	4	2
बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	58	23	9	4	16	6	3	1	2	-
बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी	58	23	9	4	16	6	3	1	2	-
बीए (ऑनर्स) हिंदी	58	23	9	4	16	6	3	1	2	-
बीए (ऑनर्स) इतिहास	58	23	9	4	16	6	3	1	2	-
बीएससी (ऑनर्स) गणित	58	23	9	4	16	6	3	1	2	2
बीए (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र	58	23	9	4	16	6	3	1	2	-
बीए (ऑनर्स) संस्कृत	58	23	9	4	16	6	3	1	2	2
बीबीई	38	15	6	3	10	4	-	-	-	-
बीए (ऑनर्स) समाजशास्त्र (डीयू से प्राप्त पत्र)	58	23	9	4	16	6	3	1	2	-
बीए (ऑनर्स) मनोविज्ञान (डीयू से प्राप्त पत्र)	58	23	9	4	16	6	3	1	2	-
बी एससी (ऑनर्स) होम साइंस (डीयू से प्राप्त पत्र)	40	16	6	3	11	4	2	1	1	-

खेल कोटे के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए लक्ष्मीबाई की सीट मैट्रिक्स

S.NO	खेल/श्रेणी	रिक्ति	घटना
1	तीरंदाजी	2	1 कंपाउंड
			1 रिकर्व
2	एथलेटिक्स	6	1 1500
			1 शॉट पुट
			1 200 M
			1 5000 मीटर
			1 लांग जम्पर
			1 400
3	मुक्केबाजी	3	1 54 किलो
			1 57 किलो
			1 60 किलो
4	क्रिकेट	4	2 बल्लेबाज महिलाए
			1 स्पिनर
			1 मध्यम तेज गेंदबाज
5	जूडो	4	1 70 किलो
			1 48 किलो
			1 63 किलो
			1 52 किलो
6	खो-खो	6	3 धावक
			3 चेज़र
7	कबड्डी	5	2 रेडर
			2 कॉर्नर
			1 कवर
8	Netball	4	1 जीडी
			1 जीएस
			1 केंद्र
			1 WD

9	सॉफ्टबॉल	7	1 कैचर 3 इनफील्ड 3 आउटफील्ड
10	शूटिंग	4	2 पिस्तौल 2 राइफल
11	वॉलीबॉल	7	4 स्पाइकर 1 सेंटर ब्लॉकर 1 सेटर 1 लिब्रेरो
12	कुश्ती	2	1 57 किलो 1 59 किलो

कॉलेज ईसीए उप गतिविधि सूची और सीटें 2020-21

प्रेस विज्ञप्ति

यह शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए स्नातकोत्तर (यूजी), स्नातकोत्तर (स्नातकोत्तर), एमफिल, और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में 19 जुलाई 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार है। प्रवेश के माध्यम से सभी पाठ्यक्रमों (यूजी, पीजी, एमफिल/पीएचडी) में प्रवेश के लिए पंजीकरण 31 जुलाई 2020 को बंद होगा। हालांकि मेरिट के माध्यम से दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त 2020 तक खुले रहेंगे।

(क) ईसीए श्रेणी के माध्यम से प्रवेश

- (i) दिल्ली विश्वविद्यालय ने यूजी पाठ्यक्रमों में ईसीए श्रेणी के माध्यम से प्रवेश के तहत पिछले वर्ष की सभी चौदह श्रेणियों अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियों (ईसीए) को शामिल करने का निर्णय लिया है। ये श्रेणियां और उप-श्रेणियां इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या	श्रेणी	उप श्रेणी कोड	उप-श्रेणी
1	क्रिएटिव राइटिंग	1a.	क्रिएटिव राइटिंग (हिंदी)
		1b.	क्रिएटिव राइटिंग (अंग्रेजी)
2	नृत्य	2a	इंडियन क्लासिकल
		2b.	भारतीय लोक
		2c.	पश्चिमी

		2d	कोरियोग्राफी
3	वाद-विवाद	3a	वाद-विवाद (हिंदी)
		3b.	वाद-विवाद (अंग्रेजी)
4	डिजिटल मीडिया	4a.	फोटोग्राफी
		4b.	फिल्म मेकिंग
		4c.	एनिमेशन
5	ललित कला	5a	स्केचिंग और पेंटिंग
		5b	मूर्तिकला
6	संगीत (वोकल)	6a	भारतीय (शास्त्रीय और प्रकाश)
		6b	पश्चिमी (शास्त्रीय और प्रकाश)
7	संगीत (वाद्यः भारतीय)	7a.	तबला
		7b	मृदंगम
		7c.	ढोलक
		7d	पखावज
S.NoI	श्रेणी	उप श्रेणी कोड	उप-श्रेणी
		7e.	घाटम
		7f.	हारमोनियम
		7g	भारतीय बांसुरी
		7h.	सितार
		7i.	भारतीय वायलिन
		7j	सरोद
		7k.	संतूर

8	संगीत (वाद्य: पश्चिमी)	8a.	ड्रम
		8b.	पश्चिमी बांसुरी
		8c.	सैक्सोफोन
		8d.	गिटार (लीड)
		8e.	गिटार (बास)
		8f.	पश्चिमी वायलिन
		8g.	की-बोर्ड
9	रंगमंच	9	रंगमंच
10	प्रश्नोत्तरी	10	प्रश्नोत्तरी
11	दिव्यता *	11	देवत्व
12	एनसीसी	12	एनसीसी
13	एनएसएस	13	एनएसएस
14	योग	14	योग
* केवल सिख अल्पसंख्यक कॉलेजों के लिए लागू			

- (ii) ईसीए के तहत पंजीकरण कराने के इच्छुक आवेदक¹ अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक ऐसा कर सकते हैं। जो आवेदक पहले से पंजीकरण करा चुके हैं और अब ईसीए श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं, वे भी¹⁰⁰ रुपये का अपेक्षित अतिरिक्त शुल्क चुकाने के बाद 1 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020^{तक} ऐसा कर सकते हैं।
- (iii) आवेदक अधिकतम तीन ईसीए श्रेणी के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
- (iv) ईसीए के तहत दाखिले आवेदकों के योग्यता/भागीदारी प्रमाण पत्र के आधार पर किए जाएंगे। आवेदकों को पिछले तीन वर्षों^(1 मई 2017 - 30^{अप्रैल} 2020) के अधिकतम सर्वश्रेष्ठ पांच प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। मार्किंग के लिए तिथि रहित प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) आवेदक द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और अधिकतम 100 अंकों में से मूल्यांकन किया जाएगा। 20 अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों में ईसीए के आधार पर प्रवेश की अंतिम मेरिट सूची के लिए योग्य होंगे। ईसीए श्रेणी के तहत अंक उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए तीन सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्रों में दिए गए कुल अंकों के आधार पर दिए जाएंगे।

- (vi) शैक्षणिक योग्यता में 15% से अधिक की छूट नहीं, अंतिम प्रासंगिक कट ऑफ से अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंडों के अधीन एक विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज द्वारा विशिष्ट रियायत घोषित की जाएगी।
- (vi) योग्यता/भागीदारी ईसीए प्रमाण पत्र के अंकन के लिए मानदंड नीचे दिए गए हैं। विस्तृत ब्रेक-अप को यथासमय दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

सीनियर नहीं।	श्रेणी	अधिकतम अंक
1.	प्रतियोगिता में भागीदारी/पुरस्कार	44
2.	प्रशिक्षण/परीक्षाएं	28
3.	कार्यशालाओं	16
4.	प्रदर्शन/प्रकाशित कार्य/प्रदर्शनी (सार्वजनिक)	12
	कुल अंक	100

7. ईसीए श्रेणी के तहत सभी प्रवेश ति अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी।

(ख) पंजीकृत प्रपत्र में संपादन/सुधार/अपलोड

प्रक्रिया को और अधिक दृष्टि हितैषी बनाने के लिए पंजीकृत आवेदकों को अपने प्रपत्रों को संपादित/सही करने और अपने प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी। निम्नलिखित फ़ील्ड को पंजीकरण फॉर्म में संपादन के लिए अनुमति दी जाएगी/

- उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी, श्रेणी और लिंग में किसी संपादन की अनुमति नहीं होगी।
- यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदक द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों की संख्या में किसी संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- पंजीकरण के समय आवेदकों द्वारा चुने गए प्रवेश परीक्षा केंद्र में किसी संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अन्य सभी क्षेत्रों को संपादित करने की अनुमति दी जाएगी।
- आवेदकों को दस्तावेजों को बदलने/अपडेट करने की अनुमति होगी-जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अंकपत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, ईसीए और खेल के लिए सहायक दस्तावेज।
- इन संपादन/सुधार/अपलोड के लिए आवेदकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

७. जैसा कि ऊपर बताया गया है, संपादन की सुविधा केवल उन आवेदकों को ही दी जाएगी, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम तिथि तक प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण कराया होगा।
८. एडिट विंडो बंद होने के बाद रजिस्टर्ड फॉर्म में किसी भी तरह के एडिट/अपलोड/सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडिट विंडो बंद होने के बाद सबमिट किए गए फॉर्म को फाइनल के रूप में लिया जाएगा
९. आवेदकों को कई पंजीकरण फॉर्म नहीं भरने की सलाह दी जाती है।

संपादन के लिए विंडो की घोषणा अगस्त के तीसरे सप्ताह से सितंबर २०२० के दूसरे सप्ताह के बीच में होने की संभावना है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सही शेड्यूल और अपडेट के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट की नियमित रूप से जांच करें।

रजिस्ट्रार

(कार्यवाहक)

25 जुलाई 2020

ईसीए सह पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित सीटें

श्रेणी कोड	श्रेणी	उपश्रेणी और कोड	सीटें
1	नृत्य	भारतीय शास्त्रीय	5
2	संवाद	3a संवाद हिंदी	3
		3b संवाद अंग्रेजी	3
3	डिजिटल मीडिया	4a प्लूवियोग्राफी	2
		4b फिल्म निर्माता	2
4	ललित कला	5a रेखांकन और पेंटिंग	2
5	स्वर संगीत	6a भारतीय शास्त्रीय और लाइट	2
6	भारतीय वाद्यसंगीत	7f हारमोनियम, भारतीय बांसुरी, भारतीय बालयलिन, भारतीय बांसुरी	1
7	पाश्चात्य वाद्य संगीत	8g कीबोर्ड	1
8	थियेटर	थियेटर	2
9	योगा	योगा	2
		कुल	25

क्रमांक	बीए (प्रोग्राम) के लिए डिसिप्लिन कोर्स का संयोजन 2020-2021		कुल सीटें	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ई डब्लू एस
	डिसिप्लिन -1	डिसिप्लिन -2	100 %	40.5%	15.%	7.5%	27.%	10.%
1	राजनीति विज्ञान	इतिहास	71	29	11	5	19	7
2	राजनीति विज्ञान	कम्प्यूटर अनुप्रयोग	16	6	3	1	4	2
3	राजनीति विज्ञान	पंजाबी	14	6	2	1	4	1
4	राजनीति विज्ञान	शारीरिक शिक्षा	45	18	8	3	12	4
5	राजनीति विज्ञान	दर्शनशास्त्र	50	20	9	3	13	5
6	राजनीति विज्ञान	हिन्दी	13	5	2	1	4	1
7	इतिहास	संस्कृत	28	12	4	2	7	3
8	इतिहास	संगीत	12	5	2	1	3	1
9	इतिहास	हिन्दी	25	10	3	2	7	3
10	अर्थशास्त्र	विज्ञापन एस पी, एस पी	46	19	8	3	12	4
11	अर्थशास्त्र	अंग्रेजी	25	10	3	2	7	3
12	अर्थशास्त्र	गणित	25	10	3	2	7	3
13	अर्थशास्त्र	कम्प्यूटर अनुप्रयोग	32	13	5	2	9	3
14	दर्शनशास्त्र	गणित	10	4	1	1	3	1
15	दर्शनशास्त्र	समाजशास्त्र	48	19	7	4	13	5
16	दर्शनशास्त्र	मनोविज्ञान	22	9	3	2	6	2
17	समाजशास्त्र	संगीत	08	3	1	1	2	1
18	समाजशास्त्र	पंजाबी	08	3	1	1	2	1
19	मनोविज्ञान	अंग्रेजी	13	5	2	1	4	1
20	मनोविज्ञान	विज्ञापन एस एस पी	10	4	1	1	3	1
21	मनोविज्ञान	शारीरिक शिक्षा	10	4	1	1	3	
	कुल संख्या		531	214	80	40	144	53

नोट - दी गयी सूची से छात्रों को डिसिप्लिन पाठ्यक्रम के संयोजन / कांभिनेशन चुनना अनिवार्य है।

चयनआधारित क्रेडिट प्रणाली - चयन बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस)

सीबीसीएस छात्रों को दिये गए पाठ्यक्रम से चयन वैकल्पिक / लघु या कौशल आधारित पाठ्यक्रम चुनने का अवसर देता है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली मूल्यांकन के आधार पर होता है, जो पारंपरिक मूल्यांकन से बेहतर होता है। भारत की सम्पूर्ण उच्चतर शिक्षा में एक सामान्य ग्रेडिंग प्रणाली में इसे पुनर्स्थापित किया है। इससे छात्रों को भारत के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। सामान्य ग्रेडिंग प्रणाली से चयनकर्ताओं को उम्मीदवारों के प्रदर्शन का पता लगाने में मदद मिलेगी। मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता लाने और संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सी.जी.पी.ए.) की गणना करने के लिए यू.जी.सी. ने निम्नलिखित दिशा - निर्देश पेश किए हैं।

चयनआधारितक्रेडिटसिस्टमकीरूपरेखा (सी.बी.सी.एस):

1. **कोरकोर्स:** एक कोर्स, जिसे अनिवार्य रूप से एक उम्मीदवार द्वारा एक मुख्य आवश्यकता के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए।
2. **वैकल्पिकपाठ्यक्रम:** आम तौर पर एक पाठ्यक्रम जिसे पाठ्यक्रमों के पूल से चुना जा सकता है और जो अध्ययन के विषय में एक विस्तारित दायरा प्रदान करता है जो किसी अन्य अनुशासन/विषय के लिए सहायक हो सकता है इसे वैकल्पिक पाठ्यक्रम कहा जाता है, यह उम्मीदवार की दक्षता/कौशल को पोषित करता है।
 - 2.1 **डिसिप्लिनविशिष्टवैकल्पिक (डीएसई) पाठ्यक्रम:** इलेक्टिव कोर्स मुख्य अनुशासन/विषय अध्ययन द्वारा पेश किए जा सकते हैं जिसे अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक कहा जाता है। विश्वविद्यालय/संस्थान अंतःविषय प्रकृति के अनुशासन से संबंधित ऐच्छिक पाठ्यक्रमों (मुख्य अनुशासन/अध्ययन के विषय द्वारा पेश किए जाने की पेशकश भी कर सकता है)।
 - 2.2 **शोधप्रबंध/परियोजना:** एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम विशेष/उन्नत ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि एक परियोजना कार्य के लिए पूरक अध्ययन/समर्थन अध्ययन, और एक उम्मीदवार एक शिक्षक/संकाय सदस्य द्वारा सलाहकार सहायता के साथ अपने दम पर इस तरह के पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, जिसे शोध प्रबंध/परियोजना कहा जाता है।
 - 2.3 **जेनेरिकवैकल्पिक (जीई) पाठ्यक्रम:** एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम है। जो आम तौर पर एक अनुशासन/विषय से चुना जाता है। इसे जेनेरिक वैकल्पिक कहा जाता है। पुनः एक अनुशासन /विषय में पेश किए गए एक कोर कोर्स को अन्य अनुशासन /विषय द्वारा ऐच्छिक माना जा सकता है और इसके विपरीत और ऐसे ऐच्छिक को जेनेरिक ऐच्छिक भी कहा जा सकता है।
3. **क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम (एइसी)/योग्यता संवर्धक पाठ्यक्रम/कौशल संवर्धक पाठ्यक्रम/फ़ाउंडेशन कोर्स:** "एइसी" पाठ्यक्रम ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाने वाली सामग्री के

आधार पर चुना गया पाठ्यक्रम है। यह (i) पर्यावरण विज्ञान, (ii) अंग्रेजी/एमआइ एल (संचार) सभी विषयों के लिए अनिवार्य है। एडइसी पाठ्यक्रम मूल्य आधारित / कौशल आधारित है। इनका उद्देश्य हाथों-हाथ प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है।

- 3.1 एडअनिवार्यपाठ्यक्रम (एडसीसी): पर्यावरण विज्ञान, अंग्रेजी संप्रेषण/ हिंदी संप्रेषण/ एमआइएल कम्यूनिकेशन।
- 3.2 एड ऐच्छिक पाठ्यक्रम (एडइसी): इन पाठ्यक्रमों को मूल्य-आधारित / कौशल आधारित निर्देश प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रमों के पूल से चुना जा सकता है। परियोजना कार्य/शोध प्रबंध को एक विशेष पाठ्यक्रम के रूप में माना जाता है जिसमें वास्तविक जीवन की स्थिति/कठिन समस्या को सुलझाने/विश्लेषण/खोज करने में ज्ञान का अनुप्रयोग शामिल है।
- 3.3 कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम-एसइसी मूल्य आधारित है और इसका उद्देश्य प्रशिक्षण, दक्षताएं, कौशल आदि प्रदान करना है।

संरचना से संबंधित जानकारी, चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम के तहत विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक को देखें। <http://www.du.ac.in/du/index.php?page=undergraduate>

बीए (प्रो) पाठ्यक्रम की संरचना (सीबीसीएस)

सेमेस्टर I	सेमेस्टर II	सेमेस्टर III	सेमेस्टर IV	सेमेस्टर-V	सेमेस्टर VI
डिसिप्लिन विशिष्ट कोर पेपर I	डिसिप्लिन विशिष्ट कोर पेपर III	डिसिप्लिन विशिष्ट कोर पेपर V	डिसिप्लिन विशिष्ट कोर पेपर VII	डिसिप्लिन विशिष्ट वैकल्पिक (डीएसइ-1अ)	डिसिप्लिन विशिष्ट वैकल्पिक (डीएसइ -2ब)
डिसिप्लिन विशिष्ट कोर पेपर II	डिसिप्लिन विशिष्ट कोर पेपर IV	डिसिप्लिन विशिष्ट कोर पेपर VI	डिसिप्लिन विशिष्ट कोर पेपर VIII	डिसिप्लिन विशिष्ट वैकल्पिक (डीएसइ -2अ)	डिसिप्लिन विशिष्ट वैकल्पिक (डीएसइ -2ब)
एडसीसी -1 अंग्रेजी / एमआइएल कम्यूनिकेशन	एडसीसी -2-इवीएस	एसइसी -1	एसइसी -2	एसइसी -3	एसइसी-4

कोर भाषा अंग्रेजी-1	कोर भाषा 2- एमआइएल-1 (हिन्दी/संस्कृत/पंजाबी)	कोर भाषा - एमआइएल-2 (हिंदी/संस्कृत /पंजाबी)	कोर भाषा - अंग्रेजी -2	जीइ -1	जीइ-2
------------------------	--	---	---------------------------	--------	-------

बी कॉम (प्रो) पाठ्यक्रम की संरचना (सीबीसीएस)

सेमेस्टर- I	सेमेस्टर- II	सेमेस्टर- III	सेमेस्टर - I V	सेमेस्टर-V	सेमेस्टर -VI
कोर पेपर I	कोर पेपर III	कोर पेपर V	कोर पेपर VII	डिसिप्लिन विशिष्ट वैकल्पिक(डीएसइ -1अ)	डिसिप्लिनविशिष्टवैकल्पिक (डीएसइ -1ब)
कोर पेपर II	कोर पेपर IV	कोर पेपर VI	कोर पेपर VI II	डिसिप्लिनविशिष्टवैकल्पिक(डीएसइ-2अ)	डिसिप्लिनविशिष्टवैकल्पिक (डीएसइ-2अ)
एइसीसी -1- इवीएस	एइसीसी-2- अंग्रेजी/एमआइएल कम्यूनिकेशन	एसइसी -1	एसइसी -2	एसइसी -3	एसइसी -4
कोर भाषा- अंग्रेजी- 1	कोर भाषा 2 - एमआइएल 1 (हिंदी/संस्कृत /पंजाबी)	कोर भाषा- एमआइएल 2 (हिंदी/संस्कृत /पंजाबी)	कोर भाषा- अंग्रेजी -2	जीइ -1	जीइ -2

बी ए / बी कॉम /बी एस सी आनर्स पाठ्यक्रम - सीबीसीएस की संरचना के अनुसार

सेमेस्टर I	सेमेस्टर 2	सेमेस्टर 3	सेमेस्टर 4	सेमेस्टर 5	सेमेस्टर 6
एइसीसी1 - इवीएस/कम्यूनिकेशन	एइसीसी2 - इवीएस/कम्यूनिकेशन	कोर पेपर- 5	कोर पेपर - 8	कोर पेपर -11	कोर पेपर - 13

(अंग्रेजी,हिंदी,संस्कृत)	(अंग्रेजी,हिंदी,संस्कृत)				
कोर पेपर -1	कोर पेपर -3	कोर पेपर -6	कोर पेपर -9	कोर पेपर -12	कोर पेपर -14
कोर पेपर -2	कोर पेपर - 4	कोर पेपर -7	कोर -10	डीएसइ-पेपर 1	डीएसइ-पेपर3
जीइ-1	जीइ-2	जीइ -3	जीइ -4	डीएसइ -पेपर -2	डीएसइ-पेपर -4
		एसइसी-1	एसइसी -2		

- एइसीसी सभी छात्रों के लिए सेमेस्टर 1 अथवा 2 में पढ़ना अनिवार्य है।
- डीएससी- डिसिप्लिन विशिष्ट कोर
- डीएसइ (डिसिप्लिन विशिष्ट इलेक्टिव) जो विभाग द्वारा प्रस्तवित है।
- जीइ - जेनरिक इलेक्टिव किसी असम्बंधित डिसिप्लिन से चूना गया।
- एमआइएल - आधुनिक भारतीय भाषाएं -(हिन्दी / संस्कृत / पंजाबी)
- एसइसी - (कौशल संवर्धक पाठ्यक्रम) महत्व आधारित है इसका उद्देश्य दक्षताओं ,कौशल को मजबूती प्रदान करना है।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिशानिर्देश और अनुसूची

1. स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश 2020 -21

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता आधारित है (यानी कक्षा 12वीं बोर्ड/योग्यता परीक्षाओं में मिले अंकों के आधार पर) या प्रवेश आधारित (इच्छुक छात्र द्वारा चयनित पाठ्यक्रम के आधार पर लिखित/व्यावहारिक परीक्षाओं के आधार पर) होगा।

- सभी आवेदकों को दिल्ली विश्वविद्यालय के निम्न पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा
<https://ug.du.ac.in>
- 2020 - 21 के लिए सभी स्नातक प्रवेश केवल इसी पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे।
- किसी भी आवेदक के लिए ऑफलाइन प्रवेश नहीं है।
- जिन आवेदकों ने विश्वविद्यालय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, वे ही प्रवेश के पात्र हो सकते हैं।
- आवेदकों को दिल्ली विश्वविद्यालय/ कालेज द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए प्रवेश प्रक्रिया के अंत में विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

होना होगा।

- अन्य सभी प्रवेश प्रक्रियाएं आवेदक द्वारा अपनी विशिष्ट लॉगिन आईडी का उपयोग करके पूरी की जा सकती हैं जो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पोर्टल पर अपनी आईडी बनाई है (पंजीकरण प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी)।

स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड

- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। (विदेशी छात्रों की श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक आवेदक पंजीकरण के लिए निम्नवेबसाइट पर अलग से आवेदन करें <http://ug.du.ac.in>.)
- आवेदक को किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालय की कक्षा 12 कक्षा पास होना आवश्यक है। जो भारत में या विदेश में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) द्वारा 10+2 प्रणाली के समकक्ष हो।
- आवेदक को आवश्यक प्रत्येक विषय में पास होना चाहिए (प्रैक्टिकल सहित यदि कोई हो) योग्यता और पाठ्यक्रम के लिए पात्रता की गणना के लिए यदि वे प्रवेश चाहते हैं।
- स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अंतर वर्षों वाले आवेदकों को प्रवेश के उद्देश्य से कोई नुकसान नहीं होगा।
- यूआर/एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के तहत आवेदक सभी कॉलेजों/विभागों में पाठ्यक्रमों में योग्यता और प्रवेश परीक्षा दोनों के आधार पर प्रवेश लेने के पात्र हैं। (सिवाय अल्पसंख्यक कॉलेज जिनमें कुछ श्रेणियां लागू नहीं हो सकती हैं)।
- सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों से संबंधित आवेदक अल्पसंख्यक कोटा के तहत विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्रवेश की मांग कर सकते हैं।
- निम्नलिखित श्रेणियों को "अधिसंख्य" नामित किया गया है:
 - i) दिव्यांग (विकलांग व्यक्ति);
 - ii) सीडब्ल्यू (अर्धसैनिक सहित सशस्त्र बलों के कामकों के बच्चे/विधवाएं);
 - iii) केएम ((कश्मीरी प्रवासी);
 - iv) जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति;
 - v) एसएस (सिक्किम छात्रों को नामित);
 - vi) डब्लू क्यू (वार्ड कोटा);
 - vii) इसीए (पाठ्येतर गतिविधियां);
 - viii) खेल।

नोट: उपर्युक्त i से viii तक की श्रेणियां उन पाठ्यक्रम पर लागू होती हैं, जहां प्रवेश योग्यता के आधार पर होता है। उपर्युक्त i और ii श्रेणियां केवल उन पाठ्यक्रमों पर लागू होती हैं जहां प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश होता है।

1.1 ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शुल्क

अनारक्षित/अपिव के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रमों में पंजीकरण शुल्क	रु.250
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग//ईडब्ल्यूएस के लिए पंजीकरण शुल्क	रु.100
इसीए/खेल के लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क	रु.100
अनारक्षित / अपिव के लिए प्रत्येक प्रवेश परीक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क	रु.750
अ. जा /अ. ज. जा./दिव्यांग/ईडब्ल्यूएस के लिए प्रत्येक प्रवेश परीक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क	रु.300
प्रवेश निरस्तीकरण शुल्क	रु.1000

पंजीकरण शुल्क की वसूली के बाद ही ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जाती है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजीकरण शुल्क सही पोर्टल पर प्रस्तुत किया गया है; विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश पोर्टल पर आवेदक के डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराए गए किसी भी अन्य लिंक के माध्यम से किए गए निवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया को समय पर अच्छी तरह से पूरा करें और अंतिम दिन का इंतजार न करें।

आवेदक पाए जाने पर पंजीकरण शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। बाद के चरण में पाठ्यक्रम या संबंधित श्रेणी के लिए अयोग्य आवेदक को सलाह दी जाती है जांच करें कि वे पाठ्यक्रम के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं जिसके लिये वे आवेदन कर रहे हैं।

प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति आवेदक के अध्ययन के संबंधित पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन है। यदि कोई आवेदक संबंधित पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए निर्धारित किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है और प्रवेश परीक्षा में दिखाई देता है, तो यह आवेदक के अपने जोखिम और लागत पर होता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, प्रवेश यदि दिया गया है, तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।

2सनातक योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किए गए पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सुझाए गए पाठ्यक्रम और श्रेणीवार योग्यता सूची का पालन दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों/विभागों द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संकायों जैसे कला, सामाजिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी, गणितीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इंटर-डिसिप्लिनरी और एप्लाइड साइंसेज के तहत विभिन्न संकायों में अपने संबद्ध कॉलेजों के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सभी स्नातक कार्यक्रमों (पाठ्यक्रम संरचना के बारे में जानकारी के लिए परिशिष्ट एक्स देखें) के लिए च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लागू किया है। स्नातक स्तर पर प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पात्रता के लिए विभिन्न मानदंड नीचे सूचीबद्ध हैं। आवेदकों को इन बिंदुओं को अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए।

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश सूचना के इस बुलेटिन में विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न मानदंडों और प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। सूचना बुलेटिन के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित लोगों के अलावा कॉलेजों द्वारा कोई अतिरिक्त पात्रता मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

2.1 योग्यता आधारित स्नातक प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम - वार योग्यता सूची

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सुझाए गए पाठ्यक्रम और श्रेणीवार मेरिट सूची का पालन दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों/विभागों द्वारा किया जाएगा।

कला, वाणिज्य, गणितीय विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकायों के माध्यम से पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आवेदक द्वारा दर्ज किए गये अंक पाठ्यक्रम विशिष्ट संयोजनों के "श्रेष्ठ चार" के कुल अंकों की गणना के आधार पर तथा विज्ञान, एप्लाइड सामाजिक विज्ञान और मानविकी, और "तीन विषयों" के तहत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के रूप में काम करेंगे। यह यूजी प्रवेश पोर्टल पर पहले प्रदर्शित किया जा सकता है

कॉलेजों/विभागों द्वारा पहले कट ऑफ मार्क्स की घोषणा।

सुझाए गए कोर्स और श्रेणीवार मेरिट लिस्ट के प्रकाशन के बाद जिन आवेदकों के अंक अपडेट किए जाते हैं, उनके लिए एक अलग अपडेटेड मेरिट लिस्ट को अनुबंध के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

उक्त मेरिट सूची को सुगम बनाने के लिए आवेदक सूची ए और सूची बी से प्रासंगिक विषयों का चयन कर सकता है।

2.1.1 पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंडों में छूट

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के आवेदकों की पात्रता और योग्यता निर्धारित करने के लिए उनको अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित संबंधित पात्रता मानदंड और निर्धारित प्रवेश के लिए योग्यता में 5% की छूट निर्धारित की गयी है यदि, 5% छूट देने के बाद, ये आरक्षित सीटें खाली रहती हैं, तो संबंधित पाठ्यक्रम सभी आरक्षित सीटों को भरने के लिए रिक्त, और छूट आवश्यक सीमा तक दी जाएगी। ऐसे मामलों में पात्रता उत्तीर्णता प्रतिशत मात्र है।
- पात्रता और योग्यता निर्धारित करने के लिए ओबीसी वर्ग के आवेदकों को यूआर श्रेणी से आवेदकों के लिए निर्धारित पात्रता अंकों में से 10 प्रतिशत तक अर्हता परीक्षा में संबंधित पात्रता में छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता यूआर श्रेणी के आवेदकों के लिए 40% है, तो ओबीसी श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 36% (यानी 40% माइनस 40% का 10% होगी)।
- दिव्यांग श्रेणीके आवेदकों को क्वालीफाइंग परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रम के लिए संबंधित पात्रता में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता यूआर श्रेणी के आवेदकों के लिए 40% है, तो दिव्यांग श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 38% (यानी 40% माइनस 40% का 5% होगी)।
- सीडब्ल्यू श्रेणी से आवेदक को क्वालीफाइंग परीक्षा में संबंधित कोर्स के लिए संबंधित पात्रता में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता यूआर श्रेणी के आवेदकों के लिए 40% है, तो सीडब्ल्यू श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 38% (यानी 40% माइनस 40% की 5%) होगी।
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत योग्यता आधारित प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अनारक्षित श्रेणी के समान होंगे।

2.1.2 पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता और विषयों की मेरिट सूचियों की गणना:

सूची क: भाषा विषय					
लिस्टक1					लिस्टक2
असमिया कोर / असमियावैकल्पिक	गुजराती कोर / गुजरातीवैकल्पिक	मैथिली कोर/ मैथिलीवैकल्पिक	ओडिया कोर / ओडिया वैकल्पिक	तमिल कोर / तमिलवैकल्पिक	अरबी कोर/ अरबीवैकल्पिक
बंगाली कोर/ बंगाली वैकल्पिक	हिन्दी कोर/ हिन्दी वैकल्पिक	मलयालम कोर / मलयालम वैकल्पिक	पंजाबी कोर/ पंजाबी वैकल्पिक	तेलुगू कोर/ तेलुगू वैकल्पिक	फ्रेंच कोर/ फ्रेंच वैकल्पिक
बोडो कोर/ बोडो वैकल्पिक	कन्नड़ कोर/ कन्नड़ वैकल्पिक	मणिपुरी कोर/ मणिपुरी वैकल्पिक	संस्कृत कोर / संस्कृत वैकल्पिक	उर्दू कोर/ उर्दू वैकल्पिक	जर्मन कोर/ जर्मन वैकल्पिक
डोगरी कोर/ डोगरी वैकल्पिक	कश्मीरी कोर/ कश्मीरी वैकल्पिक	मराठी कोर/ मराठी वैकल्पिक	संथाली कोर/ संथाली वैकल्पिक		इटालियन कोर / इटालियन वैकल्पिक

अंग्रेजी कोर /अंग्रेजी वैकल्पिक	कोंकणी कोर/कोंकणीवैकल्पिक	नेपाली कोर/नेपालीवैकल्पिक	सिंधी कोर/सिंधीवैकल्पिक	परसियन कोर/ परसियन वैकल्पिक
				स्पेनिश कोर /स्पेनिश वैकल्पिक
लिस्ट ब : (वैकल्पिक विषय)				
लेखाकर्म		कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर अनुप्रयुक्त/आसूचना पद्धतियाँ		गणित
आंश्रुपोलाजी		अर्थशास्त्र		दर्शनशास्त्र/तर्क/दर्शनशास्त्र
जीव विज्ञान/जैवरसायन /जैवप्राद्योगिकी		भूगोल		भौतिक विज्ञान
व्यापार गणित		भूगर्भशास्त्र		राजनीति विज्ञान
रसायन विज्ञान		इतिहास		गृह विज्ञान
नागरिकशास्त्र		गृह विज्ञान		नागरिक शास्त्र
कामर्स/ बिजनेस स्टडीज़		विधिक अध्ययन		सांख्यिकी

कम्पुटिंग मेरिट गणना: सामान्य दिशानिर्देश पाठ्यक्रम विशिष्ट पात्रता मानदंड उस मेरिट स्कोर का निर्धारण करते हैं जिस पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश आधारित होता है। आवेदकों को इन मानदंडों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए ताकि वे यह समझ सकें कि क्या वे अर्हता प्राप्त करते हैं। विस्तृत पाठ्यक्रम विशिष्ट मानदंड नीचे अनुभाग 2.2 - 2.9 में हैं।

1. सभी अकादमिक विषयों को "वैकल्पिक" माना जा सकता है। गणना के लिए पात्र विषय (के अधीन पाठ्यक्रम-विशिष्ट मानदंड) सूची ए और सूची बी में ऊपर सूचीबद्ध हैं।
2. विश्वविद्यालय किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए अकादमिक/ऐच्छिक के रूप में किसी अन्य प्रासंगिक विषयों को परिभाषित कर सकता है।
3. योग्यता की गणना कला, वाणिज्य, गणितीय विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, एप्लाइड सामाजिक विज्ञान और मानविकी के संकायों के माध्यम से पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों में क्वालीफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों के पाठ्यक्रम-विशिष्ट संयोजनों और विज्ञान और एप्लाइड साइंसेज के संकायों के तहत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए "तीन विषयों" के पाठ्यक्रम-विशिष्ट संयोजनों के माध्यम से की जाती है।

2.1.3 सीबीएसई के अलावा अन्य बोर्डों के लिए विशेष निर्देश

1. यदि किसी पेपर का शीर्षक ऊपर सूची ए और सूची बी में निर्दिष्ट है, तो आवेदक के लिए संस्थान के प्रधान/प्रमुख से सामग्री तुल्यता प्रमाण पत्र प्रदान करना अनिवार्य है, यह प्रमाणित करता है कि पेपर की सामग्री उस पेपर के लिए एनसीइआरटी कक्षा 12वीं पाठ्यक्रम के बराबर है। यह तुल्यता प्रमाण पत्र संस्थान के प्रमुख द्वारा सत्यापित पेपर के पाठ्यक्रम की प्रति के साथ होना चाहिए। हालांकि इस मामले पर दिल्ली विश्वविद्यालय का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा।
2. यदि आवेदक ने "वनस्पति विज्ञान" और "प्राणी विज्ञान" का अलग से अध्ययन किया है, तो इन दोनों पेपरों में कुल अंक आपके प्रवेश फार्म में प्रदान किए गए "जीव विज्ञान" शीर्षक के तहत सिद्धांतिक और प्रायोगिक अंकों के लिए संबंधित क्षेत्रों में दर्ज किए जाने चाहिए।
3. यदि आवेदक की मार्कशीट में कक्षा 11 और 12वीं दोनों के अंक होते हैं तो आवेदक को प्रवेश फार्मों में दिए गए संबंधित क्षेत्रों में केवल 12वीं कक्षा के अंक ही दर्ज करने होंगे।
4. आवेदकों को थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग से पास होना आवश्यक है। अगर पेपर में थ्योरी 70% से कम हो तब भी थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले किसी भी पेपर के लिए केवल 70% थ्योरी 30% प्रैक्टिकल के अनुपात पर विचार किया जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र में अपने अंकपत्र के अनुसार अंक थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रत्येक के लिए अधिकतम अंक और कुल योग अलग-अलग भरना चाहिये। यदि थ्योरी और प्रैक्टिकल का विभाजन निर्दिष्ट नहीं है, तो आवेदक को इसके लिए पहले क्षेत्र ("थ्योरी") में केवल अपने कुल अंक दर्ज करने की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में (नमूना गणना के लिए परिशिष्ट नौवीं, उदाहरण 1 देखें)।
5. किसी भी मार्कशीट में उल्लिखित "आंतरिक मूल्यांकन" अंक, यदि कोई हो, तो किसी के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। (नमूना गणना के लिए परिशिष्ट नौवीं, उदाहरण 2 देखें)।
6. थ्योरी, प्रैक्टिकल या योग से संबंधित अंकों में कोई विसंगति की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। आवेदकों फार्म को भरने में अत्यंत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। प्रवेश फार्म में त्रुटियां होने पर पंजीकरण फॉर्म निरस्त किया जा सकता है।

2.2 योग्यता आधारित कला संकाय के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले बी ए (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों में प्रवेश

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और गणना के लिए विषयों का संयोजन
-----------	--

	योग्यता
बी. ए.(आनर्स) अंग्रेजी	<ul style="list-style-type: none"> • अर्हता परीक्षा में अंको का कुल योग 45% • आवेदक ने अर्हता परीक्षा में अंग्रेजी का अनिवार्य रूप से अध्ययन किया हो और उत्तीर्ण भी हो और 'सर्वश्रेष्ठ चार' की गणना के लिए अंग्रेजी शामिल करे। • मेरिट का निर्धारण "सर्वश्रेष्ठ चार" के आधार पर किया जाएगा जिसमें एक भाषा और सूची ए और सूची बी में विषयों में से तीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक/ऐच्छिक विषयों को शामिल किया गया हो। • सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में सूची ए और सूची बी के अलावा किसी भी विषय को शामिल करने से कुल "सर्वश्रेष्ठ चार" में शामिल ऐसे विषय के अनुसार २.५% की कटौती होगी। • 'बेस्ट फोर' प्रतिशत में 2% का लाभ उन आवेदकों को दिया जाएगा जिन्होंने एक वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन किया है (सूची ए देखें)
बी.ए.(आनर्स) हिंदी	<ul style="list-style-type: none"> • क्वालीफाइंग परीक्षा में कुल 45 फीसद अंक। • अंकों के कुल योग में 40% और संबद्ध विषय में 50% अंक प्राप्त करने वाले आवेदक भी उपयुक्त आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य होगा। • ऐसे आवेदक जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो कम से कम 40% अंकों के साथ और "हिंदी में प्रभाकर" भी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। • आवेदक ने क्वालीफाइंग परीक्षा में हिंदी उत्तीर्ण की होगी और इसमें शामिल होना चाहिए 'बेस्ट फोर' प्रतिशत की गणना के लिए हिंदी की पढाई की होगी।
बीए (आनर्स) अरबी/ बंगाली/ फारसी/ पंजाबी/ संस्कृत/ उर्दू	<ul style="list-style-type: none"> • क्वालीफाइंग परीक्षा में कुल 45 फीसद अंक • कुल प्राप्तांक में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले आवेदक और संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले आवेदक भी संबंधित आनर्स कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र हैं। • जिन्होंने इंटर आवेदकों को कुल में कम से कम 40% अंकों के साथ भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की है और निम्नलिखित परीक्षाओं में से एक नीचे दिए गए आनर्स कोर्स के संबंधित विषय में प्रवेश के लिए पात्र होगा: <ul style="list-style-type: none"> • अरबी में मौलवी फाजिल • फारसी में मुंशी फाजिल • पंजाबी में ज्ञानी • संस्कृत में शास्त्री • उर्दू में अदीब फाजिल

	<ul style="list-style-type: none">• मेरिट का निर्धारण एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक/ऐच्छिक विषयों के आधार पर सूची ए और ऊपर की सूची बी से किया जाएगा ।• सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में सूची ए और सूची बी के अलावा किसी भी विषय को शामिल करने से कुल "सर्वश्रेष्ठ चार" प्रतिशत में शामिल ऐसे विषय के अनुसार २.५% की कटौती होगी ।• किसी भी भाषा पाठ्यक्रम में ऑनर्स में प्रवेश के लिए, 2% का लाभ उन आवेदकों को कुल ' सर्वश्रेष्ठ चार ' प्रतिशत में दिया जाएगा जिन्होंने उस विशेष ऐच्छिक भाषा का अध्ययन किया है ।• यदि आवेदक ने योग्यता परीक्षा स्तर पर किसी भाषा का अध्ययन नहीं किया है और उस भाषा में ऑनर्स कोर्स में प्रवेश की मांग कर रहा है, तो 5% की कटौती ' बेस्ट फोर ' कुल प्रतिशत पर लगाई जाएगी ।
--	---

2.2 बीए (ऑनर्स)सामाजिक विज्ञान संकाय के माध्यम से बीए (ऑनर्स)/बीए (वोकेशनल) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और गणना के लिए विषयों का संयोजन योग्यता
<p>बीए (ऑनर्स) एप्लाइड साइकोलॉजी/जियोग्राफी/इतिहास/राजनीति विज्ञान/सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र/दर्शन/मनोविज्ञान</p>	<ul style="list-style-type: none"> • क्वालीफाइंग परीक्षा में कुल 45 फीसद अंक। • मेरिट का निर्धारण एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक/ऐच्छिक विषयों के आधार पर किया जाएगा जैसा कि सूची ए और सूची बी में निर्दिष्ट है। • सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में सूची ए और सूची बी के अलावा किसी भी विषय को शामिल करने से कुल "सर्वश्रेष्ठ चार" प्रतिशत में शामिल ऐसे विषय के अनुसार २.५% की कटौती होगी। • ऊपर चुने गए तीन अकादमिक/ऐच्छिक विषयों में से एक संबंधित विषय होना चाहिए जिसमें प्रवेश की मांग की जाती है, ऐसा न होने पर कुल "सर्वश्रेष्ठ चार" प्रतिशत पर २.५% की कटौती लगाई जाएगी। यह कटौती बीए ऑनर्स सोशल वर्क और बीए ऑनर्स फिलॉसफी पर लागू नहीं होगी। • बीए (ऑनर्स) एप्लाइड साइकोलॉजी में प्रवेश 'बेस्ट फोर' प्रतिशत बीए (ऑनर्स) मनोविज्ञान के आधार पर होगी। • बीए (ऑनर्स) सामाजिक कार्य और बीए (ऑनर्स) दर्शन शास्त्र में प्रवेश एक भाषा और तीन अकादमिक/ऐच्छिक विषयों सहित 'सर्वश्रेष्ठ चार' प्रतिशत पर आधारित होगा।
<p>बीए (आनर्स) अर्थशास्त्र</p>	<ul style="list-style-type: none"> • क्वालीफाइंग परीक्षा में कुल 45% अंक। • अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) में प्रवेश हेतु आवेदक ने अर्हता परीक्षा में गणित का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया हो तथा उत्तीर्ण की हो। • योग्यता का निर्धारण एक भाषा और तीन श्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषय के आधार पर किया जाएगा, जो ऊपर की सूची ए और सूची बी में है। • ऊपर चुने गए तीन अकादमिक/ऐच्छिक विषयों में से एक संबंधित विषय होना चाहिए जिसमें प्रवेश की मांग की जाती है, ऐसा न होने पर श्रेष्ठ चार के प्रत्येक विषय से कुल पर 2.5% की कटौती लागू की जाएगी। • "श्रेष्ठ तीन" में सूचियों ए और बी में दिए गए विषयों के अलावा किसी भी विषय को शामिल करने पर श्रेष्ठ चार के कुल पर प्रति विषय 2.5% की कटौती होगी।

2.3 योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया स्नातक(प्रोग्राम)

आवेदकों द्वारा की पेशकश की संयोजन से दो "अनुशासन" विषयों का एक संयोजन चुनते हैं (संबंधित कॉलेजों द्वारा प्रदान किए जाने वाले संयोजनों और सीटों को देखने के लिए परिशिष्ट II देखें)। मापदंड इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वांछित संयोजन पर आधारित हैं।

कोर्स	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और विषयों का संयोजन
बीए (प्रोग्राम) (अनुशासनविषयसंयोजनआधारितप्रवेश)	<ul style="list-style-type: none"> • क्वालीफाइंग परीक्षा में कुल 40 प्रतिशत अंक। • योग्यता का निर्धारण एक भाषा (कोर/इलेक्टिव/फंक्शनल) के आधार पर किया जाएगा और ऊपर की सूची ए और सूची बी में निर्दिष्ट तीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक/ऐच्छिक विषयों को चुना जा सकता है। • एक गैर सूचीबद्ध विषय (सूचियों ए और बी में वैकल्पिक विषयों के अलावा) को बिना किसी कटौती के 'सर्वश्रेष्ठ चार' की गणना में शामिल किया जा सकता है। • बीए(प्रोग्राम) में प्रवेश के लिए कोर्स में बदलाव होने पर 'बेस्ट फोर' पर 5% तक की कटौती की जा सकती है। प्रत्येक कॉलेज के लिए विशिष्ट ऐसी किसी भी कटौती के बारे में जानकारी कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। • यदि 'सर्वश्रेष्ठ चार' की गणना के लिए एक से अधिक गैर-सूचीबद्ध विषय शामिल हैं, तो कोर्स बदलने के कारण कटौती के अलावा 'सर्वश्रेष्ठ चार' में 2.5% की कटौती लगाई जा सकती है, यदि कोई हो.

2.4 वाणिज्य और व्यावसायिक अध्ययन संकाय के माध्यम से बी.कॉम (ऑनर्स)/ बी कॉम में योग्यता आधारित प्रवेश

कोर्स	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और विषयों का संयोजन
बीकॉम (आनर्स)	<ul style="list-style-type: none"> • क्वालीफाइंग परीक्षा में कुल 45% अंक। • बी कॉम (ऑनर्स) में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त परीक्षा में परिशिष्ट आठवीं में निर्दिष्ट गणित/व्यावसायिक गणित/समकक्ष पेपर का अध्ययन किया होगा और उत्तीर्ण किया होगा • चयन निम्नलिखित के अनुसार एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ विषयों सहित क्वालीफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा: <ul style="list-style-type: none"> ○ अंग्रेजी/हिंदी में कुल ४५% या उससे अधिक और निम्नलिखित विषयों में सर्वश्रेष्ठ तीन का संयोजन: गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और व्यापार अध्ययन/वाणिज्य। ○ सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में उल्लिखित के अलावा सूची बी से किसी भी विषय को शामिल करने से कुल तीन पर प्रति विषय 1% की कटौती होगी। • सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में सूची ए और सूची बी में उन लोगों के अलावा किसी भी विषय को शामिल करने से सर्वश्रेष्ठ चार के कुल योग पर प्रति विषय २.५% की कटौती होगी।
बीकॉम	<ul style="list-style-type: none"> • क्वालीफाइंग परीक्षा में कुल 40 प्रतिशत अंक। • चयन निम्नलिखित के अनुसार एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ विषयों सहित क्वालीफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा: <ul style="list-style-type: none"> ○ अंग्रेजी/हिंदी में ४०% या उससे अधिक का एक कुल और निम्नलिखित विषयों में से सर्वश्रेष्ठ तीन का संयोजन: गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और बिजनेस स्टडीज/कॉमर्स। • सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में उल्लिखित के अलावा सूची बी से किसी भी विषय को शामिल करने से कुल तीन पर प्रति विषय 1% की कटौती होगी। • सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में सूचियों ए और बी में उन लोगों के अलावा किसी भी विषय को शामिल करने से कुल मिलाकर प्रति विषय २.५% की कटौती होगी।

2.5 विज्ञान संकाय और इंटर-डिसिप्लिनरी एंड एप्लाइड साइंसेज के माध्यम से दिए जाने वाले

कोर्स	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और योग्यता की गणना के लिए विषयों का संयोजन
बीएससी.(आनर्स) गृहविज्ञान	<ul style="list-style-type: none"> सूची बी से भौतिकी/रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/बायोकेमिस्ट्री और अन्य विषयों के किसी भी तीन के कुल में 50% या उससे अधिक अंक । योग्यता की गणना भौतिकी/रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/बायोकेमिस्ट्री के कम से कम एक विषय सहित कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी । सूची बी से भौतिकी/रसायन विज्ञान, जीव

2.6 योग्यता- आधारित स्नातक प्रवेश प्रक्रिया

चरण I: स्नातक प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण

आवेदक अपने व्यक्तिगत उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाने के लिए विश्वविद्यालय यूजी प्रवेश पोर्टल का उपयोग करता है, अपने पंजीकरण फॉर्म को भरता है, अपनी रुचि के पाठ्यक्रमों का चयन करता है, और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करता है। (पंजीकरण कैसे करें, इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश यथासमय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे) आवेदकों को अपना फॉर्म भरने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

फॉर्म में आवेदकों द्वारा दर्ज की गई अधिकांश जानकारी को फॉर्म जमा करने के बाद संपादित और सही करना संभव नहीं होगा।

1. स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
2. यूजी एडमिशन पोर्टल तक पहुंचने के लिए किसी भी पहली बार यूजर को वैध ई-मेल आईडी के साथ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
3. जिन आवेदकों के पास वैध ई-मेल आईडी नहीं है, उन्हें आगे बढ़ने से पहले ई-मेल आईडी बनानी होगी।
4. आवेदक को इस ई-मेल आईडी को आसान रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसे पोर्टल पर अपने खाते के साथ-साथ प्रवेश प्रक्रिया के दौरान भविष्य के सभी पत्राचार के लिए भी उपयोग करना होगा।

5. डिफॉल्ट सेटिंग्स सभी आवेदकों को सभी पाठ्यक्रमों (बिना किसी दंड के) के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देती है।
6. आवेदक सभी कॉलेजों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे बशर्ते वे कॉलेजों की कट ऑफ और चयनित पाठ्यक्रमों की पात्रता को संतुष्ट करें।
7. यदि आवेदकों के परीक्षा परिणाम लंबित हैं या उन्होंने पेपरों में फिर से प्रवेश दिया है, तो वे विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि तक अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके इन अंकों को अपडेट कर सकेंगे।
8. दस्तावेजों को अपलोड करने में अत्यंत सावधानी बरती जानी चाहिए। आवेदकों को उन प्रमाणपत्रों की स्कैन प्रतियों की आवश्यकता होगी जिनके आधार पर वे प्रवेश का दावा करना चाहते हैं
 - a. दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र
 - b. बारहवीं कक्षा का प्रमाण पत्र
 - c. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित आरक्षण प्रमाण पत्र
 - d. खेल/ईसीए श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां
 - e. संगीत के प्रवेश के लिए अपलोड की गई क्लिप का लिंक
 - f. फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या स्कूल पहचान पत्र)
9. आवेदकों को उनके द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी जानकारी के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें प्रमाण पत्रों की प्रतियां शामिल हैं। वे अपने द्वारा अपलोड की गई फाइलों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के लिए भी जिम्मेदार होंगे। आवेदक अपने फॉर्म का पूर्वावलोकन और अपलोड किए गए दस्तावेज देख सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान इस आधार पर अस्वीकृति से बचने के लिए आवेदकों को सभी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

चरण II: पंजीकरण शुल्क का भुगतान

आवेदन पत्र तभी जमा माना जाएगा जब आवेदक ने संबंधित पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया हो। इस शुल्क का भुगतान आवेदक के डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। पंजीकरण शुल्क के भुगतान के लिए उत्पन्न इस ऑनलाइन लिंक के अलावा आवेदकों के लिए कोई विधि उपलब्ध नहीं है। जब आवेदक ने सफलतापूर्वक पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन, शुल्क प्रस्तुत किया है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भुगतान की लेनदेन आईडी, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग विवरण और भविष्य के संदर्भ के लिए सबूत के रूप में लेनदेन की तारीख का रिकॉर्ड रखें। इसके अलावा, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अंतिम मिनट की गड़बड़ियों से बचने के लिए समय सीमा से पहले प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा करें।

चरण III: पोर्टल का पुनः खुलना

आवेदन के लिए अंकों को अद्यतन करने और उन्हें प्रदान की गई इस खिड़की के दौरान फार्म में मामूली सुधार करने की अनुमति दी जाएगी। यह केवल एक बार की प्रक्रिया होगी।

चरण IV: कट ऑफ की घोषणा

विश्वविद्यालय न्यूनतम पांच कट-ऑफ की घोषणा करेगा। यदि अभी कुछ रिक्त सीटें बची हैं, तो विश्वविद्यालय द्वारा आगे कट-ऑफ की घोषणा की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय आरक्षित वर्ग के मुकाबले खाली सीटों को भरने के लिए विशेष अभियान भी चला सकता है। पहले पांच कट-ऑफ के बाद खाली सीटों के मामले में केवल उन उम्मीदवारों के लिए विशेष कट-ऑफ होगी जिन्हें किसी भी कारण से शुरुआती पांच कट-ऑफ में प्रवेश नहीं मिला है।

स्पेशल कट – ऑफ

- i. स्पेशल कट ऑफ दाखिले के लिए कट ऑफ कॉलेज द्वारा किसी खास पाठ्यक्रम के लिए घोषित आखिरी कट ऑफ होगी। अर्थात यदि किसी कॉलेज ने किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए तीसरी कट ऑफ घोषित की थी और उसके बाद आगे कोई कट ऑफ घोषित नहीं किया गया था, और विश्वविद्यालय द्वारा कट ऑफ का 5वां राउंड पूरा करने के बाद खाली सीटें हैं, तो कॉलेज के इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए विशेष कट ऑफ वह होगी जो तीसरी कट ऑफ में घोषित की गई थी।
- ii. कॉलेज 5वीं कट ऑफके बाद हर पाठ्यक्रम में खाली रह गई सीटों की संख्या घोषित करेंगे।
- iii. इस विशेष कट -ऑफ के दौरान आवेदक को कहीं अन्यत्र जाने की अनुमति नहीं होगी
- iv. आवेदक उपलब्ध पाठ्यक्रम (ए) प्राथमिकताएं देता है और उपलब्ध कॉलेज (बी) को।
- v. पाठ्यक्रम और कॉलेजों के लिए आवंटन, केवल विशेष कट-ऑफ के लिए, फार्मूला (न्यूनतम ए + न्यूनतम बी) का उपयोग करके केंद्रीय रूप से बनाया जाएगा जहां एक पाठ्यक्रम को वरीयता दी जाती है और बी एक कॉलेज को वरीयता, बी ए पर निर्भर करेगा।

चरण V: कोर्स और कॉलेज का चयन

कट ऑफ सूची की घोषणा पर आवेदकों को यूजी प्रवेश पोर्टल पर अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करने के लिए पाठ्यक्रम और कॉलेज में, वे जिन कॉलेजों और पाठ्यक्रमों के लिए पात्र है, की सूची में प्रवेश का दावा करना चाहते हैं चुनना होगा। एक बार में कट ऑफ लिस्ट के दौरान आवेदक को केवल एक कोर्स और एक कॉलेज चुनने की अनुमति है। कई कॉलेज में एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है।

- i. कृपया ध्यान दें आवेदक के कॉलेज का चयन और कोर्स यूजी प्रवेश पोर्टल पर अपने डैशबोर्ड के माध्यम से ही ऑनलाइन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कॉलेजों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है।

- ii. आवेदक द्वारा पाठ्यक्रम और कॉलेज चुनने की प्रक्रिया निर्धारित समय अंतराल में पूरी की जानी चाहिए।
- iii. एक कट ऑफ के भीतर आवेदक को अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और कॉलेज को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चरण VI: संबंधित कॉलेजों द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन

कॉलेज पात्रता के लिए आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और आवश्यक कट ऑफ को पूरा करेगा।

- i. पाठ्यक्रम प्रभारी न्यूनतम योग्यता और कट-ऑफ आवश्यकता को सत्यापित करने के लिए, अन्यथा अस्वीकार करने के लिए।
- ii. संयोजक प्रवेश को फिर से जांचने और प्रवेश या गिरावट को मंजूरी देने के लिए।
- iii. प्रिंसिपल (ii) में अनुमोदित मामलों के लिए प्रवेश को मंजूरी देने के लिए और संयोजक द्वारा अस्वीकार कर दिया उन लोगों के लिए प्रवेश में गिरावट की पुष्टि करने के लिए।
- iv. आवश्यक दस्तावेजों की कमी होने पर उम्मीदवार से ईमेल/फोन पर संपर्क किया जाए ताकि उसे उपलब्ध कराया जा सके। यदि उम्मीदवार जवाब नहीं देता है, या जहां दस्तावेज अपर्याप्त रहते हैं, तो कारण का हवाला देते हुए प्रवेश अस्वीकार कर दिया जाएगा। कोई आवेदन दुविधा में नहीं छोड़ जाएगा। इसे या तो मंजूरी दी जाएगी या फिर मना कर दिया जाएगा।
- v. आवेदक को उनके डैशबोर्ड पर आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा।
- vi. अनुमोदित लोगों को शुल्क का भुगतान करना और उनके प्रवेश की पुष्टि प्राप्त करना आवश्यक है। अस्वीकृत प्रवेश को शिकायत समिति के साथ कोई आपत्ति उठाने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाता है।

चरण VII: प्रवेश की पुष्टि हेतु शुल्क का भुगतान

एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रवेश को मंजूरी दे दी है, तो आवेदक यूजी प्रवेश पोर्टल पर अपने डैशबोर्ड पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से वे कॉलेज/पाठ्यक्रम की फीस जमा करना होगा। इस शुल्क का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन किया जा सकता है।

- i. आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा प्रवेश के अनुमोदन के 24 घंटे के भीतर बिना देरी के शुल्क का भुगतान करे, और पावती पर्ची को सहेजें। लेन-देन आईडी, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग विवरण और भविष्य के संदर्भ के लिए एक सबूत के रूप में लेनदेन की तारीख। फीस का सफल भुगतान करने पर आवेदक को उक्त कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन दिया जाता है।
- ii. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आवेदकों को आवंटित समय सीमा के भीतर शुल्क का भुगतान, असफल जो यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आवेदक उस कॉलेज में अध्ययन के पाठ्यक्रम में रुचि नहीं है, और प्रवेश स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

- iii. एक बार आवेदक ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है, तो उन्हें एक ऑनलाइन घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा जिसमें कहा गया है, "मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी सही है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है और/या मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि प्रवेश तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। मैं विश्वविद्यालय और कॉलेज द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन करूंगा"।

चरण VIII: मूल दस्तावेजों का सत्यापन

अपलोड किए दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित कॉलेजों द्वारा निर्धारित तिथि में किया जाएगा। यदि इस स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी झूठी है और/या प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है, तो प्रवेश तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में कोई फीस वापस नहीं की जाएगी।

बाद की कट-ऑफ में पाठ्यक्रम / कालेज बदलने की प्रक्रिया

यदि बाद की सूचियों में आवेदक स्वयं को किसी अन्य कॉलेजों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र पाता है, तो उन्हें पाठ्यक्रम/महाविद्यालय/विभाग की पात्रता आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक जांच करके अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए।

- i. आवेदकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है कि वे कॉलेज/पाठ्यक्रम के मिलते ही एक बार जब वे कुछ कर रहे हैं वे रद्द करना चाहते हैं। पाठ्यक्रम/कॉलेज में प्रवेश वे शुरू में पिछले में प्रवेश प्राप्त किया था सूची, आवेदक को अपने प्रवेश को रद्द करने के लिए यूजी प्रवेश पोर्टल पर लॉग इन करना होगा उनके डैशबोर्ड के माध्यम से।
- ii. एक रद्दीकरण शुल्क लगाया जाएगा, और वे अब एक नया संयोजन चुन सकते हैं पाठ्यक्रम और कॉलेज, पात्रता और बैठक पाठ्यक्रम विशिष्ट आवश्यकताओं के अधीन। एक बार फिर, आवेदक को कदम वी-8 पूरा करना होगा।
- iii. प्रति कट-ऑफ सूची में केवल एक रद्दीकरण की अनुमति है। में पुनर्निर्माण के लिए रद्द पहली कट ऑफ लिस्ट में एक और मेरिट बेस्ड कॉलेज/कोर्स संभव नहीं होगा। ऐसे रद्द जिसमें आवेदक एक और योग्यता आधारित में पुनर्निर्माण चाहता है। कॉलेज/कोर्स विकल्प केवल बाद की सूची में बाद में प्रयास किया जा सकता है। एक के भीतर कटऑफ आवेदक को अपनी पसंद का कोर्स और कॉलेज बदलने की अनुमति नहीं होगी। रद्द करने की कुल संख्या (एन-1) तक सीमित होगी जहां "n" कुल है कट ऑफ सूचियों की संख्या।
- iv. एक बार जब कोई आवेदक अपना प्रवेश रद्द कर जाता है, तो उसे फिर से प्रवेश नहीं दिया जा सकता है पाठ्यक्रम/कॉलेज स्वचालित रूप से, और प्रवेश प्रक्रिया नए सिरे से गुजरना होगा, सीटों की उपलब्धता और आवेदक बैठक पाठ्यक्रम विशिष्ट पात्रता के अधीन आवश्यकताओं।

- v. जब आवेदक बाद की कट ऑफ सूची में अपना पिछला प्रवेश रद्द कर देता है, वापस की गई शुल्क राशि डैशबोर्ड के "वॉलेट" अनुभाग में दिखाई देगी। एक हजार रुपये (केवल एक हजार रुपये) का रद्द शुल्क काटा जाएगा और यह होगा "वॉलेट" में दिखाई देने वाली वापसी की राशि में परिलक्षित हो।
- vi. बाद में प्रवेश को मंजूरी देने के बाद डैशबोर्ड के माध्यम से, प्रवेश शुल्क व स्वचालित रूप से समायोजित किया जाएगा और आवेदक को केवल शेष शुल्क का भुगतान करना होगा यदि यह पहले से ही पिछले कॉलेज में भुगतान की फीस से अधिक है। यदि बाद में शुल्क कालेज कम है, शेष राशि आवेदक के खाते में या एक खाते में वापस कर दिया जाएगा दाखिले के बाद कॉलेज/विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आवेदक द्वारा घोषित

मेरिट आधारित यूजी प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी तरह के बदलाव की स्थिति में इसे अधिसूचित किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट। सभी उम्मीदवारों को प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और शैड्यूल जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.du.ac.in) पर अधिसूचित किया जाएगा।

3. प्रवेश परीक्षा आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश

प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश (जिसमें प्रवेश होंगे प्रवेश परीक्षा में बनाए गए अंकों के आधार पर बनाया गया है और कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं) विभिन्न में अपने कुछ कॉलेजों/विभागों के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की पेशकश की अध्ययन की धाराएं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को दिल्ली विश्वविद्यालय के संचालन का जिम्मा सौंपा गया है। प्रवेश आधारित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 2020।

3.1 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के संदर्भ में (एनटीए)



भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानक परीक्षण के संचालन के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वतंत्र स्वायत्त और स्व-निरंतर प्रीमियर परीक्षण संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की स्थापना की है।

एनटीए के उद्देश्य, अन्य विषयों को शामिल करना:

- i. प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानक परीक्षण करना।
- ii. ज्ञान प्रणालियों में कमियों की पहचान करने और उन्हें खतम करने के लिए कदम उठाने के लिए शैक्षिक, पेशेवर और परीक्षण प्रणालियों पर अनुसंधान करना।
- iii. शिक्षा और व्यावसायिक विकास मानकों पर सूचना और अनुसंधान का उत्पादन और प्रसार करना।

3.2 प्रवेश परीक्षा की रूपरेखा

1. लिखित प्रवेश परीक्षा में प्रस्तावित अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार चयन/प्रवेश किया जाएगा।
2. दो घंटे की अवधि की लिखित प्रवेश परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) (प्रत्येक विकल्प प्रत्येक) शामिल होंगे, जो प्रत्येक विषय के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों के माध्यम से आवेदकों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
3. इसमें 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर में प्लस 4 अंक का अंक मिलेगा, प्रत्येक गलत उत्तर में माइनस 1 अंक का अंक मिलेगा और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया तो शून्य अंक का अंक मिलेगा।
4. संगीत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा प्रैक्टिकल नेचर की होगी।

3.2.1 प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी

- i. आवेदकों को प्रवेश परीक्षा केंद्रों और प्रवेश पत्र के उत्पादन के बारे में सभी समाचार और अद्यतन के लिए यूजी प्रवेश पोर्टल पर जाना होगा।
- ii. सभी आवेदकों को प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा, जब उपलब्ध कराया जाता है, और प्रवेश परीक्षा केंद्र को रिपोर्ट करते समय इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। प्रवेश पत्र की गुणवत्ता सत्यापन के लिए पर्याप्त प्रिंट गुणवत्ता की होनी चाहिए।
- iii. आवेदक के लिए आवेदक की तस्वीर वाले पहचान पत्र भी साथ ले जाएगा सत्यापन (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या कॉलेज पहचान पत्र, जिसकी एक प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड की गई है)।
- iv. यदि किसी आवेदक ने एक से अधिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना है, जिसके लिए प्रवेश परीक्षा पर आधारित है और प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम में तारीख/समय का टकराव है तो विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं है।

3.3 जिन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आधारित हैं

संकाय पाठ्यक्रम कॉलेज और विभाग के निर्देश

संकाय	कोर्स	कालेज/विभाग द्वारा दिये गए निर्देश
अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान मानविकी संकाय	बीए (ऑनर्स) बिजनेस इकोनॉमिक्स [बीए (ऑनर्स) बीइ]	<ul style="list-style-type: none"> • आर्यभट्ट कॉलेज • भीमरावअंबेडकर कॉलेज • कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज • गार्गी कॉलेज • लक्ष्मीबाई कॉलेज • महाराजा अग्रसेन कॉलेज • शिवाजी कॉलेज • श्री गुरु गोबिंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स • श्री गुरुनानक देव खालसा कॉलेज • श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कालेज

3.4 प्रवेश-परीक्षा आधारित स्नातक (यू जी)पाठ्यक्रम हेतु योग्यता एवं चयन प्रक्रिया :

सूची अ और सूची आ पूर्व खंड के समान।

3.4.1 व्यावहारिक सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम।

पाठ्यक्रम संबन्धित विशिष्ट योग्य मानदंड एवं चयन के आधार:

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम संबंधी विशिष्ट योग्य मानदंड एवं चयन का आधार
कलास्नातक (ऑनर्स)व्यावसायिक अर्थशास्त्र/	<ul style="list-style-type: none"> • सूची आ में सम्मिलित चार विषयों अंग्रेजी -, गणित और दो अन्य विषयों की अर्हक परीक्षा में कुल 60% या अधिक अंक। • चयन प्रवेशपरीक्षा तथा अर्हक परीक्षा के अंकों के - के आधार पर (में %)संयुक्त गणना से प्राप्त औसत तैयार श्रेणीबद्ध सूची के आधार पर की जाएगी। : यथा प्रवेश%65 :परीक्षा- अर्हक परीक्षा%35 :

	<p>प्रवेश-परीक्षा निम्नलिखित क्षेत्रों का परीक्षण करेगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> • संख्यात्मक अभियोग्यता • तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता • सामान्य अंग्रेजी • व्यापारिक एवं सामान्य जागरूकता
--	---

3.5 प्रवेश-परीक्षा के आधार पर स्नातक (यू जी) में प्रवेश की प्रक्रिया

चरण -I : स्नातक (यू जी) पोर्टल में पंजीकरण

आवेदक विश्वविद्यालय यू जी प्रवेश पोर्टल में व्यक्तिगत यूजनेम व पासवर्ड का निर्माण करें, पंजीकरण-पत्र भरें, अपनी रुचि के पाठ्यक्रम का चयन करें तथा अपेक्षित दस्तावेज़ अपलोड करें। (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम विषयक पंजीकरण प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश अपलोड किए जाएंगे)। **फॉर्म भरते समय आवेदक पूर्ण सावधानी बरतें।** जमा करने के उपरान्त आवेदक को फॉर्म संपादित करने व सुधारने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन प-ंजीकरण करना अनिवार्य है।
2. पहली बार यू जी प्रवेशमेल आई डी -पोर्टल का प्रयोग करने हेतु उम्मीदवारों को वैध ई-द्वारा पोर्टल में पंजीकरण करना अनिवार्य है।
3. जिन आवेदकों के पास वैध ईडी नहीं है मेल आई-, वे प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व ईमेल -आईडी बना ले।
4. आवेदक इस ईमेल आई डी को संभाल कर रखें क्योंकि इसकी आवश्यकता उनके पोर्टल में -व्यवहार के लिए रहेगी।-प्रवेश करने तथा भविष्य में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान पत्र
5. आवेदक इच्छानुसार प्रवेशरित विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकरण करा सकते परीक्षा आधा-हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम की परीक्षा हेतु पंजीकरण शुल्क अलग से लिया जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करता है और उन पाठ्यक्रमों की परीक्षा अनुसूची मेल खा जाए, तो ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। तथापि सक्षम अधिकारी पंजीकरण पोर्टल से ऐसे आवेदकों का पता लगाकर जिन्होंने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है और उन पाठ्यक्रमों की परीक्षा एक ही दिन में होने वाली है, उनके लिए एक ही या नजदीकी परीक्षा केंद्र आवंटन करने का पूरा प्रयास करेगा।
6. विभिन्न कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रम पढ़ाये जाये या एक से अधिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आवेदक अपने पसंद के पाठ्यक्रम और या कॉलेज की वरीयता क्रम दे।/

(अ) BMS/BA(H)(BE/BBA(FIA) के आवेदक कॉलेजभिन्न विकल्प पाठ्यक्रम के अपने वि/अवश्य भरें।

इसके अंतर्गत महिला आवेदक के लिए तथा 21 पुरुष के लिए विकल्प हैं। आवेदक 17 "1" पाठ्यक्रम के प्रथम विकल्प के साथ-अपने कॉलेज, दूसरे विकल्प साथ और इसी "2" तरह चिन्हित करते जाएँ। जिस कॉलेजपाठ्यक्रम में आवेदक प्रवेश नहीं लेना चाहते-, उसके साथ "No Preference"-चिन्हित कर दे। जिस कॉलेज (प्राथमिकता नहीं) पाठ्यक्रम के साथ "No Preference" चुना जाएगा, उस कॉलेजपाठ्यक्रम का - प्रस्ताव आवेदक को नहीं दिया जाएगा।

कॉलेजपाठ्यक्रम को अपने पसंद के अनुसार यदि चिन्हित किया गया होगा तो - पाठ्यक्रम आवंटित किया जाएगा तथा भविष्य में कॉलेज -कॉलेज आवेदक को वही बदलने की योग्यता प्राप्त करने हेतु आवेदक को उस कॉलेज में प्रवेश लेना अनिवार्य है।

(आ) B.El.Ed में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को सभी 8 कॉलेजों का प्राथमिकता देनी चाहिए। पाठ्यक्रम केवल महिला आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। आवेदक को सर्वाधिक प्राथमिकता वाले कॉलेज के लिए '1' चिन्हित करना चाहिए, अगले के लिए '2' और आगे इसी तरह चिन्हित करते जाना चाहिए। जिस कॉलेज में आवेदक प्रवेश नहीं लेना चाहते, उसके साथ "No Preference"(प्राथमिकता नहीं) चिन्हित कर दे।

जिस कॉलेज के साथ "No Preference" चुना जाएगा, उस कॉलेजपाठ्यक्रम का - प्रस्ताव आवेदक को नहीं दिया जाएगा। कॉलेजपाठ्यक्रम को अपने पसंद के अनुसार - यदि चिन्हित किया गया होगा तो आवेदक को वही कॉलेजपाठ्यक्रम आवंटित किया - जाएगा तथा भविष्य में कॉलेज बदलने की योग्यता प्राप्त करने हेतु आवेदक को उस कॉलेज में प्रवेश लेना अनिवार्य है।

आवेदकों को सूचित किया जाता है कि है कि वरीयता क्रम भरने से पूर्व कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित विकल्पों की अच्छी तरह से जांच कर ले। विभाग के वेबसाइट) <http://doe.du.ac.in>. अवलोकन करें।

7. उन आवेदकों को कॉलेजों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिनका नाम आवंटन सूची में तो है मगर जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक पाने में असफल हो-परीक्षा के लिए दिया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं -गए हैं। प्रवेश जाएगा।
8. यदि आवेदक का परीक्षा परिणाम लंबित है या किसी पेपर या पाठ्यक्रम में पुनः परीक्षा दी है, तो वे जब तक पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया चालू है, तब तक डैशबोर्ड में लॉगकर इन-उक्त ऐसे अंकों को अपडेट कर सकेंगे।
9. दस्तावेज़ अपलोड करते वक्त पूरी सावधानी बरती जाए। आवेदकों की इच्छानुसार उन प्रमाणपत्रों की स्कैन प्रतियों की जरूरत होगी जिनके आधार पर वे प्रवेश के लिया दावा करना चाहते हैं।

अ) कक्षा X का प्रमाणपत्र

आ) कक्षा XII का प्रमाणपत्र

इ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उपयुक्त आरक्षण प्रमाणपत्र

ई) संगीत संबंधी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपलोड की गई क्लिप का लिंक-

उ) फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड), ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या विद्यालय का पहचान पत्र(

10. अपलोड की गई प्रत्येक जानकारी एवं प्रमाणपत्र की प्रतियों के लिए आवेदक स्वयं-जिम्मेदार होगा। आवेदक अपलोड की गई फ़ाइलों की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदक अपने प्रवेशपत्र एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का -
। आवेदकों को कॉलेज में प्रवेश के दौरान उक्त आधारों पर पूर्वावलोकन कर सकता है अस्वीकृत किए जाने से बचने हेतु पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

चरणII: पंजीकरण शुल्क का भुगतान

आवेदक द्वारा उचित पंजीकरण-शुल्क जमा करने के बाद ही उनका प्रवेश-पत्र प्रस्तुतमाना जाएगा। केवल आवेदक के डैशबोर्ड में दिए गए लिंक के माध्यम से ही इस शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए। पंजीकरण-शुल्क के भुगतान के लिए ऑनलाइन लिंक जनरेट करने के अतिरिक्त भुगतान की कोई और अन्य विधि नहीं है। पंजीकरण-शुल्क के सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के बाद आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे भुगतान लेन-देन की आई डी, क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग तथा भुगतान की तिथि भावी संदर्भ के लिए प्रमाण के रूप में संभाल कर रखें। इसके अलावा आवेदकों को पूरी प्रक्रिया समयसीमा के पहले ही पूर्ण करने की सलाह दी जाती है, ताकि अंतिम घड़ी की खामियों से बचा जा सके। प्रत्येक प्रवेश परीक्षा-आधारित पाठ्यक्रम के लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा । उदाहरणार्थ यदि किसी अनारक्षित श्रेणी के आवेदक ने BMS/BA(H)BE/BBA(FIA) और FYIPJ का चयन किया है तो उसे 750/- रु + 750/- रु = 1,500/- रु भुगतान करना होगा।

चरणIII: प्रवेश परीक्षा (लिखित/व्यावहारिक/परीक्षण)

आवेदकों के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीकरण कराना तथा विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर दी गई अधिसूचना के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक होगा ।

- BA(H)BE/BMS/BBA(FIA), BTech(IT&MI), BA(HSS), B.El.Ed., BSc(PE,HE&S), BA(H)MMC और FYIPJ के आवेदकों को पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम पर लागू लिखित प्रवेशपरीक्षा हेतु उपस्थित होना आवश्यक है। - ए .टी.परीक्षण बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से लिया जाएगा। लिखित प्रवेश परीक्षा एन द्वारा आयोजित की जाएगी।
- BA(Hons.)संगीत के आवेदकों को पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए व्यावहारिक परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तौरतरिकों को - अधिसूचित किया जाएगा। तथापि उन्हें स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा।

- iii. BSc(PE, HE&S) के आवेदकों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा के साथ-साथ खेलों में अपनी प्रवीणता का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। दिल्ली तरीकों को अधिसूचित किया जाएगा।-विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तौर
- iv. प्रवेश परीक्षा के तौर तरीका एनटीए द्वारा दिए जाएंगे।-

चरणIV: परिणाम/ मेरिट सूचीकी घोषणा

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आवेदकों की रैंकिंग तैयार की जाएगी जिसे प्रवेश पोर्टल में प्रदर्शित किया जाएगा और यह प्रवेश प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेगा। इस रैंकिंग के निम्न आधार होंगे:

- i. BTech(IT&MI), BA(H&SS), B.El.Ed., BA(H) MMC और FYIPJ पाठ्यक्रम हेतु प्रवेशपरीक्षा के अंकों के आधार पर।
- ii. BA(H)BE, BMS, BBA (FIA) पाठ्यक्रमहेतु प्रवेश %65 परीक्षा के अंकों में से-एवं कक्षा XII के अंकों में से %35के कुल अंकों के औसत के आधार पर।
- iii. BSc(PE,HE&S) पाठ्यक्रम हेतु लिखित परीक्षा तथा खेल प्रवीणता के कुल अंकों के औसत के आधार पर।
- iv. B.A.(Hons.) संगीत पाठ्यक्रम हेतु व्यावहारिक परीक्षा के अंकों के आधार पर।

अंतिम रैंकिंग में रैंक नहीं दोहराया जाएगा। रैंक के टाई होने की स्थिति में निम्नांकित टाई-ब्रेकर नियम क्रमानुसार लागू होंगे :

- i. अर्हक परीक्षा में उच्च अंक पानेवाले आवेदक भाषा के एक(विषय सहित उच्च अंकों वाले चार विषयों का कुल अंकके आवंटन (/प्रवेश के लिए सर्वप्रथम विचार किया जाएगा।
- ii. प्रवेशपरीक्षा में उच्च अंक पाने वाले आवेदक के आवंटन-/प्रवेश के लिए सर्वप्रथम विचार किया जाएगा।
- iii. अर्हक परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले आवेदक भाषा के एक (विषय)सहित उच्च अंकों वाले पाँच विषयों का कुल अंकके आवंटन (/प्रवेश के लिए सर्वप्रथम विचार किया जाएगा।
- iv. पूर्व जन्मतिथि वाले आवेदक प्रवेश के /के आवंटन (कक्षा दसवीं के प्रमाण पत्र के आधार पर) लिए विचार किया जाएगा।

चरणV: पाठ्यक्रम/कॉलेज विकल्प में परिवर्तन हेतु पोर्टल पुनः खोलना:

पोर्टल प्रवेश परीक्षा परिणामों की घोषणा के बाद एक दिन के लिए पाठ्यक्रम-कॉलेज वरीयताओं में परिवर्तन हेतु खुला रहेगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी वरीयता के क्रम को अंतिम रूप देने से पूर्व कॉलेज के स्थान एवं कॉलेज शुल्क की जांच कर ले। इसके बाद पाठ्यक्रम-कॉलेज में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

चरणVI: पाठ्यक्रम और/या कॉलेज का आवंटन

- i. सभी प्रवेशपरीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों के लिए सीटों का आवंटन केन्द्रीय रूप से किया - जाएगा और प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।केवल उन आवेदकों, जो पाठ्यक्रम के

लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, के प्रवेश के लिए ही विचार किया जाएगा।

- ii. जिन आवेदकों को पाठ्यक्रम एवं कॉलेजसंस्थान आवंटित किया गया है उनको दिल्ली / विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार समय अवधि के भीतर अपने डैशबोर्ड से प्रवेश पोर्टल का चयन तथा पुष्टि करके प्रवेश में उनकी रुचि की पुष्टि अपेक्षित (पाठ्यक्रम) पर कॉलेज होगी।
- iii. BA(H)BE/BMS/BBA(FIA) और B.El.Ed. पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रत्येक प्रवेश श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक कॉलेजमें उपलब्ध सीटें आवेदकों को उनकी रैंक और (और पाठ्यक्रम) की उपलब्धता तथा वरीयता क्रम के अनुसार तब तक आवंटित की जाएंगी सीटों, जब तक कि विशेष कॉलेज में (और पाठ्यक्रम) सभी सीटें समाप्त नहीं हो जाती हैं। किसी विशेष प्रवेश श्रेणी के अंतर्गत आवेदक को उनकी उच्च वरीयता क्रम के अनुसार सीट आवंटित किए जाने के बाद कम वरीयता वाले सीट से बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चरणVII: संबंधित कॉलेजों/ केन्द्रों/ विभागों द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन

पात्रता की जांच करने हेतु आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को कॉलेजों/ केन्द्रों/ विभागों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

- i. प्रवेश की स्वीकृति या अस्वीकृति प्राचार्य विभागाध्यक्ष द्वारा होगी। /निदेशक /
- ii. आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में, उम्मीदवार को ईमेलफोन पर संपर्क किया जाना / चाहिए ताकि वे दस्तावेज प्रदान किया जा सके। ऐसी स्थिति में यदि उम्मीदवार जवाब नहीं देता है, या दस्तावेज अपर्याप्त रह जाए तो कारणों का उल्लेख करते हुए प्रवेश से मना कर दिया जाएगा।

कोई भी आवेदन अनिर्दिष्ट नहीं छोड़ा जाएगा। इसे या तो अनुमोदित किया जाएगा या अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- iii. आवेदक को उनके डैशबोर्ड पर आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।
- iv. अनुमोदित उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करके प्रवेश की पुष्टि प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रवेश के लिए अस्वीकृत आवेदकों को अपनी आपत्ति को शिकायत समिति के सामने प्रस्तुत करने हेतु लिंक प्रदान किया गया है।

चरणVIII: प्रवेश की पुष्टि हेतु शुल्क का भुगतान

प्राचार्य/ निदेशक/ विभागाध्यक्ष द्वारा प्रवेश को स्वीकृति दिए जाने के उपरांत आवेदक को यू जी पोर्टल के उनके डैशबोर्ड पर लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से उन्हें कॉलेज/पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

- i. प्राचार्यघंटे के भीतर आवेदक को 24 विभागाध्यक्ष द्वारा प्रवेश के अनुमोदन के /निदेशक / शुल्क का अविलंब भुगतान करने की सलाह दी जाती है और पावती पर्ची जिसमें ट्रेंडिंगेशन आई डी, क्रेडिट कार्ड देन की तारीख को-बैंकिंग का विवरण और लेन-नेट /डेबिट कार्ड /

भविष्य के संदर्भ के प्रमाण के रूप में संभाल कर रखें। शुल्क के सफल भुगतान पर आवेदक को अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा।

- ii. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आवेदक आवंटित समयसीमा के भीतर शुल्क का भुगतान करें - अन्यथा विफल होने कि स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आवेदककी उस कॉलेज में पाठ्यक्रम के अध्ययन में रुचि नहीं है, और प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा।
- iii. आवेदक के प्रवेश पाने के उपरांत उन्हें एक ऑनलाइन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा जिसपर लिखा होगा “:मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है औरया मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा / समर्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझतासमझती हूँ कि मेरा प्रवेश तुरंत रद्द कर / दिया जाएगा और कोई भी शुल्क नहीं लौटाया जाएगा। मैं विश्वविद्यालय और कॉलेज के नियमों एवं विनियमों का पालन करूंगा/करूंगी।/

चरणIX: दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन

अपलोड किए गए दस्तावेजों को संबंधित कॉलेजों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सत्यापित किया जाएगा। यदि इस स्तर पर आवेदक द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है और प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में तत्काल ही प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में शुल्क का भुगतान वापस नहीं होगा।

आगामी योग्यता सूची में पाठ्यक्रम/ कॉलेज बदलने की प्रक्रिया

आवेदक को निम्नलिखित सूची के दो विकल्पों में से एक का चयन करना होगा:

- विकल्प 1: यदि सीट उपलब्ध है तो अपने वरीयता क्रम के उच्चतर सीट में पुनः आवंटित किए जाने की इच्छा।

- विकल्प 2: वह वर्तमान में आवंटित सीट से संतुष्ट है और अन्य सीट में आवंटन नहीं चाहता/चाहती।

- i. प्रत्येक आगामी आवंटन राउंड के दौरान, पूर्व राउंड के बाद जो सीट उपलब्ध होगी, उसे भर्ती किए गए उसआवेदक को आवंटित की जाएगी जिसने विकल्प का चयन किया है। 1 तथा उन आवेदकों कोजिनका रैंक अंतिम भर्ती रैंक से उच्च है और जिन्हें अभी तक उनके वरीयता का सीट आवंटित नहीं किया गया है-विषय, उन्हें आवंटित किया जाएगा।
- ii. यदि आवेदक के उच्चतर वरीयता क्रम की सीट उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में उसे उपलब्ध सीट आवंटित कर दी जाएगी और मौजूदा प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
- iii. सभी आवेदकों को जिन्हें अलॉटमेंट राउंड में सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें प्रवेश प्राप्त करने हेतु स्टेप VII से स्टेप VIII पुनः दोहराना होगा। यदि पहले किए गए भुगतान के शुल्क में और नई संस्थान के शुल्क में कोई अंतर है तो आवेदक को दोनों शुल्कों का अंतर ही देना होगा।
- iv. विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क की पुष्टि पर कॉलेजमें प्रवेश निश्चित होगा। यदि (पाठ्यक्रम) आवेदक प्रवेशकी पुष्टि हेतु शुल्क का भुगतान करने में विफल होता है, तो उस आवेदक को

सीट आवंटित नहीं की जाएगी तथा भविष्य में आवंटन के लिए उसके विषय में विचार नहीं किया जाएगा।

v. आगामी काउंसिलिंग राउंड के दौरान निम्न श्रेणियों के आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा:

-ऐसे आवेदक जिन्हें पहले ही उनकी प्रथम वरीयता आवंटित की जा चुकी है।

-ऐसे आवेदक जिन्होंने स्वेच्छा से पुनः आवंटन से बाहर होने का विकल्प चुना है।

-ऐसे आवेदक जिन्होंने किसी भी राउंड में प्रवेश की पुष्टि के लिए शुल्क का भुगतान नहीं किया है।

स्पॉट प्रवेश राउंड

प्रवेश पोर्टल तीसरी मेरिट सूची के प्रवेश के बाद प्रत्येक पाठ्यक्रम और/ या कॉलेज में उपलब्ध सीटों की संख्या को प्रदर्शित करेगा।

- i. पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र डैशबोर्ड से ऐसा करेंगे।
- ii. वे पाठ्यक्रम और कॉलेज को वरीयता देंगे।
- iii. प्रत्येक श्रेणी में छात्रों को उनकी योग्यता, वरीयता और सीट की उपलब्धता के अनुसार पाठ्यक्रमकॉलेज आवंटित किया जाएगा। कॉलेज की तुलना में पाठ्यक्रम को वरीयता दी / जाएगी।
- iv. विभिन्न कॉलेजों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों हेतु, प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पॉट आवंटन के प्रथम राउंड में, जिन आवेदकों ने उस पाठ्यक्रम में दी गई तिथि में प्रवेश लिया है और पिछले स्टेप में विकल्प के अनुसार पुनः आवंटन चुना है 1, साथ ही उन सभी आवेदकों को जिन्हें अभी तक सीट आवंटित नहीं की गई है, लेकिन जिनका रैंकिंग किसी भी श्रेणी में भर्ती की गई अंतिम रैंक से अधिक है, वे इस चरण के लिए पात्र होंगे। आवेदकों को उपलब्ध सीटों में आवंटन उनके रैंक व वरीयता के आधार पर दी जाएगी। इसके उपरांत आवेदकों को प्रवेश हेतु स्टेप VII और स्टेप VIII की प्रक्रिया पूरी करनी होगी ।
- v. विभिन्न कॉलेजों में उपलब्ध पाठ्यक्रम के लिए, प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पॉट आवंटन के दूसरे चरण में जिन आवेदकों को अभी तक भर्ती नहीं किया गया है, उन्हें उनकी रैंकिंग और उनकी वरीयता के अनुसार आवंटित किया जाएगा। इसके उपरांत आवेदकों को प्रवेश हेतु स्टेप VII और स्टेप VIII की प्रक्रिया पूरी करनी होगी ।
- vi. स्पॉट राउंड में प्रवेश की पुष्टि करने से पूर्व आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी से अपनी चयन क्षमता का प्रयोग करें। यदि कोई आवेदक स्पॉट राउंड के उपरांत अपना प्रवेश रद्द करता है तो उनके विषय में भविष्य के किसी भी काउंसिलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- vii. किसी भी श्रेणी की रिक्त सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश की अंतिम तिथि तक निर्धारित स्पॉट प्रवेश राउंड से अधिक राउंड की घोषणा कर सकता है।

- viii. प्रवेश के रद्द किए जाने पर रुपएके रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। यह 1000 तिम दिन से पहले लियाशुल्क प्रत्येक रद्दीकरण के लिए प्रवेश के अं जाएगा। रद्दीकरण अथवा किसी अन्य कारण के चलते शुल्क की वापसी पर प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात विचार नहीं किया जाएगा।

मेरिट आधारित स्नातक प्रवेश के लिए प्रवेश की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के बदलाव के विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को दी गई प्रक्रिया और अनुसूची के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा।

4. एस.सी/ एस.टी/ ओ.बी.सी/ ई.डबल्यू.एसके लिए आरक्षण

अनारक्षित श्रेणी (यूआर) सीटों के लिए मेरिट सूची में मेरिट के क्रम में सभी आवेदकों को शामिल किया जाएगा। किसी भी आवेदक को इससे वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, मेरिट सूची में एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ईडबल्यूएस के आवेदक भी शामिल होंगे चाहे वे किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आते हो, यदि वे अनारक्षितश्रेणी के पात्रता की कसौटी पर खरा उतरते हैं।

किसी भी आवेदक को अनारक्षितश्रेणी की मेरिट सूची से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवेदक एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ईडबल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आता है या उसके आधार पर आवेदन करता है। इस प्रकार के आवेदकों को अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी का पात्र माना जाएगा। आवेदकों का अनारक्षित श्रेणी की सीटों द्वारा प्रवेश सख्ती से मेरिट क्रम के आधार पर किया जाएगा जिसके अंतर्गत एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ईडबल्यूएस के आवेदक भी शामिल होते हैं।

श्रेणी/ जाति के आधार पर भेदभाव पूर्णतः गैरकानूनी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय इस आधार पर किसी भी आवेदक/ छात्र के साथ भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करता है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ईडबल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश मांगने वाले आवेदकों को अपने नाम से सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु सीटों का आरक्षण

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों की कुल संख्या का %22.5 आरक्षित है (अनुसूचित जाति)के लिए %15 और अनुसूचित जनजाति के लिए %7.5, आवश्यक होने पर अंतर्परिवर्तनीय। (
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को पूरा भरना कॉलेजों का / वैधानिक दायित्व है।
- कोई भी कॉलेज शिक्षा के माध्यम के आधार पर किसी भी एससी/एसटी आवेदक को प्रवेश / के लिए मना नहीं करेगा। किसी विशेष भाषा के ज्ञान में कोई कमी है तो उससे निपटा जाना चाहिए; इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध अनुदानों का उपयोग करके उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था कॉलेज द्वारा की जा सकती है।

- एससीएसटी से संबंधित आवेदकों को उनकी पात्रता और संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के / %5 नतम अंकों में लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए न्यूकी छूट दी जाएगी।
- यदि %5 छूट दिए जाने के बाद भी आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो ऐसी स्थिति में सभी आरक्षित सीटों को भरने के लिए और अधिक छूट दी जाएगी। (शैक्षणिक परिषद) 88 संकल्प ए,) (14.6.1983 कार्यकारी परिषद संकल्प 157,(24.12.2001 । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए आरक्षित सीटों को पूरा भरना कॉलेजों का / प्रतिशत है।-वैधानिक दायित्व है। ऐसी स्थिति में पात्रता पास

निम्नलिखित अधिकारियों को अपेक्षित एससीएसटी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सशक्त / :बनाया गया है

अ) जिला मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त उपायुक्त /उपायुक्त /कलेक्टर /अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय /नगर दंडाधिकारी /फ़र्स्ट क्लास वजीफा मैजिस्ट्रेट /डिप्युटी कलेक्टर न्यायाधीश/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। /कार्यकारी मजिस्ट्रेट /तालुका मजिस्ट्रेट /

आ) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट। /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट अतिरिक्त /

इ) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से निम्न पद का नहीं हो ।

ई) उस क्षेत्र का उपविभागीय अधिकारी ज-हां आवेदक औरया उसका परिवार सामान्य / रूप से रहता है।

उ) प्रशासक।(लक्षद्वीप)सचिव /विकास अधिकारी के प्रशासक /

आवेदक ध्यान दें कि किसी अन्य व्यक्ति/ प्राधिकारी से प्राप्त एससी/ एसटी प्रमाणपत्र को किसी भी हालत में नहीं स्वीकार किया जाएगा। यदि आवेदक एससी/ एसटी वर्ग का है तो भारत सरकार की उचित अनुसूची में आवेदक के जाति/ जनजाति को सूचीबद्ध होना चाहिए ।

जाति प्रमाणपत्र में ये सब स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए: क) आवेदक का नाम/ जाति/ जनजाति ख) क्या आवेदक एससी या एसटी के अंतर्गत आता है ग) आवेदक के सामान्य निवास स्थान का जिला और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र तथा घ) भारत सरकार की अनुसूची के द्वारा अनुमोदित उसकी जाति/ जनजाति।

यदि आवेदक के पास पंजीकरण/ आवेदन करते वक्त एससी या एसटी जाति/ जनजाति का प्रमाणपत्र न हो तो वे एससी/ एसटी प्रमाणपत्र आवेदन की पावती पर्ची अपलोड कर सकते हैं। तथापि प्रवेश के समय आवेदक को वैध मूल एससी या एसटी जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

तथापि, यदि कोई आवेदक किसी अन्य श्रेणी से प्रवेश चाहता है (उदाहरणार्थ:पीडब्लूबीडी/ कर्मचारी वर्डइत्यादि) तो आवेदक को उस विशेष श्रेणी के लिए न्यूनतम आवश्यक पात्रता को पूरा करना होगा।

टिप्पणी: एससी/ एसटी मेरिट (अनारक्षित) के तहत प्रवेश पाने वाले आवेदकों को आरक्षित कोटे अर्थात 22.5% (एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%)में शामिल नहीं किया जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए आरक्षित सीटों को पूरा भरना / कॉलेजों का वैधानिक दायित्व है। ऐसी स्थिति में पात्रता पास प्रतिशत है।

4.2 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण (ओबीसी, नॉन-क्रीमी लेयर, केन्द्रीय सूची)

- अन्य पिछड़े वर्गों) ओबीसी, नॉनक्रीमी लेयर-, केन्द्रीय सूची से संबंधित आवेदकों के लिए (%27सीट आरक्षित है।
- ओबीसी आवेदक को प्रवेश देते वक्त कॉलेज यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक की जाति ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल है ओबीसी की स्थिति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की) अनुशासकों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ओबीसी की सूची (भारत सरकार)केन्द्रीय के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो कि यहाँ दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध है। (<http://ncbc.nic.in/backward classes/index.html>.)
- प्रमाणपत्र में आवेदक की नॉनडीओपीटी) क्रीमी लेयर स्थिति का उल्लेख होना चाहिए।- 93/22/36012 .कार्यालय ज्ञापन संEstt).SCTमें उल्लिखित 15.11.1993 दिनांक (क्रीमी लेयर स्थिति-प्राधिकारी द्वारा जारी की गई नॉन
- ओबीसी आवेदक जो से संबंधित है और जिसकी जातिकेवल ओबीसी की 'क्रीमी लेयर-नॉन' वेदकआ) वे ओबीसी श्रेणी के तहत प्रवेश के पात्र होंगे ,केन्द्रीय सूची में दिखती है की -नॉन' स्थिति के संबंध में ओबीसी प्रमाणपत्र की वैधता अवधि डीओटी कार्यालय 'क्रीमी लेयर -2013/2/36036 .ज्ञापन संEstt.)Resl) दिनांक -। वह नॉन(के अनुसार 2016 मार्च 31 के लिए होगी 2020-2019 क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की वैधता वित्त वर्ष, जो कि मार्च 31 को या 2020उसके बाद जारी की गई है।
- यदि आवेदक के पास पंजीकरण के समय नवीनतम वित्तीय वर्ष का ओबीसी 2020-2019 नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक पहले जारी किए गए के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र (पुराने) आवेदन की पावती पर्चीको अपलोड कर सकता है। तथापि, प्रवेश के समय आवेदक को उसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हालिया वित्तीय वर्षका (2020-2019) ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अतिरिक्त प्रमाणपत्र में आवेदक ति प्रमाणपत्र की संदर्भ होना चाहिए।के पहले से जारी मूल जा
- ओबीसी आवेदकों को उक्त पाठ्यक्रम की न्यूनतम पात्रता अंकों में %10की छूट सहित प्रवेशअनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित न्यूनतम /परीक्षा के लिए जनरल- %10 पात्रता अंकों मेंकी छूट दी जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए किसी पाठ्यक्रम में न्यूनतम पात्रता अंक %40है तो ओबीसी श्रेणी के आवेदकों के लिए उक्त पाठ्यक्रम में न्यूनतम पात्रता अंक %36होगा।
- ओबीसी आवेदकों के लिए आरक्षित सीटों को पूरा भरना कॉलेजों का वैधानिक दायित्व है।

4.3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नीति

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिसूचना(संदर्भ सं. Aca.I/Reservation of EWSs/2019/63 Dated 28th March, 2019 and reference no. Aca.I/reservation of EWSs/2019/101 Dated 15th May 2019)के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विश्वविद्यालय के विभागों/ केन्द्रों / कॉलेजों के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में ऐसे आवेदकों के प्रवेश के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई हैं। ऐसे आवेदकों की पात्रता उपरोक्त अधिसूचनाओं में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के आधार पर तय की जाएगी तथा यह पात्रता उन्हें परिशिष्ट V में दिए गए प्रारूप के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

अधिक जानकारी के लिए आवेदक निम्नांकित पर जाएँ :

<http://www.du.ac.in/du/uploads/Notifications/04042019-Notification-EWS.pdf>

5. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए; सशस्त्र बल कार्मिकों के बच्चों/ विधवाओं; कश्मीरी प्रवासी; जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष पीएम छात्रवृत्ति; नामित सिक्किम विद्यार्थी; वार्ड कोटा के लिए आरक्षण

5.1 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण (PwBD)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटें (5% से कम नहीं) आरक्षित हैं। "बेंचमार्क विकलांगता व्यक्ति" से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिसकी विकलांगता निर्दिष्ट विकलांगता के चालीस प्रतिशत (40%) से कम नहीं है, और जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और ऐसा व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित है जिसकी निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है। यह बात ध्यान में रखना है कि पूर्ववर्ती विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 अंतर्गत जिन विकलांग व्यक्तियों को पूर्व में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया था, अब निरस्त कर दिया गया है।

PwBD आवेदकों को अर्हक परीक्षा में पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता और प्रवेश-परीक्षा में 5% की छूट सीट भरे जाने तक रहेगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए 40% है तो पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता PwDB श्रेणी के आवेदकों के लिए 38% होगा (अर्थात् 40% - 38% का 5%)

विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम, 2016 [विकलांग अधिनियम, 2016 के व्यक्तियों के अधिकार की धारा 2 के खंड (ZC) को देखें] की अनुसूची में उल्लिखित विकलांगों की निम्नलिखित श्रेणियाँ उक्त आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

I. शारीरिक निशक्तता:

क) लोकोमोटर निशक्तता:

1. लोकोमोटर निव्यक्ति की गति के मस) शक्ततामें: कुलोस्केलिटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों से ग्रस्त होने के परिणामस्वरूप वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता- के साथ ही यह भी सम्मिलित है (

2. क्ति कुष्ठ रोग से कभी ग्रस्त था परंतु अब अर्थात् जो व्य "कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति" ठीक हो चुका है, लेकिन वह निम्नांकित से पीड़ित है -
 - i. हाथ या पैर में कुछ महसूस ना होने सहित आँख एवं पलकों में संवेदन का न होना एवं आँख पलकों में पेरेसिस होना परंतु विकृति की कोई अभिव्यक्ति न होना।-
 - ii. जिनमें विकृति और पेरेसिस नजर आए मगर जिनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता हो जिसके माध्यम से वे सामान्य आर्थिक गतिविधि को पूरा कर सकें।
 - iii. अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ उन्नत उम्र जो उसे किसी भी लाभकारी व्यवसाय करने से रोकता कुष्ठ रोग से म" रोकती है और/ुक्त अभिव्यक्ति के अनुसार माना " जाएगा;
3. अर्थात् शरीर की गति और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने "मस्तिष्क पक्षाघात" प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का समूह-वाले गैर, जो मुख्यतः जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट हिस्से में हुए नुकसान के कारण होता है;
4. 'बौनापन इंच 10 फीट 4 अर्थात् चिकित्सकीय या आनुवांशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप " (147 सेमीया उससे कम की व्यक्ति की ऊंचाई होती है (;
5. अर्थात् वंशानुगत आनुवांशिक मा "मांसपेशीय दुर्विकास"ंसपेशीय रोग का एक समूह जो मानव शरीर में घूमने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और अनेक दुर्विकास वाले व्यक्ति जिनके जीन में गलत और गुम सूचना होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। इसमें प्रगतिकारी कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतक की मृत्यु इसके मुख्य लक्षण हैं;
6. अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो एसिड या इसी प्रकार के संक्षारक पदार्थ को "एसिड अटैक पीड़ित" फेंकने के हिंसक हमले के कारण विघटित हो गया है।

आ) दृष्टि क्षीणता
7. "अंधापन" अर्थात् ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति में सबसे अच्छे सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो
 - i. दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति या
 - ii. सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में 3/60 से कम या 10/200 (स्लेन से कम (दृश्य तीक्ष्णता; या
 - iii. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण के नीचे फैलना
8. "कम "दृष्टि-का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति की निम्न में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्:
 - i. दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्लेन (से अधिक नहीं हो सकती है।

ii. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक के कोण के नीचे फैलना

इ) सुनने में परेशानी

9. "बधिर" का मतलब है कि दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 70 DB श्रव्यता हानि वाले लोग।
 10. "कम सुनाई देना" का मतलब है कि दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 60 DB से 70 DB श्रव्यता हानि वाले लोग।
 11. "भाषण और भाषा निश्चिन्ता"—एक स्थायी जो कि लेरिंजेक्टोमी या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होती है जो कार्बनिक या न्यूरोलॉजिकल कारणों के चलते भाषण और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है।
- II. बौद्धिक निःशक्तता-** बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, शिक्षा, समस्या को हल करना) और अनुकूल व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा के कारण एक ऐसी स्थिति जिसमें हर दिन की व्यवस्था, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं-
11. "विशिष्ट सीखने की अक्षमता है विषम परिस्थितियों का एक समूह जिसमें का अर्थ" बोलनेयालिखने में भाषा के प्रसंस्करण में कमी होती है जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखनेया गणितीय गणना करने में कठिनाए के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकास वाचाघात के रूप में ऐसी स्थितियाँ शामिल हैं -
 13. "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ है कि जीवन के पहले तीन वर्षों में आम तौर पर दिखने वाली एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठान या व्यवहार से जुड़ी होती है।

III. मानसिक व्यवहार

14. "मानसिक बीमारी" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो स्थायी रूप से निर्णय व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बाधित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो कि किसी व्यक्ति के जड़ होने की स्थिति है। यह विशेष तौर से बुद्धि के कम सामान्य होने का लक्षण है।

IV. निःशक्तता के कारण

(a) क्रोनिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां, जैसे-

15. "मल्टीपल स्केलेरोसिस" का अर्थ है सूजा हुआ, नर्वस सिस्टम की बीमारी जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के चारों और माइलिन क्षतिग्रस्त हो

जाता है, जिसमें अपक्षय होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तालमेल स्थापित करने में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता प्रभावित होती है।

16. "पार्किंसंस रोग"का अर्थ है कंपन, मांसपेशियों की कठोरता और धीमी गति से तंत्रिका आंदोलन द्वारा चिह्नित तंत्रिका तंत्र की एक प्रगतिशील बीमारी, मुख्य रूप से मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अधः पतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़े मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है।

(b) रक्तविकार

17. "हीमोफिलिया" एक वंशानुगत बीमारी है जो आमतौर पर केवल पुरुष को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरुष बच्चों में संप्रेषित होती है, जिसके लक्षण हैं रक्त के सामान्य थक्के जमने की अक्षमता या हानि जिससे मामूली घाव के कारण घातक रक्तस्राव हो सकता है।

18. "थैलेसीमिया" का अर्थ है वंशानुगत विकारों का एक समूह जिसके लक्षण हैं हीमोग्लोबिन की कम या शून्य मात्रा का होना।

19. "सिकल सेल रोग" से अभिप्राय है हिमोलिटिक विकार जो कि सम्बद्ध ऊतकों तथा अंग क्षतिग्रस्त होने के कारण एनीमिया, दर्द होने और विभिन्न प्रकार की जटिलताओं से परिलक्षित होती है; "हीमोलाइटिक" से अभिप्राय है लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली का नष्ट होना जिससे कि हीमोग्लोबिन स्रावित होने लगता है।

V. बहु-दिव्यांगता (उपरोक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से एक से अधिक)

20. बहरेपन, अंधेपन सहित बहु-दिव्यांगता (उपरोक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से एक से अधिक) से अभिप्राय है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति सुनने एवं देखने में बाधित हो, जिससे उसके बोल-चाल, विकास और शिक्षा में गंभीर समस्याएँ आती हों।

21. अन्य कोई ऐसी श्रेणी जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

आवेदन को एक मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल द्वारा जारी वैध निशक्तता: प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदक की तस्वीर युक्त होगा।

5.1.1 निःशक्तजनों के संबंध में फीस की रियायत / छूट (PwBD)

- a) विश्वविद्यालय के संकायों, विभागों, केंद्रों, और संस्थानों कॉलेजों में अध्ययन के विभिन्न / पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले शारीरिक निशक्तजन: आवेदकों को शुल्क यथा परीक्षा शुल्क एवं अन्य विश्वविद्यालयी शुल्क के भुगतान से छूट मिलेगी। यद्यपि उन्हें प्रवेश शुल्क, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ की सदस्यता और पहचान पत्र शुल्क विश्वविद्यालय के) अध्यादेश एक्स4) में संशोधन के अनुसार में छूट नहीं मिलेगी। (

- b) PwBD आवेदक जो अनारक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ से मिलते हैं और अनारक्षित श्रेणी-(UR) में प्रवेश लेंगे, वे PwBD आवेदक से संबद्ध शुल्क का भुगतान करेंगे।
- c) कार्यकारी परिषद के संकल्प संख्या 50दिनांक 03.11.2012के अनुसार, विश्वविद्यालय के विभिन्न हॉस्टल हॉल में रहने वाले शारीरिक /निशक्तजन: छात्रों को सभी तरह की छात्रावास फीस और प्रभारों के भुगतान से छूट होगी। यद्यपि उन्हें रिफंडेबल सावधानी शुल्क और मेस फीस देनी होगी। शारीरिक निशक्तजन:छात्रों को मेस शुल्क का 50% भुगतान करना होगा और उनके शेष 50% मेस शुल्क का भुगतान दिल्ली विश्वविद्यालय करेगी। कॉलेजों के विभिन्न हॉस्टलों में रहने वाले शारीरिक निशक्तजन:PwBD)छात्रों के संबंध में कॉलेजों द्वारा इसी तरह के मानदंड अपनाए गए हैं।
- d) शारीरिक निशक्तजन:PwBD)छात्र जो कि फेलोशिपवित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं/, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन शुल्क/प्रभारमेस फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी। / कॉलेजों मेंभर्ती अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति /, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के सभीछात्र जो कि फेलोशिप के लिए पात्र हैं, उन्हें समय पर प्रोसेस के लिए फरवरी तक अपना छात्रवृत्ति फॉर्म आवश्यक कार्यालय में जमा करना चाहिए।

फैलोशिप का मूल्य	फीस माफी आदि की छूट।
3000 / - प्रति माह तक	फीस माफ +50% मेस सब्सिडी
3001 से 8000 - प्रति माह तक	फीस माफ लेकिन कोई मेस सब्सिडी नहीं
प्रति माह 8001 और उससे अधिक	कोई फीस माफ नहीं और कोई हॉस्टल सब्सिडी नहीं

5.2 सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों / विधवाओं के लिए आरक्षण

1. इस श्रेणी के तहत आवेदकों के लिए सभी कॉलेजों में पाठ्यक्रमवार पांच प्रतिशत (5%) सीट आरक्षित हैं।
2. ऐसे सभी आवेदकों को उचित लेटरहेड पर निम्नलिखित में से किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले शैक्षिक रियायत प्रमाणपत्र (परिशिष्ट VII में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार) को अपलोड करना होगा:
 - क) सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली।
 - ख) सचिव, राज्य जिला सैनिक बोर्ड।
 - ग) प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड कार्यालय।
 - घ) प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट।
 - ड) गृह मंत्रालय (वीरता पुरस्कारों की प्राप्त करने वाले पुलिस कार्मिक के लिए)

कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा, माता-पिता या आश्रित के आईडी कार्ड के रूप में सीडब्ल्यू श्रेणी के प्रमाण, मेडिकल कार्ड, तर्कसंगत कार्ड, सीएसडी कार्ड आदि प्रमाण पत्र के बदले स्वीकार्य नहीं होंगे। प्रमाण पत्र में प्राथमिकता स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए। प्रासंगिक प्राथमिकता का उल्लेख नहीं करने वाले प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

पैरा-मिलिटरी कार्मिक (केवल वरीयता I से V तक) सहित सशस्त्र बलों (प्राथमिकता I से IX) के कर्मियों के बच्चों / विधवाओंको निम्नांकित वरीयता क्रम में प्रवेश दिए जा सकते हैं-

- | | |
|-----------|--|
| वरीयताI | कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं/वार्ड /; |
| वरीयताII | कार्रवाईमेंनिःशक्तहुएरक्षाकर्मियोंतथा मिलिटरी सेवा करते हुए निःशक्तता के कारण सेवासेबाहरहुएसैनिकोंकेवार्ड; |
| वरीयताIII | मिलिटरी सेवा करते हुए जान गँवाने वाले रक्षाकर्मियों की विधवाएं/वार्ड /; |
| वरीयताIV | सेवारत निःशक्तरक्षाकर्मियोंतथा मिलिटरी सेवा करते हुए निःशक्तता के कारण सेवासेबाहरहुएसैनिकोंकेवार्ड; |
| वरीयताV | पूर्व सैनिकों और सेवारत कर्मियों सहित वीरता पुरस्कारों यथा - |
| | <ul style="list-style-type: none"> i. (परमवीर चक्र ii. अशोकचक्र iii. महावीरचक्र iv. कीर्तिचक्र v. वीरचक्र vi. शौर्यचक्र vii. वीरता के लिए राष्ट्र पति का पुलिस पदक viii. सेनापदक) वीरता(, नौ सेना पदक के लिए पदक (गैल), वायु सेना पदक (वीरता) ix. मेंशन-इनडिस्पैच- x. वीरतासंबंधी पुलिसपदक |
| | - आदि की प्राप्ति वाले पुलिस बल कर्मी के वार्ड, |
| वरीयताVI | पूर्व सैनिकों के वार्ड |
| वरीयताVII | <ul style="list-style-type: none"> i. कार्रवाई में निशक्त होने के चलते सेवा से बाहर हुए रक्षाकर्मियों की : पत्नियाँ ii. सेवारत अक्षम रक्षा कर्मी तथा मिलिटरी सेवा करते हुए निःशक्तता के कारण सेवासेबाहरहुए रक्षा कर्मियों की पत्नियाँ iii. वीरतासंबंधी पुलिसपदक की प्राप्ति वाले पूर्व सैनिकों और सेवारत |

कर्मियोंकी पत्रियाँ

वरीयताVIII	सेवारत कर्मियों के वार्ड
वरीयताIX	सेवारत कर्मियों की पत्रियां

5.3 कश्मीरी प्रवासियों का आरक्षण (सुपरन्यूमरेरी सीट)

1. कश्मीरी प्रवासियों के सभी वार्ड (पुत्र/ पुत्री) जो विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
2. कश्मीरी प्रवासियों के वार्ड के लिए सभी कॉलेजों में पाठ्यक्रम-वार 5% सीटें आरक्षित हैं।
3. कश्मीरी प्रवासियों के सभी वार्डों को कश्मीरी प्रवासी के रूप में संभागीय आयुक्त / राहत आयुक्त द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
4. कश्मीरी प्रवासियों के वार्डके प्रवेश कॉलेजों द्वारा घोषित किए जाने वाले कट-ऑफ के आधार पर होगा। अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम कट-ऑफ अंकों में अधिकतम 10% की छूट को कश्मीरी प्रवासियों तक बढ़ाया जाएगा।
5. इस श्रेणी के तहत आरक्षण उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है, जहां प्रवेश, प्रवेश-परीक्षा पर आधारित है।

5.4 जम्मू एवं कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना

जम्मू एवं कश्मीर के छात्रों के लिए लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों का कॉलेज में सीधे प्रवेश होगा। इस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहाँ प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश होता है। आवेदकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की जाने वाली अनुसूची के अनुसार विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।

5.5 सिक्किम के छात्रों के लिए सीटों का नामांकन

सिक्किम सरकार द्वारा नामित सिक्किम के छात्रों का उन कॉलेजों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए माना जाएगा जहां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है (शैक्षिक परिषद संकल्प 51 दिनांक 05/06/1980 और संकल्प 122 दिनांक 17/12/1990)। प्रवेश के लिए और साथ ही संबंधित कॉलेजों में छात्रावास के आवास के लिए सिक्किम छात्रों का आवंटन कुलपति के विवेक पर होगा।

इस श्रेणी के तहत आरक्षण उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है, जहां प्रवेश परीक्षाओं पर प्रवेश आधारित है। आवेदकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की जाने वाली अनुसूची के अनुसार विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।

इन नामांकित सीटों की संख्या नीचे दी गई है:

कोर्स	सीट
बी(प्रोग्राम) ए.	3
बी(ऑनर्स) ए.	1
बीकॉम.	4
बी (ऑनर्स)कॉम.	2
बी एससी.भौतिक विज्ञान एप्लाइड भौतिक / विज्ञान	2
बी एससी.जीव विज्ञान एप्लाइड जीव विज्ञान। /	2
कुल	14

5.6 वार्ड कोटे के लिए सीट

विश्वविद्यालय और कॉलेज के स्थायी सेवारत कर्मचारियों- शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक- दोनों के वार्डों का विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश निम्नांकित मानदंडों के अनुसार दिया जाएगा, हालांकि ऐसे पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम और अन्य पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, शामिल नहीं हैं -

1. स्थायी सेवारत कर्मचारी जिस कॉलेज में कर्मचारी है, उस कॉलेज में उसके वार्ड को मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। यह प्रवेश ऐसे आवेदकों के बीच योग्यता के आधार पर दिया जाएगा, जो सामान्य तौर पर एक कोर्स में साठ छात्रों की प्रत्येक इकाई के लिए एक सीट सहित पाठ्यक्रम विशिष्ट पात्रता शर्तों-को पूरा करते हों।
2. विश्वविद्यालय के स्थायी (शिक्षण-गैर / शिक्षण) अन्य कॉलेजों/सेवारत कर्मचारियों के वार्ड के प्रवेश के लिए प्रवेश (बेटी/बेटे)की सीटों की कुल संख्या छह) शैक्षिक कर्मचारी के लिए तीन और गैरशैक्षिक के लिए कर्मच-ारी (से अधिक नहीं होगी)। यह प्रवेश ऐसे आवेदकों के बीच योग्यता के आधार पर दिया जाएगा, जो सामान्य तौर पर एक कोर्स में साठ छात्रों की प्रत्येक इकाई के लिए एक सीट सहित पाठ्यक्रम विशिष्ट पात्रता शर्तों-को पूरा करते हों।
3. उपरोक्त मानदंडों पर प्रवेश सामान्य संख्या से अधिक की सीटों पर होगा।
4. वार्ड कोटे के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। उन्हें उन कॉलेजों का चयन करना होगा, जो वे पंजीकरण के समय प्रदान की गई सूची बनाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इस कोटे के तहत प्रवेश की अनुसूची और प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचित की जाएगी।

6. पाठ्येतर और खेलकूद- कोटा सुपरन्यूम)रेरी सीट(

कोविड- 19 महामारी की अभूतपूर्व स्थिति और प्रचलित सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के कारण पाठ्येतर गतिविधियों पर आधारित प्रवेश केवल एन.सी.सी और एन.एस.एस की श्रेणी के लिए होगा और खेलकूद- पर आधारित प्रवेश खेलकूद- परीक्षण के बिना होगा।

1. कॉलेजों को खेलकूद- सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और सभी छात्रों को इंटरक्लास - कूद-प्रतियोगिताओं और सामूहिक खेलों की शुरुआत करके खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

पाठ्येतर गतिविधि और खेलकूद- के लिए कुल मिलाकर कम से कम 1% (कॉलेज की कुल क्षमता का प्रतिनिधित्व सभी कॉलेजों के लिए अनिवार्य है (, हालांकि ऐसा कुल मिलाकर 5% (कॉलेज की कुल क्षमता(के अध्यक्षीन होगा।

2. पाठ्येतर गतिविधि एवं खेल-कूद के आधार पर भरी जाने वाली सीटों की वास्तविक संख्या उपलब्ध सुविधाओं, कॉलेजों की आवश्यकता और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर तय की जाती है।
3. पाठ्येतर गतिविधि एवं खेल-कूद पर आधारित प्रवेश उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहाँ प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश होता है।
4. पाठ्येतर गतिविधि एवं खेल-कूद के आधार पर आवेदक को कोर्स और कॉलेज का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीकृत तरीके से किया जाएगा। पाठ्यक्रम (विषयवार) का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
5. पाठ्येतर गतिविधि एवं खेल-कूद की अनुसूची और सीट की उपलब्धता के बारे में अतिरिक्त जानकारी डीयू वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी।
6. पाठ्येतर गतिविधि एवं खेल-कूद के आधार पर प्रवेश पाने के लिए झूठे/ नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदक को किसी भी कॉलेज में तीन साल के लिए प्रवेश से वंचित किया जाएगा। ऐसे प्रवेश रद्द कर दिए जाएंगे और एफ.आई.आर भी दर्ज की जाएगी।

6.1 पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

राष्ट्रीय कैडेट कोर)NCC), MoD और राष्ट्रीय सेवा योजना)NSS), MYAS की श्रेणी हेतु लागू

कॉलेज डीयू यूजी एडमिशन पोर्टल पर पुरुषों एनएसएस से / महिलाओं में एनसीसी / संबंधित पाठ्येतर गतिविधि कोटा)सुपरन्यूमरेरीके तहत सीटों की संख्या (, यथा लागू, सूचित करेंगे। पाठ्येतर गतिविधि के आधार पर प्रवेश को अपलोड किए गए NCC / NSS प्रमाणपत्रों में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार और आवेदक द्वारा इंगित पाठ्यक्रम और कॉलेजों

की उनकी प्राथमिकताओं के क्रमपर केंद्रीकृत पाठ्येतर गतिविधिमेरिट सूची के माध्यम से प्रबंधन किया जाएगा।

1. पाठ्येतर गतिविधिके आधार पर प्रवेश के इच्छुक आवेदक को DU UG प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है।
2. उन्हें अपनी वरीयता के क्रम में अधिकतम पांच कोर्स और कॉलेजों के लिए पंजीकरण करना चाहिए जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं। इन प्राथमिकताओं का उपयोग बाद में पाठ्यक्रम और कॉलेज के आवंटन में किया जाएगा।
3. पीड/एसटी/एससी/ओबीसी/यूआर)ब्ल्यूडी पंजीकरण (ईडब्ल्यूएस/प्रभार के अतिरिक्त -100 का अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क पाठ्येतर गतिविधि श्रेणी में लागू होगा।
4. आवेदकों को मई 01, 2017 से अप्रैल 30, 2020 के बीच जारी किए गए पांच एनसीसी सत्यापित प्रतियां अपलोड करने की -एनएसएस प्रमाणपत्र की स्व / आवश्यकता है, यदि वे संबंधित श्रेणी में उनकी भागीदारी के प्रमाण के रूप में आवेदन करना चाहते हैं।
5. अनारक्षित श्रेणी को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो पिछली प्रासंगिक कटऑफ़ दी - 15 गई थी उसकी तुलना में अकेडमिक मेरिट में % से ज्यादा की छूट नहीं दी जाएगी।
6. आवेदक को पाठ्यक्रम का आवंटन विशिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने तथा विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन होगा।
7. आवेदक को पाठ्येतर गतिविधि के आधार पर प्रवेश हेतु पात्र होने के लिए अपलोड किए गए एनसीसी /एन एस एस प्रमाण पत्रों के अंकन में न्यूनतम 04 अंक प्राप्त करने चाहिए।

एनएसएस प्रमाणपत्र के लिए मेरिट अंकन भागीदारी के लिए मानदंड /

नीचे दिए गए पांच अलग-अलग शीर्षों के तहत उनके प्रदर्शन के आधार पर आवेदकों - को अंक प्रदान किए जाएंगे

कनियमित गतिविधि (

ख (कार्य की अवधि

ग) राष्ट्रीय शिविर

घ) विशेष शिविर

इ-पूर्व आरडी शिविर (

उम्मीदवार को कुल 100 में से अंक दिए जाएंगे।

प्रत्येक श्रेणी (भागीदारी) में अधिकतम अंक, जो प्राप्त किए जा सकते हैं, नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	वर्ग	न्यूनतम अंक	*अधिकतम अंक
1	नियमित गतिविधि सड़क / श्रमदान / वृक्षारोपण / स्वच्छता) / महिला सुरक्षा / मतदाता जागरूकता / सुरक्षामहिलाहित - संवेदनशीलताया इसी तरह की सामाजिक जागरूकता गतिविधि(4	8
2	कार्य समय	120 घंटे के लिए 8 अंक	240 घंटे के लिए अंक 16
3	नेशनल कैम्पएनएसएस आईजी अवार्ड / आरडी / एसबीएसआई-	24	32
4	विशेष कैम्पवर्क डायरी के साथ विशेष कैम्प/	20	28
5	प्रीआरडी कैम्प-	16	16
	कुल अंक		100

* न्यूनतम अंक एकल गतिविधि के लिए हैं और अधिकतम अंक दो या दो से अधिक गतिविधियों के लिए हैं।

अंकन के लिए योग्यता / एनसीसी प्रमाणपत्र के लिए भागीदारी।

पांच अलग-अलग शीर्षों के तहत प्रदर्शन के आधार पर आवेदकों को अंक प्रदान किए जाएंगे:

- (क) नियमितगतिविधि
-)खपरीक्षा(
- (ग) कैम्प
-)घ(विशेष कैम्प
- (ङ) आरडी कैम्प

एक उम्मीदवार को कुल 100 में से अंक दिए जाएंगे।

प्रत्येक श्रेणी (भागीदारी) में प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंक नीचे दिए गए हैं:

क्रसं.	वर्ग	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक
1	नियमित गतिविधि / सर्वश्रेष्ठ कैडेट) आईडीवाई / आत्मरक्षा / स्वतंत्रता दिवस सामाजिक जागरूकता /, सामुदायिक विकास और प्राकृतिक आपदा में प्रशंसा प्रमाण पत्र(4	8
2	परीक्षा ए बी /	12	20
3	कैम्प सीएम / एडवेंचर कैम्प / शूटिंग कैम्प) / पीएम रैली एटीसी / रैलीEBSB / CATC / ट्रेकिंग /RCTC / Pre-RD / SNIC ATC / EBSB / CATC /	20	32

	ट्रेकिंग /RCTC / Pre-RD / SNIC रैली / एटीसी /EBSB / CATC / ट्रेकिंग / आरडी-प्री / आरसीटीसी / (एसएनआईसी		
4	विशेष शिविर)TSC / VSC / NSC)	16	16
5	आरडी शिविर	24	24
	कुल मार्क		100

न्यूनतम अंक एकल गतिविधि के लिए हैं और अधिकतम अंक दो या अधिक गतिविधियों के लिए हैं।

नोट:

- 1) इसीए मेरिट लिस्ट में आने वाले आवेदक का नाम कॉलेज और पाठ्यक्रम प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। प्रवेश केवल कॉलेज एवं कोर्स में सीटों की उपलब्धता के अधीन है।
- 2) कॉलेज की इसीए प्रवेश समिति निम्नानुसार होगी:
 - ए. अध्यक्ष : प्रिंसिपल / प्रिंसिपल नॉमिनी
 - बी. संयोजक: कॉलेज की सांस्कृतिक समिति
 - सी. सदस्य : सांस्कृतिक समिति
 - डी. नामांकित: कर्मचारी परिषद के एक संकाय सदस्य)
- 3) कॉलेज की इसीए प्रवेश समिति:
 - ए. आवेदक द्वारा अपलोड किए गए पंजीकरण फॉर्म को स्क्रीन करें
 - ख. आवंटित अंकों के अनुसार आवेदकों के अपलोड किए गए एनसीसी / एनएसएस प्रमाणपत्रों को आवेदक के मूल एनसीसी / एनएसएस प्रमाण पत्र से सत्यापित करें।
- 4) अपलोड एनसीसी / एनएसएस प्रमाणपत्रों के अर्वाइड अंकों से संबंधित शिकायत का निवारण विश्वविद्यालय की यूजी इसीए शिकायत समिति द्वारा किया जाएगा।
आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए एन.सी.सी./एन.एस.एस. प्रमाण पत्र के अर्वाइड अंक किसी भी शिकायत के लिए तीन दिन के लिए डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे। सभी शिकायतों को तीन दिन के भीतर विश्वविद्यालय की यूजी इसीए शिकायत समिति द्वारा हल किया जाएगा।
- 5) कॉलेज भर्ती किए गए आवेदकों के दस्तावेजों का उचित ECA के आधार पर रिकॉर्ड रखेगा।

- 6) प्रवेश की अंतिम तिथि के सात दिनों के भीतर कॉलेजों द्वारा ईसीए के आधार पर अंततः भर्ती आवेदकों की सूची (सॉफ्ट कॉपी) डीन (एडमिशन) को भेजी जाएगी।
- 7) आवेदक को प्रवेश के समय यह कहते हुए एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदक कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्वयंसेवक / कैडेट रहेंगे। अगर आवेदक अंडर ग्रेजुएट कोर्स की अपनी पूरी अवधि के दौरान अंडरटेकिंग का उल्लंघन करता है तो कॉलेज को प्रवेश रद्द करने का अधिकार होगा।

कॉलेज स्पोर्ट्स कोटा (सुपरन्यूमरी) के अन्तर्गत कुल सीटों जानकारी डीयू यूजी एडमिशन पोर्टल पर देगा साथ ही विभिन्न खेलों में सीटों की आवश्यकता के साथ। खेलों के आधार पर प्रवेश केंद्रीकृत स्पोर्ट्स मेरिट सूची आधारित होंगे। मेरिट सूची का आधार आवेदक द्वारा अपलोडेड किए गए प्रमाणपत्र/ खेलों में प्रतिभागिता एवं पाठ्यक्रम और कॉलेज की प्राथमिकता होगी।

1. खेल के आधार पर प्रवेश पाने वाले आवेदक को ऑनलाइन डीयू यूजी एडमिशन पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है।
2. आवेदक अधिकतम तीन Games/Sports (खेलों) के लिए पंजीकरण कर सकता है।
3. उन्हें अधिकतम पाँच के लिए महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की अपनी वरीयता भी दर्ज करनी चाहिए अपनी प्राथमिकता के क्रम में कॉलेज और पाठ्यक्रम / जहाँ वे भर्ती होने की इच्छा रखते हैं। इन प्राथमिकताओं का उपयोग बाद में कॉलेज और पाठ्यक्रम के आवंटन में किया जाएगा।
4. (UR / OBC / SC / ST / PwBD / EWS) पंजीकरण के शुल्क के अलावा खेल श्रेणी में 100 रु अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क लागू होगा।
2. आवेदक अधिकतम तीन Games/Sports (खेलों) के लिए पंजीकरण कर सकता है।
3. उन्हें अधिकतम पाँच के लिए महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की अपनी वरीयता भी दर्ज करनी चाहिए अपनी प्राथमिकता के क्रम में कॉलेज और पाठ्यक्रम / जहाँ वे भर्ती होने की इच्छा रखते हैं। इन प्राथमिकताओं का उपयोग बाद में कॉलेज और पाठ्यक्रम के आवंटन में किया जाएगा।
4. (UR / OBC / SC / ST / PwBD / EWS) पंजीकरण के शुल्क के अलावा खेल श्रेणी में 100 रु अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क लागू होगा।

यहाँ प्रवेश के आधार पर किया जाएगा:

- I. कैटेगरी ए मेरिट/ खेलों की सहभागिता के प्रमाणपत्र रखने वालों को सीधे प्रवेश।
- II. कैटेगरी बी, सी एंड डी मेरिट / खेलों की सहभागिता के प्रमाणपत्र रखने वालों आधार पर प्रवेश।

केटेगरी ए के आधार पर सीधे प्रवेश स्पोर्ट्सपर्सन जिन्होंने निम्नलिखित-स्पर्धा प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

युवा मामलों और खेल मंत्रालय (MYAS) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित होगा प्वाइंट नंबर पर खेल / खेल के लिए स्पोर्ट्स ट्रायल के बिना सीधे प्रवेश दिया गया।

II (B) जहां खेल / खेल की आवश्यकता घटक कॉलेजों द्वारा दी गई है।

- ए. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा ओलंपिक खेल
- ख. अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों (ISF) द्वारा विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप
- सी. राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (CGF) द्वारा राष्ट्रमंडल खेल
- घ. एशियाई ओलंपिक परिषद (OCA) द्वारा एशियाई खेल
- इ. अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों (ISF) द्वारा एशियाई चैम्पियनशिप
- च. दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद (SAOC) द्वारा दक्षिण एशियाई खेल (SAG)
- जी. अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (IPC) द्वारा पैरालंपिक खेल

द्वितीय। मेरिट के अंकन के लिए मानदंड के श्रेणियाँ बी, सी और डी के आधार पर प्रवेश भागीदारी खेल प्रमाणपत्र)

मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के लिए अधिकतम 100 अंक

1. मेरिट ऑफ मार्किंग / पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए मानदंड खेल / खेल प्रतियोगिताओं के विभिन्न स्तरों के लिए मार्क्स प्रदर्शित करते हैं।
2. स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनविटेशनल / मेमोरियल / ओपन / प्राइज मनी लीग / रैंकिंग प्रतियोगिताओं पर विचार नहीं किया जाएगा। मेरिट में पत्र / खेल में भागीदारी / भागीदारी प्रतियोगिता पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
3. आवेदक को तीन मेरिट / पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी होगी प्रमाण पत्र। हालांकि, केवल उच्चतम मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र होगा अंकन के लिए माना जाता है।
4. तीन साल से पहले के मेरिट / पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को 01 मई, 2017 से 30 अप्रैल, 2020 तक माना जाएगा।
5. आवेदक की योग्यता का स्तर केवल उन लोगों के लिए निर्धारित किया जाएगा जिनके पास है प्वाइंट नंबर- II में गेम्स / स्पोर्ट्स में पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान अंतर हासिल किया

(B).

6. स्पोर्ट्स के आधार पर एडमिशन के लिए के लिए आवेदक द्वारा अपलोड किए गए मेरिट / पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में न्यूनतम 08 अंक होने चाहिए।

खेलों के आधार पर प्रवेश

बेसबाल (M), बास्केटबाल (M & W), क्रिकेट (M & W), फुटबाल (M & W), हेंडबाल (M & W), हॉकी (M & W), कबड्डी (M & W), खो—खो (M & W), नेटबॉल (W), सॉफ्टबाल (W) और वॉलीबाल (M & W)

Dual & Combat Sports

बैडमिंटन (M & W), बॉक्सिंग (M & W), जूडो (M & W), स्कैश (M & W), टेबल टेनिस (M & W) ताइक्वांडो * (M & W), टेनिस (M & W) और कुश्ती (M & W) * Kyorugi

Individual Sports (इंडीविजुअल खेल)

तीरंदाजी ** (M & W), एथलेटिक्स (M & W), शतरंज (M & W), डाइविंग (M & W), जिमनास्टिक्स (M & W) शूटिंग *** (M & W), तैराकी (M & W) और भारोत्तोलन (M & W)** कम्पाउंड एंड रिकर्व *** 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल

ध्यान दें:

- 1) पात्र आवेदक को पाठ्यक्रम का आवंटन पात्रता की विशिष्ट न्यूनतम शर्तों और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप के अधीन होगा।
- 2) स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट में आने वाले आवेदक का नाम प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। आवेदक का प्रवेश कॉलेज एवं पाठ्यक्रम में सीटों की उपलब्धता के अधीन है।
- 3) कॉलेज की खेल प्रवेश समिति निम्नानुसार होगी:
 - a. चेयरपर्सन: प्रिंसिपल / प्रिंसिपल नॉमिनी
 - b. संयोजक: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग
 - c. सदस्य / सदस्य: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग
 - d. नॉमिनी: स्टाफ काउंसिल का एक संकाय सदस्य
- 4) कॉलेज की खेल प्रवेश समिति:
 - a. आवेदक द्वारा अपलोड किए गए पंजीकरण फॉर्म को स्क्रीन करें
 - b. आवेदक के मूल मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र से आवंटित अंकों के अनुसार आवेदक के अपलोड किए गए मेरिट / प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र को सत्यापित करें।

- 5) टाई के मामले में: आवेदक मेरिट / पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में समान अंक प्राप्त करते हैं एक ही खेल में प्रमाणपत्र / खेल और एक ही कॉलेज में प्रवेश के लिए पात्र और उसी पाठ्यक्रम को निम्नानुसार हल किया जा सकता है:
 - a. खेल प्रतियोगिता के उसी स्तर की मेरिट / पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले आवेदक जिस श्रेणी में आवेदक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को हाईएस्ट मेरिट / पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के रूप में चिह्नित किया गया है, उसे क्रमशः मेरिट और पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए दो और एक मार्क / अतिरिक्त दिया जाएगा।
 - b. यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो ऐसे सभी आवेदकों को भर्ती किया जा सकता है।
- 6) मेरिट / पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए अंकों के पुरस्कार से संबंधित शिकायत विश्वविद्यालय की यूजी स्पोर्ट्स शिकायत समिति द्वारा इसका निवारण किया जाना चाहिए।

यदि कोई हो, तो शिकायत दर्ज करने के लिए मेरिट / पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अंको को आवेदक के डैशबोर्ड पर तीन दिनों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।

सभी शिकायतों का समाधान विश्वविद्यालय के यूजी खेल शिकायत समिति द्वारा तीन दिनों के भीतर किया जाएगा।

- 7) आवेदक के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित सम्मानित अंक विश्वविद्यालय की यूजी स्पोर्ट्स एडमिशन / शिकायत समिति द्वारा मेरिट / पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट / दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम जांच के अधीन हैं। विश्वविद्यालय के यूजी स्पोर्ट्स एडमिशन / शिकायत समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 8) कॉलेज खेल के आधार पर भर्ती किए गए आवेदकों के दस्तावेजों का उचित रिकॉर्ड रखेगा।
- 9) खेल के आधार पर अंतिम रूप से भर्ती आवेदकों की सूची (सॉफ्ट कॉपी) विश्वविद्यालय के प्रवेश की अंतिम तिथि के सात दिनों के भीतर कॉलेजों द्वारा डीन, प्रवेश और निदेशक, DUSC को भेजी जाएगी।
- 10) एक आवेदक, उनकी आयु के अनुसार अगले तीन वर्षों के लिए अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होना चाहिए और कहीं भी अंशकालिक / पूर्णकालिक आधार पर नियोजित नहीं किया जाना चाहिए
- 11) झूठे / फर्जी मेरिट / पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आधार पर प्रवेश पाने के इच्छुक आवेदक को कॉलेज द्वारा प्रवेश रद्द कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
- 12) आवेदक को प्रवेश के समय १०० / - रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर एक अंडरटेकिंग यह कहते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, कि यदि आवेदक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित खेल प्रतियोगिताओं में चयनित होता है तो वह कॉलेज के लिए अभ्यास करेगा और प्रतियोगिता में भाग लेगा यदि आवेदक अध्ययन के स्नातक पाठ्यक्रम की अपनी पूरी अवधि के दौरान अंडरटेकिंग का उल्लंघन करता है तो कॉलेज को उसका प्रवेश को रद्द करने का अधिकार होगा।

खेल प्रमाणपत्रों के मानदण्ड मेरिट/ भागीदारिता के आधार पर

सर्टिफि केट का स्तर			अधिकतम अंक 100			
A	Game /sports /compitition	जारी करने वाली आर्थोटी				
	भारत का प्रतिनिधित्व किया ओलंपिक खेल / विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप/ राष्ट्रमंडल खेल / एशियाई खेल / एशियाई चैम्पियनशिप / दक्षिण एशियाई खेल / पैरालंपिक खेल	OC / ISF / CGF / OCA / SAOC / IPC / IOA / NSF द्वारा मान्यता प्राप्त एवं युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित	सीधा प्रवेश			
B	इंटरनेशनल यूथ / जूनियर प्रतियोगिता / राष्ट्रीय खेल / फेडरेशन कप / सीनियर नेशनल / नेशनल/ इंटर जोनल नेशनल / नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17/19 / खेलो इंडिया स्कूल / यूथ गेम अंडर 17/21 / यूथ/ जूनियर नेशनल / सब-जूनियर / जोनल नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेना	ISF / IOA / NSF युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित/ स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (SGFI)	98	88	78	68
श्रेणी	Level of game/sports /compitition	Certificate issuing authority	Maximum marx 100			
			1st positi on	2 nd posisti on	3 rd positi on	Participati on
C	Position in इंटर—	राज्य खेल ऐशोशिएसन/ स्टेट	58	48	38	Not

	जोनल/अंतर जिला/सीबीएसई नेशनल/ केवीएस नेशनल/ आईपीएसई नेशनल/आईसीएससी नेशनल/ डीएवी नेशनल/ एनवीएस नेशनल/ विद्या भारती नेशनल प्रतियोगिता	डायरेक्टर आफ एजुकेशन/ स्टेट स्कूल बोर्ड				eligibale
D	जिला/जोनल प्रतियोगिता/ सीबीएसई क्लसटर/जोनल, केवीएस/एनवीएस/रि जनल, डीएवी/विद्या भारती जोनल, सुब्रतो कप/ स्कूल खेल बोर्ड / प्रतियोगिता में स्थान	जिला खेल अशोसिएसन/जिला/जोनल/ रिजनल डायरेक्टर आफ एजुकेशन/ जिला स्कूल बोर्ड	28	18	8	Not eligible

ध्यान दें :

1. स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनविटेशनल / मेमोरियल / ओपन / प्राइज मनी लीग / रैंकिंग प्रतियोगिताओं पर विचार नहीं किया जाएगा। मेरिट में पत्र / खेल में भागीदारी / भागीदारी प्रतियोगिताओं पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
2. तीन साल से पहले के मेरिट / पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर विचार किया जाएगा
1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2020 तक।
3. आवेदक को तीन मेरिट / खेल प्रमाण पत्र पार्टिसिपेशन की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी होगी
4. केवल उच्चतम अपलोड किए गए मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र को अंको के लिए विचार किया जाएगा ।
- 7 गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (NCWEB) में प्रवेश

गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (NCWEB) उन हजारों युवा महिलाओं को सक्षम बनाता है जो विभिन्न कारणों से नियमित कॉलेज में कक्षाओं में भाग लेने के लिए शामिल नहीं हो सकती, वे शनिवार / रविवार और शैक्षणिक अवकाश के दौरान वे अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री के कक्षाएं ले सकती हैं। एनसीडब्ल्यूईबी एनसीटी दिल्ली की महिला छात्राओं को बिना नियमित कक्षाएं लिए सप्ताह में एक बार विशेष कोचिंग के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा देने की सुविधा प्रदान करता है।

NCWEB अब लगभग 26 अंडर ग्रेजुएट केंद्रों और एक पोस्ट ग्रेजुएट केंद्र में स्थापित किया गया है, जिसमें लगभग 32,000 छात्राएं अध्ययन रत हैं। इसके 26 अंडर ग्रेजुएट केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में चल रहे हैं।

महिला आवेदक जो अनुभाग 2.4 और 2.7 में निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें केंद्रीकृत यूजी प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहिए।

उन्हें प्रवेश के लिए नोन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के शिक्षण केंद्रों द्वारा बी.ए. (प्रो.) / बी.कॉम (पास) (तीन वर्ष) प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश शेड्यूल पर आधारित कट—आफ लिस्ट की मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। नॉन—कालिजिएट छात्र को किसी अन्य पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

एनसीटी दिल्ली में रहने वाली इच्छुक महिला आवेदकों को एनसीडब्ल्यूईबी में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों बी.ए. (प्रोग।) या बी.कॉम। अथवा दोनों के चयन के लिए स्वचालित रूप से एनसीडब्ल्यूईबी में नामांकित किया जाता है, NCWEB सेंट्रो पर कक्षाएं दी जाती हैं, छात्राओं को न्यूनतम 66.67 प्रतिशत कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य है जो मई के महीने में सेमिस्टर और एनुअल मोड पर दी जाती है। NCWEB यूजी छात्राओं को अपना बी.ए./बी.काम. का तीन वर्षीय पाठ्यक्रम छह वर्ष में पूर्ण करने की अनुमति है। बोर्ड संबंधित शिक्षण केंद्रों पर सभी स्नातक छात्रों को पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करता है। बोर्ड अकादमिक वर्ष में जरूरतमंद और योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता और पुस्तक ऋण की सुविधा देता है

एक शैक्षणिक सत्र वर्ष में 50 शिक्षण दिन होते हैं, या तो शनिवार या रविवार को आयोजित किए जाते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के अकादमिक अवकाश के दौरान। अंडर-ग्रेजुएट केंद्रों पर, कक्षाएं सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे के बीच आयोजित की जाती हैं।

शिक्षण के नॉन-कॉलेजिएट पाठ्यक्रम का एक प्रमुख लाभ शिक्षण संस्थानों के मौजूदा बुनियादी ढांचे की इसकी मामूली फीस और उपयोग है। छात्रों को कौशल विकास कार्यशालाओं, रोजगार के लिए प्लेसमेंट ड्राइव, स्वास्थ्य शिविर, और पर्यावरण जागरूकता जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक और पाठ्येतर गतिविधियाँ छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए एक नया क्षितिज हासिल करने की दिशा में, NCWEB छोटे, लेकिन आश्चर्य कदम उठा रहा है जो महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। यह समग्र विकास प्रदान करने और सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए शैक्षिक और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से

महिलाओं के दिमाग को प्रबुद्ध करने के लिए उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, एक समतावादी समाज के उद्भव के लिए सहायक है।

बी.ए. (प्रो।) / बी.कॉम के लिए प्रवेश प्रक्रिया:

- (i) B.A (प्रो.) विषय संयोजनों में सीटों की संख्या निश्चित है। SC / ST / OBC / EWS / PwBD / CW आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार लागू होगा।
- (ii) कट-ऑफ अनुभाग 2.4 और 2.7 में मापदंड के अनुसार "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों में प्रतिशत योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर तय किया जाएगा ।
- (iii) कोई भी छात्र जो NCWEB के किसी एक केंद्र में प्रवेश लेता है, प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उसे केन्द्र बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के घटक / संबद्ध कॉलेजों में NCWEB केंद्रों की सूची

नीचे दिया गया है:

मौजूदा NCWEB अंडर-ग्रेजुएट सेंटर की सूची (रविवार खुला):

1. अदिति महाविद्यालय
2. भारती कॉलेज
3. डा. भीम राव अंबेडकर कॉलेज
4. जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज
5. कालिंदी कॉलेज
6. लक्ष्मीबाई कॉलेज
7. महाराजा अग्रसेन कॉलेज
8. मेत्रेयी कॉलेज
9. माता सुंदरी कॉलेज
10. मिरांडा कॉलेज
11. कमला नेहरू कॉलेज
12. मोतीलाल नेहरू कॉलेज
12. पीजीडीवी कॉलेज
13. राजधानी कॉलेज
14. सत्यवती कॉलेज (Evening)

15. श्री गुरु गोविंद कालेज आफ कामर्स
16. श्री अरविंदो कॉलेज
17. विवेकानंद कॉलेज

विश्वविद्यालय को बिना किसी पूर्व सूचना के NCWEB के लिए और केंद्र जोड़ने का अधिकार है।

सामान्य जानकारी:

- प्रवेश के समय आवेदकों को अपने मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना होगा।
- प्रवेश शुल्क लगभग रु। 3,500 (रुपए तीन हजार पांच सौ)।
- PwBD श्रेणी छात्रों से Rs.100 / - (केवल एक सौ रुपये) का शुल्क लिया जाएगा।
- नॉन-कॉलेजिएट छात्रों को किसी अन्य पूर्णकालिक / डिग्री पाठ्यक्रम को परस्यु करने की अनुमति नहीं है।
- यह सुझाव दिया गया है अगर संभव हो तो छात्र अपने निवास के पास एक केंद्र में प्रवेश ले।
- एनसीटी दिल्ली का रेजिडेंस पूर्फ (जैसे आधार कार्ड / पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग) का निवास प्रमाण आवेदक के नाम पर लाइसेंस और / आवेदक के नाम के साथ राशन कार्ड) मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रवेश के लिए आगे की जानकारी और अनुसूची के लिए, आवेदकों को सलाह दी जाती है निदेशक, गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड, ट्यूटोरियल बिल्डिंग, से संपर्क करें दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -110007। अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट देखें <http://www.ncweb.du.ac.in>
- प्रवेश की मंजूरी के बाद, आवेदक को अंडरग्रेजुएट एकमिशन पोर्टल पर लागू आनलाइन फीस भुगतान 24 घंटे के अंदर प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करे।

8 प्रवेश के लिए आवश्यकताएँ

8.1 योग्यता परीक्षा

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के उद्देश्य से अर्हक परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा XII) होंगी या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा की पेशकश की स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक आवेदकों को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम अंको के साथ योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

8.2 आयु की आवश्यकता

विश्वविद्यालय के अध्यादेश- I के अनुसार, प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है विश्वविद्यालय और इसके कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को छोड़कर पाठ्यक्रम जहां संबंधित नियामक निकाय, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), ऑल इण्डिया काउंसिल आफ टेकनिकल एजुकेशन (AICTE), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI), आदि ने न्यूनतम उम्र के नियमों को निर्धारित किया है।

अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए गेप इयर बार नहीं होगा।

8.3 समतुल्यता मानदंड

कॉलेज के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदित, आवेदक के परीक्षा निकायों से संबंधित बोर्डों / भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संदर्भ में कॉलेज/विभाग द्वारा 13.01.2005 के विश्वविद्यालय परिपत्र पत्र में उल्लिखित सिफारिशों से विचार किया जाएगा।

भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से विभिन्न डिग्री /विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) / काउंसिल आफ बोर्ड्स आफ स्कूल एजुकेशन इन इण्डिया(COBSE) / मानव संसाधन विकास मंत्रालय या किसी भी

द्विपक्षीय समझौते को दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंधित डिग्री के समतुल्य माना जाता है, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम की अवधि समान है और आगे के विभागों / कॉलेजों को उनकी संबंधित प्रवेश समितियों के माध्यम से प्रक्रिया विकसित करने की अनुमति दी जा सकती है।

एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज / सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न बोर्डों के वरिष्ठ स्कूल प्रमाणपत्र को विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय बोर्ड के वरिष्ठ स्कूल प्रमाणपत्र के बराबर माना जाता है। विदेशी विश्वविद्यालयों / बोर्डों के विभिन्न डिग्री / स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र जो कि पहले ही समतुल्यता समिति द्वारा अनुमोदित हो चुके हैं, समय-समय पर, को रूटिन मेटर का विषय माना जाता है।

केवल उन आवेदकों के मामले जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज / यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन / ऑल इंडिया तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) / भारत में स्कूल शिक्षा बोर्ड की परिषद (COBSE) / मानव संसाधन विकास मंत्रालय मान्यता प्राप्त बोर्ड / की सूची में नहीं है को व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विश्वविद्यालयों के द्वारा विश्वविद्यालय में भेजा जाएगा।

किसी भी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश किसी बोर्ड / स्कूल द्वारा जारी किए गए अनुमानित अंकों के आधार पर नहीं दिया जाएगा

8.4 ग्रेड रूपांतरण [रिज़ॉल्यूशन नंबर 319, दिनांक 22/3/1976 के अनुसार] फॉर्मूला /

कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट में दिए गए ग्रेड बिंदु का औसत / मलेशिया / ओवरसीज / अफ्रीकन जी.सी.ई. / एग्जामिनेशन स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा और / अमेरिकी दूतावास स्कूल, नई दिल्ली की 12 वीं परीक्षा प्रतिशत अंको के साथ , जेसा कि केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मानित किया जाता है शिक्षा, नई दिल्ली, विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से।

Grade	Min.% of Each Grade	Grade	Mean Resultant Percentage
1	90	A	90
2	75	B	75
3	66	C	60
4	61	D	40
5	57	E	30
6	51	F	FAIL
7	47		
8	40		
9	FAIL		

8.4.2 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं) के लिए प्रवेश

Grade	Percentage Uniform Mark Range	Mean Resultant Percentage
A*	90-100	Midpoint 95
A	80-89	Midpoint 85
B	70-79	Midpoint 75
C	60 - 69	Midpoint 65
D	50 - 59	Midpoint 55
E	40 - 49	Midpoint 45

जहां कहीं भी जी.सी.ई. प्रमाणपत्र ग्रेड को इंगित करता है; यह प्रवेश आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के सममूल्य होता है। ग्रेड रूपांतरण देखें।

ऑनर्स कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को इस विषय में उन्नत स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स कोर्सेज के लिए आवेदक को भौतिक विज्ञान / रसायन विज्ञान / गणित / जीव विज्ञान में से एक में उन्नत स्तर उत्तीर्ण होना जरूरी है।

फिजिक्स / केमिस्ट्री में ऑनर्स कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदक को निम्न में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। गणित और एडिशनल गणित उन्नत स्तर पर गणित और कम से कम एक विषय में (1) शुद्ध गणित (2) अनुप्रयुक्त गणित (3) गणित (शुद्ध और एप्लाइड) और (4) आगे, गणित या साधारण गणित स्तर और उन्नत स्तर पर एक विषय।

2017 से कैम्ब्रिज इंटरनेशनल परीक्षाओं को कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन कहा जाने लगा है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय के यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय इस बोर्ड से 10 + 2 परीक्षा पास करने वाले आवेदकों को अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से 10 + 2 उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों के बराबर समझा जाएगा।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए प्रतिशत अंक का उपयोग किया जाएगा। ग्रेड्स को उन अंकों में नहीं बदला जाएगा जहां प्रतिशत समान अंक हैं। यदि कोई बोर्ड ग्रेड के साथ व्यक्तिगत विषयों के प्रतिशत अंकों की घोषणा करता है, फिर प्रतिशत अंकों को ध्यान में रखा जाएगा।

8.5 रीचेकिंग / रिवीलेशन। कॉलेज उन आवेदकों के प्रवेश पर विचार करेंगे जिनके अंक निर्धारित अवधि के भीतर उनके संबंधित बोर्डों द्वारा पुनः जाँच के बाद बढ़ गए हैं / पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया इस पर आधारित होगी कि वेद बशर्ते निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों और पाठ्यक्रम / कॉलेज में सीट उपलब्ध हो। कॉलेज के लिए आवश्यक होगा कि वो विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल पर सभी जानकारी विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अपडेट करें।

9 पंजीकरण के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची

आवेदकों को प्रवेश प्रक्रिया के पूर्ण होने पर निम्नलिखित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करने की आवश्यकता होगी जो उन्होंने पंजीकरण का समय और मूल रूप से भौतिक सत्यापन के समय प्रस्तुत की थी।

1. दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र (मार्क-शीट या प्रमाण पत्र) जिसमें जन्मतिथि और माता-पिता की तारीख का संकेत होता है।

(आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के नाम उनके माता-पिता के नाम एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / सीडब्ल्यू / के एम को उन नामों से मेल खाना चाहिए जो संबंधित आरक्षण प्रमाणपत्र; के दोनों सेटों पर दिखाई देते हों)

2. **बारहवीं कक्षा की मार्कशीट।**
3. SC / ST / OBC / EWS / CW / KM प्रमाणपत्र (आवेदक के नाम पर) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया (के तहत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के नाम एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / सीडब्ल्यू / केएम को उन नामों से मेल खाना चाहिए जो संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाण पत्र जो उनके नाम पर दिखाई देते हैं ; इसी तरह उनके माता-पिता के नाम प्रमाण पत्र के दोनों सेट में मेल खाना चाहिए)।
4. OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र (आवेदक के नाम पर) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, और जिसमें ओबीसी द्वारा जारी की गई केंद्रीय सूची में जाति है <http://ncbc.nic.in> (ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) के तहत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदक संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाण पत्र का नाम आवेदक के नाम के साथ मेल खाना चाहिए जो उनके नाम से प्रकट होता है; इसी तरह उनके माता-पिता के नाम प्रमाण पत्र के दोनों सेट में मेल खाना चाहिए)। वित्तीय वर्ष 2019 के लिए आय प्रमाण पत्र- 20, 31 मार्च, 2020 को या उसके बाद, जैसा कि निर्धारित किया गया है, की आवश्यकता होगी। का प्रारूप ओबीसी प्रमाणपत्र 2014 में जारी डीओपीटी प्रमाण पत्र के अनुसार हो। (परिशिष्ट VI)
5. सक्षम प्राधिकारी से ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (परिशिष्ट वी) (आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के नाम इस श्रेणी के अंतर्गत उन नामों से मेल खाना चाहिए जो उनके अनुरूप हैं स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाण पत्र; इसी तरह उनके माता-पिता के नाम दोनों में मेल खाने चाहिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आय प्रमाण पत्र, पर या उसके बाद दिनांकित 31 मार्च, 2020, जैसा कि निर्धारित किया गया है, की आवश्यकता होगी।
6. ईसीए / खेल श्रेणियों के माध्यम से प्रवेश का दावा करने वाले किसी भी आवेदक को आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों को अपलोड करना होगा / जब सूचना के इस बुलेटिन की धारा 6 में निर्धारित के रूप में मांग की जाएगी तो संबंधित आवश्यक प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण के समय आवेदक उन चित्रों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार होंगे जो वे अपलोड करते हैं। आवेदकों को ध्यान रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए की जो वो अपलोड कर रहे है वो प्रामाणिक और सटीक हो। आवेदक मांगे गए दस्तावेजों के लिए जिम्मेदार होंगे। आवेदक को सभी प्रमाण पत्र / दस्तावेज विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन कर वापस कर दिए जाएंगे।

यदि आवेदकों पंजीकरण के समयके पास हाल ही में वैध / वैध ईडब्ल्यूएस / ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) / एससी या एसटी जाति प्रमाण पत्र नहीं है आवेदक आवेदन की पावती पर्ची अपलोड कर सकता है। हालांकि, प्रवेश के समय, आवेदक को अपने हाल के / वैध मूल ईडब्ल्यूएस / ओबीसी (गैर-मलाईदार)/ एससी / एसटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10 प्रवेश शिकायत समितियाँ

एक केंद्रीय प्रवेश शिकायत समिति होगी, जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर आफिस में स्थित होगी।

प्रत्येक कॉलेज की अपनी शिकायत समिति होगी।

प्रत्येक कॉलेज की अपनी शिकायत समिति होगी। आवेदक विश्वविद्यालय स्नातक पोर्टल पर दिए गए लिंक "शिकायत" टैब का उपयोग करके ईमेल भेज सकते हैं।

कॉलेज शिकायत समिति के सदस्यों के नाम संबंधित कॉलेज के कॉलेज नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

शिकायत होने पर आवेदक को पहले कॉलेज की शिकायत समिति से संपर्क करना चाहिए। अगर उचित समय के भीतर शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, तो आवेदक केंद्रीय प्रवेश शिकायत समिति से संपर्क कर सकता है। एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस और एक अन्य PwBD आवेदकों की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक शिकायत उप समिति होगी। प्रत्येक कॉलेज में एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस के लिए एक अलग शिकायत समिति होगी, जिसमें तीन सदस्य होंगे, और लाइजन आफिसर इसका कनवीनर होगा।

कॉलेज एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस आवेदकों के लिए शिकायत समिति के सदस्यों के नाम, फोन न. और ईमेल पत्तों को कॉलेज की वेबसाइट और नोटिसबोर्ड पर आवेदकों की जरूरतों / सुविधा और संबोधित करने के लिए प्रदर्शित करेगा।

**लक्ष्मीबाई कालेज
दिल्ली विश्वविद्यालय
कट ऑफ अंक प्रतिशत में वर्ष 2019-20**

क्र . संख्या	कोर्स	सामान्य	ओबीसी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति।	पीडब्ल्यूडी	ईडब्ल्यूएस	केएम
1.	बीए आनर्स, अर्थशास्त्र	92.5	80	67	64	70	92.25	93
2.	बीए आनर्स राजनीति शास्त्र	90	80	84	77	83	87	NA
3.	बीकॉम आनर्स	92	75	65	61	68	89.75	87
4.	बीकॉम	88.5	73	67.5	60	67	84.5	84
5.	बीए आनर्स दर्शनशास्त्र	81	74	70	70	70	75	70
6.	बीए आनर्स अंग्रेजी	88.75	80.25	76	75	79	87.75	96
7.	बीए आनर्स संस्कृत	56	50	54	50	50	50	50
8.	बीए आनर्स इतिहास	87	81	81	72	72	82	na
9.	बीए आनर्स गणित	88	85	74	71	78	87	-
10.	बीए आनर्स हिन्दी	79	68	74	63	64	-	-

बीए प्रोग्राम अंतिम कटऑफ 2019-20

क्र . संख्या	कोर्स	सामान्य	ओबी सी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पीडब्ल्यू डी	ईडब्ल्यूए स	केएम
1.	बीए प्रोग्राम पंजाबी और राजनीति विज्ञान	71	68	65	60	60	70	70
2.	बीए प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन और राजनीति विज्ञान	80	77	75	65	65	77	78
3.	बीए प्रोग्राम दर्शनशास्त्र और राजनीति विज्ञान	83	77	76	76	76	81	81
4.	बीए प्रोग्राम हिंदी और इतिहास	81	72	70	65	65	75	80
5.	बीए प्रोग्राम संस्कृत और इतिहास	73	71	65	62	62	70	70
6.	बीए प्रोग्राम इतिहास	79	75	72	62	61	77	78

	और संगीत							
7.	बीए प्रोग्राम अर्थशास्त्र और गणित	83	78	77	76	78	83	83
8.	बीए प्रोग्राम एडवरटाइजिंग ग और सेल्समैनेजमेंट तथा अर्थशास्त्र	82	73	72	66	66	74	75
9.	बीए प्रोग्राम अंग्रेजी और अर्थशास्त्र	87	77	75	72	72	79	80
10.	बीए प्रोग्राम एडीसी और अर्थशास्त्र	76	89	66	60	60	75	77
11.	बीए प्रोग्राम फूड टेक्नोलॉजी और दर्शनशास्त्र	76	73	72	70	70	76	76
12.	बीए प्रोग्राम गणित और दर्शनशास्त्र	79	75	74	73	73	79	79
13.	बीए प्रोग्राम दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र	80	72	71	63	62	77	80
14.	बीए प्रोग्राम संगीत और समाजशास्त्र	76	73	71	70	73	76	76
15.	बीए प्रोग्राम पंजाबी और समाजशास्त्र	70	65	62	60	60	67	70
16.	बीए प्रोग्राम एडीसी और समाजशास्त्र	78	72	70	65	66	75	76

प्रवेश के बाद

महत्वपूर्ण जानकारी

उम्मीदवार के चयन और फीस के भुगतान और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ और विश्वविद्यालय द्वारा उसके नामांकन की मंजूरी के बाद वह कॉलेज की छात्रा बन जाती हैं;

- इंटर कॉलेज प्रवास के लिए, कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश IV का अनुसरण करता है।
- कोई भी छात्र, गलत / जाली / जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित हो जाएगा, और दिल्ली विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। उसका प्रवेश भी रद्द किया जा सकता है। इस तरह के मामलों को सभी कॉलेजों और पुलिस को सूचित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार एक छात्र को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष / सेमेस्टर में कॉलेज में आयोजित कुल व्याख्यान और व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) के दो तिहाई से कम नहीं, (प्रत्येक वर्ष / सेमेस्टर में 67%) अलग—अलग भाग लेने की आवश्यकता होती है। उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित किया जा सकता है।

नए प्रवेशकों के लिए ओरिएंटेशन डे

नोट: सभी नए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ प्रवेश पर्ची (admissions slip) लेकर आए।

छात्र प्रेरण कार्यक्रम: बाद में सूचित किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से कॉलेज की वेबसाइट देखें

पहचान पत्र: प्रत्येक छात्र को एक पहचान पत्र दिया जाता है, जिसे उसे हर दिन कॉलेज में लाना होगा। आवश्यकता पड़ने पर इस कार्ड को दिखाना होगा, ऐसा करने में विफल होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यदि पहचान पत्र खो जाता है, तो 200 / - रु के भुगतान पर डुप्लिकेट प्राप्त किया जा सकता है।

नोटिस बोर्ड: नोटिस बोर्ड पर विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नोटिस लगाए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन नोटिस बोर्ड पढ़ना आवश्यक है। नोटिस कॉलेज वेबसाइट और कॉलेज मोबाइल एप पर भी अपलोड किए जाते हैं।

प्रॉक्टोरियल बोर्ड और छात्र संघ

एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड, जिसमें शिक्षण स्टाफ के सदस्य और छात्र प्रतिनिधि शामिल हैं,

कॉलेज में अनुशासन के रखरखाव के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे, कारण होने पर संयोजक, प्रॉक्टोरियल बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।

छात्रों से निम्नलिखित आचार संहिता अपेक्षित है:

- ❖ हर दिन कॉलेज में पहचान पत्र और पुस्तकालय कार्ड साथ रखना;
- ❖ 'साइलेंस जोन' यानी कक्षाओं अंदर और बाहर, गलियारों के मौन बनाए रखे;
- ❖ नियमित रूप से सभी व्याख्यान, ट्यूटोरियल और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग ले;
- ❖ कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन को बंद रखे और परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन न लेकर आए;
- ❖ कक्षा खाली करने से पहले रोशनी और पंखे बंद करे;
- ❖ हर दिन नोटिस बोर्ड पढ़े ;
- ❖ कक्षाओं को अशांति से बचाने के लिए खाली समय के दौरान लाइब्रेरी, कॉमन रूम या कैंटीन का उपयोग करे;
- ❖ पुस्तकालय की पुस्तकों के पृष्ठों को न फाड़े;
- ❖ उद्यान को बनाए रखने में कॉलेज अधिकारियों की सहायता करे

महाविद्यालय के अधिकारियों को अभद्रता और दुर्व्यवहार के सभी मामलों की रिपोर्ट करना;

- ❖ आत्म-अनुशासन, स्वच्छता और समय की पाबंदी का निरीक्षण करना; तथा
- ❖ परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग न करे।

✓ भ्रमण / पिकनिक

छात्रों को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब भी कॉलेज शिक्षकों के साथ आधिकारिक पर्यटन, पिकनिक की व्यवस्था करे, छात्रों के अभिभावकों से, अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया जाएगा।

इस आशय का एक नोटिस, नोटिस बोर्ड पर कॉलेज अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कर लगा दें।

अगर छात्र , छात्रों द्वारा आयोजित या निजी समूह, या अनौपचारिक रूप से अपने दम पर, अपने जोखिम पर लंबी पैदल यात्रा / पर्यटन / पिकनिक के लिए जाते हैं तो कॉलेज किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी नहीं उठाएगा।

✓ कॉलेज परिसर में होली खेलना या दिवाली मनाना सख्ती से मना है। इस नियम को तोडने वाले छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

सुविधाएं

लाइब्रेरी और रीडिंग रूम

कॉलेज में इंटरनेट सुविधा, वाई-फाई के साथ एक अच्छी तरह से रखी गई , कम्प्यूटरीकृत लाइब्रेरी और एक विशाल रीडिंग रूम है जो पूरे साल सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक। (रविवार और राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर) छात्रों के लिए खुला रहता है।



कॉलेज लाइब्रेरी समिति पुस्तकालय को बेहतर बनाने और इसके पुस्तक संग्रह (बुक कलेक्शन) के लिए सक्रिय रूप से शामिल रहती है।

पुस्तकालय तक पहुँच अब छात्रों और शिक्षकों को उनके स्मार्ट आई-कार्ड के माध्यम से उपलब्ध है।

पुस्तकालय समिति एक पुस्तक मेले का भी आयोजन करती है जहाँ विभिन्न प्रकाशक और पुस्तक वितरक भागीदारी करते हैं। यह छात्रों और शिक्षकों को एक समृद्ध अनुभव देता है।

मेले का उद्देश्य छात्रों के बीच पढ़ने की संस्कृति का विकास करना है।

सामान्य और पाठ्य पुस्तक अनुभागों में पुस्तकें - केवल एक सप्ताह के लिए जारी की जाती हैं।

रिजर्व सेक्शन की पुस्तकें पुस्तकालय अध्यक्ष की पूर्व अनुमति और अग्रिम आरक्षण के बाद की जा सकती हैं। संदर्भ पुस्तकें और पीरियडिकल्स केवल परामर्श के लिए उपलब्ध हैं।

कॉलेज पुस्तकालय पूरी तरह से स्वचालित है, और Libsys सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। लगभग

87,134 पुस्तकें हैं स्वचालन प्रक्रिया में डाल दिया गया है। लाइब्रेरी कुल 45 समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करती है, और इसके पास विभिन्न संदर्भ स्रोतों जैसे कि विश्वकोश, शब्दकोश, एटलस और ईयरबुक का समृद्ध संग्रह है।

पुस्तकालय लगभग 500 ई- जर्नल्स 75000 ई- बुक तक दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली(DULS) द्वारा सब्सक्राइब किए गए उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं को पहुँच प्रदान करता है।

लाइब्रेरी में एक वातानुकूलित रीडिंग हॉल और उपयोगकर्ताओं के लिए 20 कंप्यूटर भी रखे हैं।

दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, पुस्तकालय में 225 ब्रेल पुस्तकें और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। कर्मचारियों और छात्रों के लिए लाइब्रेरी टिकट और लाइब्रेरी-आई कार्ड कंप्यूटर द्वारा बनाए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए (ऑन-लाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग) सुविधा भी प्रदान की जाती है।



लाइब्रेरी में इश्यू / रिटर्न काउंटर पर अधिक दक्षता के लिए एक स्कैनर गन भी है। पुस्तकालय एन-लिस्ट प्रोगाम INFLIBNET के माध्यम से ई-संसाधन प्रदान करने की प्रक्रिया में है।

नियम

- ❖ कॉलेज का पहचान पत्र हर दिन सभी सेवा बिंदुओं, यानी प्रवेश द्वार, इश्यू काउंटर, संदर्भ अनुभाग आदि पर दिखाना होगा।
- ❖ तीन किताबें-ऑनर्स के (द्वितीय और तृतीय वर्ष) छात्रों के लिए , और दो बीए (प्रो.द्वितीय और तृतीय वर्ष) कॉलेज पहचान पत्र दिखाने पर जारी की जा सकती है।
- ❖ छात्रों को लाइब्रेरी फॉर्म के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो लाना आवश्यक होगा।
- ❖ छात्रों को किताबों की देरी से वापसी के लिए रु 1.00 और संदर्भ पुस्तकों की देर से 2.00 रु प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा।
- ❖ छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तकों के नुकसान के लिए जुर्माना लगाया जाएगा और यहां तक कि पुस्तकालय सुविधाओं से भी वंचित किया जा सकता है।
- ❖ पुस्तकों के गुम होने पर तुरंत लाइब्रेरियन को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए, विफल रहने पर छात्र किताब की लागत से डेढ़ गुना ज्यादा जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा। पुस्तकालय की किसी भी पुस्तक / पत्रिका से पृष्ठ फाड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- ❖ छात्रों को पुस्तकालय के नियमों और विनियमों और पुस्तकालय से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए समय-समय पर लाइब्रेरी नोटिस-बोर्ड देखने की आवश्यकता होती है।

सेमिनार रूम




कॉलेज में 100 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ,अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित एक वातानुकूलित सेमिनार रूम है। जो कि सेमिनार और वर्कशाप (कार्यशालाओं) के लिए विभिन्न तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित है।

केफेरिया (काफीहाउस)

लक्ष्मीबाई कॉलेज पूरी तरह कार्यात्मक, विशेष रूप से शाकाहारी कैंटीन के साथ छात्रों और कर्मचारियों को पौष्टिक, पौष्टिक भोजन परोसने से सुसज्जित है। इंटरकॉम सुविधा के साथ विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित कैंटीन कार पार्किंग के बगल में और लॉरेज थिएटर II के पीछे स्थित है। कैंटीन मेनू अत्यधिक सस्ती कीमतों पर उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और चीनी व्यंजनों और

हल्के नाश्ते और पेय की सुविधा प्रदान करता है। यह सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 से सांय 5 बजे तक खुला रहता है। कॉलेज स्टाफ काउंसिल द्वारा नियुक्त केटरिंग कमेटी इसकी निरंतर निगरानी करती है। यह नियमित रूप से इन-हाउस फ्रंक्शंस के लिए खानपान प्रदान करता है, आगंतुकों के साथ-साथ विशेष कार्यक्रमों के प्रावधानों के लिए सहायता करना। किसी भी समस्या / सुझाव के मामले में कैंटीन समिति से संपर्क किया जा सकता है।



कॉलेज कैंटीन में करे और नहीं करें।

1. सर्वर के प्रति सम्मानपूर्ण रहें; कृपया और धन्यवाद कहिये।
2. हमेशा अपने आसपास दूसरों के प्रति सचेत रहें।
3. कैंटीन को साफ रखें।
4. खरीद के लिए कतार में रहें।
5. उपयोग के बाद खाने के बर्तनों को अपने उचित स्थानों पर रखे।

क्या न करें

1. अपने भोजन को तेज़ी से प्राप्त करने के लिए कतार में न लगें।
2. सेवारत क्षेत्र के बीच में बातचीत शुरू न करें।
3. दोपहर के भोजन के लिए अपमानजनक नहीं होगा।
4. सर्विंग एरिया में भीड़भाड़ होने पर लोगों को धक्का न दें।
5. खेलने या चिल्लाने या भागो नहीं
6. अनुमति के बिना कैंटीन से टेबल या कुर्सियां नहीं हटाएं।

जिमनाशियम,



Gymnasium

स्वामी विवेकानंद ने लिखा था "मस्तिष्क और मांसपेशियों को एक साथ विकसित होना चाहिए। एक बुद्धिमान मस्तिष्क और पूरी दुनिया में लोहे की नसें आपके चरणों में हैं।" लक्ष्मीबाई कॉलेज अपने आधुनिक, नवीनतम और पूर्ण रूप से सुसज्जित व्यायामशाला को प्रस्तुत करने में गर्व महसूस करता है, जो कॉलेज के मजबूत बुनियादी ढांचे की एक आवश्यक विशेषता है। कॉलेज के व्यायामशाला की स्थापना के पीछे एक ध्वनि शरीर में एक ध्वनि मन

है। भुगतान के आधार पर सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए व्यायामशाला सभी के लिए खुली है, रु। 500 केवल प्रति माह, सप्ताह में छह दिन। हालांकि, यह विशेष रूप से खेल पाठ्यक्रम से संबंधित छात्रों के लिए बनाए रखा गया है। यह एक हलचल भरा स्थान है जहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं और सकारात्मक वाइब्स चारों ओर बजती हैं। इसमें ट्रेडमिल से लेकर क्रॉस-ट्रेनर तक, साइकिल चलाने की मशीन से लेकर जुडवाँ तक के कुछ नाम तक लगभग हर आवश्यक सुविधाओं का दावा है। इसके अलावा हमारे पास आठ स्टेशन व्यायाम सेट, व्यायाम बाइक, वजन उपकरण, क्रंच व्यायाम उपकरण और क्या नहीं है! व्यायाम करने से लेकर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तक हर चीज को करने का उचित तरीका दिखाने के लिए जिम्मेजियम इंस्ट्रक्टर है।

एलबीसी मोबाइल एपीपीक्ष्मीबाई कॉलेज, I-MADE प्लेटफॉर्म के साथ अपने आधिकारिक मोबाइल ऐप का निर्माण और सफलतापूर्वक और लॉन्च किया जो छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुप्रयोगों तक पहुंच प्रदान करता है। मोबाइल एप्लिकेशन की विशेषताएं

- फेसबुक पेज की तरह प्रिंसिपल, फैकल्टी और स्टाफ के साथ सीधा संवाद।
- समाचार और घोषणाएँ
- ऑनलाइन टाइम टेबल और उपस्थिति मॉड्यूल
- ई-संसाधन और लाइब्रेरी बुक सर्चिंग
- आरएफआईडी कार्ड / आईडी कार्ड डैशबोर्ड का पुनर्भरण
- लक्ष्मीबाई कॉलेज बटुआ
- कैंटीन में ऑनलाइन आदेश और भुगतान
- पैनिक बटन
- एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन
- वेबसाइट के साथ जुड़ा हुआ है:

प्रयोगशालाओंकॉलेज में विशाल, अच्छी रोशनी और अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं:

- > खाद्य प्रौद्योगिकी लैब Lab परिधान डिजाइन लैब;
- > वातानुकूलित कंप्यूटर लैब्स।
- > वातानुकूलित मीडिया लैब।

कॉलेज प्रयोगशालाएँ करने और नकरने योग्य

*करने योग्य

1. आग बुझाने की मशीन और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के स्थान को जानें और आपातकाल के मामले में उनका उपयोग कैसे करें।
2. पढ़ें और समझें कि प्रयोगशाला में आने से पहले किसी गतिविधि को कैसे पूरा किया जाए।
3. अपने व्याख्याता / प्रयोगशाला तकनीशियन को तुरंत आग या दुर्घटनाओं की सूचना दें।
4. किसी भी टूटे हुए प्लग या उजागर बिजली के तारों की सूचना अपने लेक्चरर / प्रयोगशाला तकनीशियन को तुरंत दें।

*क्या न करें

1. प्रयोगशाला में खाना या पीना न करें।
2. बिजली के तारों या किसी अन्य कंप्यूटर केबल पर कदम रखने से बचें।
3. विशेष रूप से बिजली चालू होने पर केसिंग या मॉनिटरिंग यूनिट को खोलना नहीं चाहिए।
4. कंप्यूटर केसिंग में धातु की वस्तुओं जैसे क्लिप, पिन और सुइयों को सम्मिलित न करें। इनसे आग लग सकती है।
5. बिना अनुमति के कंप्यूटर प्रयोगशाला से कुछ भी न निकालें।
6. अपने लेक्चरर / प्रयोगशाला तकनीशियन की अनुमति के बिना किसी भी प्लग या केबल को स्पर्श, कनेक्ट या डिस्कनेक्ट न करें।
7. कंप्यूटर प्रयोगशाला में दुर्व्यवहार न करें।

बैंक: बैंक ऑफ इंडिया का कॉलेज में एक्सटेंशन काउंटर है। यह कर्मचारियों और छात्रों को सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। बैंक नियमित रूप से सेमिनार और विभिन्न कॉलेज गतिविधियों को प्रायोजित करके कॉलेज जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। फोटोस्टेट: भुगतान के आधार पर फोटोस्टेट सुविधा प्रदान करने के लिए कॉलेज में फोटोस्टेट केबिन है।

परिवहन: मार्ग- लक्ष्मीबाई महाविद्यालय की सेवा- 166, 181A, 912 और निकटतम मेट्रो स्टेशन कन्हैया नगर, इंद्रलोक, शास्त्री नगर आदि

*क्रेच सुविधा हैं

लक्ष्मीबाई परिसर में युवा माता-पिता के लिए अब एक नया समर्थन मंच है अपने बच्चों को पालना और संवारना। कॉलेज ने 25 अक्टूबर 2019 को अपने क्रेच कम डे केयर

सेंटर परवरिश का उद्घाटन किया। इस क्रेच का उद्घाटन दिल्ली सरकार में रोजगार, विकास, श्रम, सामान्य प्रशासन और सिंचाई मंत्री श्री गोपाल राय ने किया था। यह केंद्र सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक संचालित होता है। केंद्र दो मंजिलों यानी ग्राउंड और फर्स्ट से सुसज्जित पूरी तरह से सुसज्जित पेंटी और चाइल्ड फ्रेंडली सुविधाओं के साथ संचालित होता है। केंद्र प्रमुख और सहायक कर्मचारी बचपन की देखभाल के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजरते हैं। सेंटर के दिन-प्रतिदिन की भागदौड़ को एक बाहरी एजेंसी यूरोकिड्स, एक प्री-स्कूल और प्ले ग्रुप चैन को आउटसोर्स किया गया है। सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस होने के अलावा, केंद्र सभी आधुनिक तकनीकों से लैस है। सीसीटीवी के माध्यम से एक ऐप आधारित सेवा माता-पिता को दूरस्थ रूप से यह देखने में सक्षम कर सकती है कि उनके बच्चे केंद्र में क्या कर रहे हैं। पेरेंट्स कनेक्ट ग्रुप बच्चे की गतिविधियों पर माता-पिता को लगातार अपडेट देता है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र छात्रों की प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए एक प्रशिक्षित और योग्य नर्स है। जब भी आवश्यक हो, छात्र मेडिकल कक्ष में चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, छात्र मार्ग में स्थित स्वास्थ्य केंद्र, W.U.S से छात्र चिकित्सा परामर्श और उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को WUS सदस्यता फॉर्म भरना होता है और उसे डील करना होता है (सदस्यता वैकल्पिक है)। किसी भी समस्या / सुझाव के मामले में चिकित्सा समिति के शिक्षकों से संपर्क किया जा सकता है।

* विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सुविधाएं:

कॉलेज नेत्रहीन छात्रों के लिए एक संवेदनशील और मैत्रीपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। सभी पाठ्यक्रमों में ऐसे छात्रों की संख्या काफी है। महाविद्यालय ने 2006-07 में HEPSN कार्यक्रम के तहत X योजना अवधि में UGC अनुदान की सहायता से विकलांगता इकाई की स्थापना की। यह इकाई दृश्य विकलांगता वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करती है। कॉलेज उन्हें कंप्यूटर साक्षर बनाने और उनके अंग्रेजी भाषा कौशल को बेहतर बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है ताकि वे भी अपने लिए एक ब्रह्मांड का निर्माण करें जो यथासंभव उज्वल और सामान्य हो।

काउंसलिंग और मार्गदर्शन हमारे कॉलेज में प्रवेश के लिए अलग-अलग विकलांग छात्रों को प्रदान किया जाता है। छात्रों को संगठित और असंगठित क्षेत्र की छात्रवृत्ति / फेलोशिप और अन्य गतिविधियों के लिए आवेदन करने में मदद और मार्गदर्शन किया जाता है। दृश्य विकलांग छात्रों को उनके अध्ययन और अन्य कार्यों में मदद करने के लिए JAWS, NVDA और SAFA जैसे सॉफ्टवेयर प्रदान किए जाते हैं। एक विशेष कंप्यूटर लैब जिसे 'सक्षम इकाई कंप्यूटर लैब' कहा जाता है, को उनके लिए 3 अक्टूबर 2016 को फिर से खोल दिया गया। दृष्टिहीन छात्रों के कौशल-विकास के लिए एक कंप्यूटर प्रशिक्षक भी नियुक्त किया जाता है। रचनात्मकता बोर्डरचनात्मकता मानवता के लिए सबसे अच्छा है। यह हमारे अस्तित्व के सबसे रहस्यमय और अभी तक सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। सिद्धांत रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में बताते हैं लेकिन कोई भी उस क्षण के जादू से इनकार नहीं करेगा जब कुछ नया बनाया जाता है और रूप लेता है। यह एक ईश्वर-जैसा गुण है, जो एक गहरे व्यक्तिगत दायरे से निकल सकता है, लेकिन अपने समस्त रूप में एक सार्वभौमिक विमान तक पहुंचता है। रचनात्मकता, इस प्रकार विरोधाभासी रूप से, हमें एक निर्माता और साथ ही पूरी तरह से मानव बनाती है। यह हमें अपने

विचारों और भावनाओं को एक सौंदर्य सांचे में ढालने में सक्षम बनाता है। हम सभी में एक ब्लेक, एलियट, टैगोर, पिकासो या एक डिज्नी है। एक अद्वितीय स्थान के रूप में, जो हम सभी के भीतर रचनात्मक क्षमता का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है, हम आपको रचनात्मक बोर्ड पर अपने रचनात्मक उपक्रमों को साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आपकी प्रविष्टियाँ कविताओं, कहानियों (पाँच सौ शब्दों से अधिक नहीं), रेखाचित्रों, चित्रों के रूप में हो सकती हैं। छात्र इन्हें मेल कर सकते हैं: lbccreativeb@gmail.com

कॉलेज परिसर में छात्रों के लिए ईमेल, वाई-फाई और लैपटॉप वाई-फाई सुविधा उपलब्ध है। बीमा शुल्क के भुगतान पर लैपटॉप प्रदान किए जाते हैं। साथ ही छात्रों को आधिकारिक ईमेल-आईडी प्रदान की जाती है।

ऑनलाइन उपस्थिति, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया छात्रों और अभिभावकों के लिए कॉलेज की वेबसाइट पर ऑन लाइन विकल्प उपलब्ध है। वे कॉलेज की वेबसाइट से उपस्थिति और आंतरिक मूल्यांकन रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। साथ ही माता-पिता और छात्रों को कॉलेज और संकाय के बारे में प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की सुविधा है।

लॉन और खेल मैदान कॉलेज में हरे-भरे सामने के लॉन और विशाल मैदान हैं। छात्रों को लॉन और खेल मैदान की साफ-सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। कॉलेज लॉन और स्पोर्ट्स ग्राउंड में करने और न करने

1. लॉन और खेल मैदान में कॉलेज की संपत्ति और जुड़नार का पर्याप्त ध्यान रखें। 2. कॉलेज के लॉन / खेल मैदान में पौधों, फूलों और बाकी सभी चीजों का ध्यान रखें।
 3. छात्रों को किसी भी घटना / गतिविधि के लिए कॉलेज के लॉन / खेल मैदान का उपयोग करने से पहले अनुमति लेनी चाहिए।
 4. छात्रों को कॉलेज के लॉन / खेल मैदान में कोई संकेत देने से पहले अनुमति लेनी चाहिए।
 5. बर्बरता और भित्तिचित्रों की रिपोर्ट करें। बदमाश के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
 6. कॉलेज इन सुविधाओं के बेहतर उपयोग से संबंधित किसी उपयोगी सुझाव या विचार का स्वागत करता है।
 7. कॉलेज की इन सुविधाओं का अनुकूलतम और सावधानीपूर्वक उपयोग करें। क्या न करें
1. कॉलेज के लॉन / खेल मैदान में स्थापित बेंच, कुर्सियाँ या अन्य उपकरण खराब न हों।
 2. घास पर चलना मना है
 3. कूड़े मत करो।
 4. कॉलेज के लॉन / खेल मैदान में अन्य छात्रों की गतिविधियों में कोई गड़बड़ी या अनावश्यक हस्तक्षेप न करें।

5. कॉलेज के लॉन / खेल मैदान के पौधों और पेड़ों के फूल, पत्तियों को नुकसान न करें। अन्य सहायता Sysytem भारतीय भाषाओं के लिए भारतीय भाषा केंद्र: विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों के साथ विविधता का जन्म मनाने से अन्य छात्रों को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने में मदद मिलती है। मल्टी लिंगुअल लैंग्वेज लैब- छात्रों के पास अपनी भाषा कौशल को सुधारने का अवसर होगा।

विदेशी भाषाओं के लिए केंद्र:

जापानी, चीनी, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच। विदेशी भाषा सीखकर अपने सीवी में मूल्य जोड़ें।
मेंटरशिप प्रोग्राम:

मेंटर मेंटी प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों की मेंटरिंग करना जहाँ संकाय सदस्यों को पेशेवर और व्यक्तिगत परामर्श के लिए छात्रों को सौंपा जाता है।

चर्चा मंच कॉलेज अपने विभिन्न समाजों के तत्वावधान में अपने छात्रों की वक्तृत्व क्षमता और महत्वपूर्ण तर्क कौशल को बढ़ाने के प्रयास में बहस और चर्चा को बढ़ावा देता है। कॉलेज प्रासंगिक विषयों पर रचनात्मक चर्चा को प्रोत्साहित करता है, जिसका व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व है।

V4V, Navrang- The Dramatics Society द्वारा आयोजित लक्ष्मीबाई कॉलेज में session बैटल ऑफ थॉट्स 'का एक सत्र, महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों और अभिनय और रंगमंच से संबंधित विभिन्न नवीन तकनीकों के बारे में चर्चा की गई। साहित्य और प्रकाशन समिति ने 25 मार्च 2019 को "विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी" विषय पर लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विश्वविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया।

इन घटनाओं ने छात्रों को प्रासंगिक मुद्दों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया और उन्हें अकादमिक खोज से परे अपने क्षितिज को व्यापक बनाने में सक्षम बनाया।

वित्तीय सहायता

शुल्क रियायत

निधि की उपलब्धता पर सभी जरूरतमंद और योग्य छात्र शुल्क रियायत के लिए आवेदन कर सकते हैं। रियायत मिलने तक फीस का भुगतान किया जाना चाहिए। रियायत अच्छे आचरण, नियमित उपस्थिति और पढ़ाई में संतोषजनक प्रगति के अधीन है। छात्रों की सहायतानिधि छात्रों की सहायता निधि से जरूरतमंद और योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है।

छात्रवृत्ति दिल्ली सरकार और छात्रवृत्ति सेल, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति हैं।

पिछले वर्ष से उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:

- दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए

❖ मेरिट छात्रवृत्ति।

OBC ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति।

- निजी संगठन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति:
- ❖ मेरिट के आधार पर विश्व ब्रदरहुड संगठन की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति। किसी भी अन्य छात्रवृत्ति के लिए, विवरण कॉलेज कार्यालय या विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
- कमाएँ जबकि आप सीखें योजना AEPIC, “कमाओ जबकि तुम सीखो योजना” के तहत छात्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक छात्र इंटरनशिप कार्यक्रम लक्ष्मीबाई कॉलेज में पहली बार शुरू किया गया और स्वच्छ और हरे परिसर और WISHWAS के लिए स्वयंसेवी इंटरनशिप भी प्रदान करता है।

शैक्षणिक आवश्यकताएँ

कॉलेज के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसा कि विश्वविद्यालय कैलेंडर के अध्यादेश VII में निर्धारित किया गया है। छात्रों को नियमित रूप से सभी व्याख्यान, ट्यूटोरियल / प्रीसेप्टोरियल और प्रैक्टिकल में भाग लेने की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार एक छात्र को कुल शैक्षणिक और सेमेस्टर में दो तिहाई से कम नहीं, अलग-अलग, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष / सेमेस्टर (प्रत्येक वर्ष / सेमेस्टर में 67%) में भाग लेने की आवश्यकता होती है। उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित किया जा सकता है।

वार्षिक एनसीसी शिविर या एनएसएस असाइनमेंट या इंटर-कॉलेज / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय खेल या अतिरिक्त-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए चयनित / प्रतिनियुक्त छात्रों को प्राचार्य द्वारा अनुमोदित अधिकतम एक तिहाई व्याख्यान और आयोजित किए गए प्रैक्टिकल के लिए चुना जा सकता है। बीमारी के मामले में छुट्टी का आवेदन एक मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ होना चाहिए जो संबंधित शिक्षकों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद कॉलेज कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि कॉलेज के बाहर अध्ययन के अन्य पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए उपस्थिति की कमी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आंतरिक बीमा योजना

दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्णय के अनुसार प्रत्येक पेपर में कुल अंकों का 25% विश्वविद्यालय कैलेंडर के अध्यादेश-VIII-E के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के लिए आवंटित किया जाएगा। सीबीसीएस सेमेस्टर मोड आंतरिक मूल्यांकन में अंडर-ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, आंतरिक मूल्यांकन 25% वेटेज और अंत सेमेस्टर परीक्षा 75% वेटेज होगा आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का वितरण निम्नानुसार होगा:

विवरण	वेटेज
विवरणवेटेजउपस्थिति (इंटरैक्टिव अवधि और ट्यूटोरियल सहित व्याख्यान)	5%
लिखित असाइनमेंट / प्रोजेक्ट रिपोर्ट / ट्यूटोरियल /सेमिनार	%10
टेस्ट	%10

व्याख्यान और ट्यूटोरियल में भाग लेने के लिए नियमितता के लिए 5% वेटेज दिया जाएगा। उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक पेपर में नियमितता का श्रेय निम्नानुसार होगा

67% से अधिक लेकिन 70% से कम	1 अंक
%70या अधिक लेकिन %75से कम	2अंक
75% या अधिक लेकिन 80% से कम	3 अंक
80% या अधिक लेकिन 85% से कम	अंक 4
%85और ऊपर	अंक 5

ECA / NSS / NCC को विश्वविद्यालय के अध्यादेशों और नियमों के अनुसार लाभ दिया जाना चाहिए और प्रति सेमेस्टर आयोजित किए गए व्याख्यान की कुल संख्या का 1 / 3rd से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे छात्र के मामले में जिसे N.C.C के सदस्य के रूप में चुना जाता है। वार्षिक एन सी सी में भाग लेने के लिए। नागरिक सुरक्षा कार्य और संबद्ध कर्तव्यों का पालन करने के लिए, या राष्ट्रीय सेवा योजना में नामांकित छात्र के मामले में शिविरों में प्रतिनियुक्ति की जाती है और संबंधित सार्वजनिक संस्था के प्रमुख के अनुमोदन से या उसके साथ विभिन्न सार्वजनिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। वह छात्र जो इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड द्वारा आयोजित खेल या अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए चुना जाता है या कुलपति द्वारा आयोजित खेल या अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए चुना जाता है, या वह छात्र जो इंटर यूनिवर्सिटी यूथ में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक है त्योहार, या एछात्र जो प्रादेशिक सेना में समय-समय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आवश्यक है, या एक छात्र जो भाग लेने के लिए कॉलेज द्वारा प्रतिनियुक्त है, कॉलेज, खेल, जुडनार, बहस सेमिनार, एक सामाजिक कार्य परियोजनाओं के लिए संगोष्ठी, या एक छात्र जो प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक है अन्य विश्वविद्यालयों में आयोजित बहस और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों या कुलपति द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य गतिविधियों में संबंधित कॉलेज, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

- (i) ऊपर सूचीबद्ध श्रेणियों में एक छात्र को लचीलेपन के साथ लिखित असाइनमेंट और प्रोजेक्ट / टर्म पेपर / सेमिनार / फील्ड-वर्क की आवश्यकता को पूरा करना होगा, हालांकि, यदि आवश्यक हो, तो उसे जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा सकती है। लिखित कार्य।

- (ii) ऊपर सूचीबद्ध श्रेणियों में एक छात्र, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार छूटे हुए वर्गों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के लिए लाभ या उपस्थिति प्राप्त करेगा विश्वविद्यालय समीक्षा का अधिकार सुरक्षित रखता है, और यदि आवश्यक हो तो किसी भी कॉलेज / विभाग में किसी भी पेपर / पेपर में अंक को मॉडरेट करता है

नियमितता के लिए प्रदान किए जाने वाले अंकों के लिए ऋण की गणना करते समय चिकित्सा प्रमाणपत्रों को बाहर रखा जाएगा, हालांकि अध्यादेश VII.2.9 (एके मौजूदा प्रावधानों के (अनुसार परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पात्रता की गणना करने के उद्देश्य से इस तरह के) प्रमाणपत्रों को ध्यान में रखा जाएगा।ii)

स्टॉफ काउंसिल कमेटी 2020-21

ANTI SMOKING COMMITTEE
COURSES समन्वयक पर जोड़ें
अम्बेडकर स्टडी सर्कल
सफाई और महान मिशन
रचनात्मकता, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण समिति
ड्रामा सोसाइटी
घटना प्रबंधन समिति
एक्वायल ऑप्टीनेबिलिटी सेल
गांधी अध्ययन केंद्र
स्वास्थ्य और कल्याण समिति

पुस्तकालय समिति
साहित्यिक सोसाइटी और प्रकाशन
संगीत और नृत्य समिति
विकल्प सूचना समिति)OIC)
प्लेसमेंट सेल पंख))
निजी समिति
व्यावसायिक बोर्ड और छात्र संघ के सलाहकार
स्कूलरशिप और फीस कंसीशन कमेटी
खेल समिति
विवानकंद अध्ययन केंद्र
महिलाओं का विकास केंद्र)WDC) और स्वीकृति का भुगतान
यूथ लाल फसल

सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में

छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें निम्नलिखित में शामिल होने की उम्मीद है:

- (i) राष्ट्रीय खेल संगठन (N.S.OI) / (शारीरिक शिक्षा) या
- (ii) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) या
- (iii) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.) का शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग

लक्ष्मीबाई कॉलेज के शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास के लिए है और इसलिए, शिक्षाविदों के साथ-साथ खेल गतिविधियों का एक संयोजन प्रदान करता है। दो संकाय सदस्यों डॉ। सुनीता अरोड़ा और डॉ। सीमा शर्मा के साथ, विभाग शारीरिक शिक्षा के पेपर पढ़ा रहा है और हमारे कॉलेज परिसर में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न खेलों में एक ही समय में कई खेल गतिविधियों का संचालन कर रहा है।

विभाग शारीरिक शिक्षा के रूप में बी.ए. में अनुशासन पत्र प्रदान करता है। (प्रोग्राम), दोनों कोर के साथ-साथ ऐच्छिक पेपर भी। इस सत्र के लिए, पेपर को राजनीति विज्ञान अनुशासन के साथ पेश किया जा रहा है।

स्पोर्ट्स को लक्ष्मीबाई कॉलेज की पहचान माना जाता है और हम महिला खेलों में डीयू के शीर्ष दो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कॉलेजों में से एक हैं। छात्र विभिन्न स्तरों पर विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं और पुरस्कार जीतते हैं। इंटर-कॉलेज, इंटर-यूनिवर्सिटी, राज्य और राष्ट्रीय से शुरू होकर, हमारे कई छात्र अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं। हम तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, जूडो, कबड्डी, खो-खो, नेटबॉल, पावर-लिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और योग सहित विभिन्न खेलों में बुनियादी सुविधाएं / सुविधाएं प्रदान करते हैं। छात्रों को पूरे वर्ष अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सभी खेलों में प्रशिक्षित किया जाता है। हाल ही में, हमने अभ्यास (राइफल और पिस्टल) के लिए एक इंडोर शूटिंग रेंज को जोड़ा है, जो लगभग पूरा हो गया है और वर्तमान सत्र से कार्यात्मक होगा। इसके अलावा, छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की फिटनेस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉलेज में एक अच्छी तरह से सुसज्जित व्यायामशाला है। हमारे पास पूरे सत्र में इन आधारों को बनाए रखने के लिए सहायक कर्मचारी भी हैं। उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खेल और अभ्यास में शामिल होने के लिए कॉलेज के सभी छात्रों के लिए सुविधाएं खोली जाती हैं।

खेल 2019-20



अंतरराष्ट्रीय

मीनाक्षी ने ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित 11 वीं एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक एशियन चैम्पियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि अमनप्रीत, नेहा गुप्ता और सिजी अनियान ने चीन के झोंगशान में आयोजित 2 बीएफए महिला एशियन बेसबॉल चैम्पियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें गौरवान्वित किया। महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ओपन इंटरनेशनल योग स्पोर्ट चैम्पियनशिप आयोजित की गई थी; रोहिणी ने निशा और बबीता ने पहला स्थान हासिल किया, काजल ने दूसरा और नवप्रीत कौर ने तीसरा स्थान हासिल किया।

इंटर-यूनिवर्सिटी (KIUG, AIU, Zone) और नेशनल

हमारे कॉलेज के चार छात्रों ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण में भाग लिया, जिसमें कनिका सिंह ने जूडो में कांस्य पदक जीता; और अमिता को बॉक्सिंग में कांस्य पदक मिला। हमारे कॉलेज के कुल 20 छात्रों ने विभिन्न खेलों की अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। सॉफ्टबॉल में, हमारे 08 छात्रों को तीसरा स्थान मिला, अर्थात् अमनप्रीत, सिजी अनियान, नेहा, निखत, पूजा, भूमिका, सोनिया और सुजाता; जबकि कनिका सिंह जूडो में तीसरे स्थान पर रहीं और ममता ने कुश्ती में तीसरा स्थान हासिल किया। नॉर्थ ज़ोन इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हमारे छात्रों द्वारा कुल 07 अभ्यावेदन किए गए थे। विभिन्न जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं में, मीनू मारू को बॉल बैडमिंटन में प्रथम स्थान मिला; अंचल, बरखा और नेहा चौधरी सॉफ्टबॉल में दूसरे स्थान पर रहीं; जबकि काजल बॉक्सिंग में तीसरे स्थान पर रही। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेलों में हमारे कॉलेज के छात्रों द्वारा कुल 28 प्रतिनिधित्व किए गए थे। इंटर कॉलेज और दिल्ली

राज्यहमारी पांच टीमों में मुक्केबाजी, कबड्डी, सॉफ्टबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती सहित इंटर कॉलेज टूर्नामेंटों में चैंपियन बनीं; एक टीम यानी वॉलीबॉल उपविजेता रही; दो टीमों यानी तीरंदाजी और नेटबॉल ने तीसरा स्थान हासिल किया; जबकि क्रिकेट टीम चौथे स्थान पर रही। व्यक्तिगत रूप से, हमने इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में कुल 40 पदक जीते, जिसमें टीम चैंपियनशिप के अलावा 17 स्वर्ण, 07 रजत और 16 कांस्य पदक शामिल थे। हमारी वॉलीबॉल टीम ने युवा दिल्ली राज्य में पहला स्थान हासिल किया; और सीनियर दिल्ली राज्य में दूसरा। हमारी कबड्डी टीम दिल्ली राज्य टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही। व्यक्तिगत रूप से, हमने विभिन्न राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों में कुल 35 पदक जीते, जिनमें 17 स्वर्ण, 08 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। हमारे कॉलेज को इंटर कॉलेज सॉफ्टबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के DUSC द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

INTERNATIONAL PLAYERS



SUSHMA
Athletics

JYOTI
Wrestling

RITU DHRUV
Cricket

SUNITA
Athletics

PUSHPA
Athletics

JYOTI BISHT
Athletics

SEEMA KAUSHIK
Athletics (Masters)



MANISHA CHOUHARY
Baseball

BHAWNA
Baseball

SHWETA
Baseball

MONICA
Baseball

CHETNA
Baseball

SIJI ANAYAN
Baseball

AMANDEEP KAUR
Baseball

NEHA GUPTA
Baseball

VIPULA
Athletics (Masters)

MEMORIES & MOMENTS





राष्ट्रीय सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) LBC 2019-20 लक्ष्मीबाई कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना ने एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की है जहां छात्र समाज के साथ बहुत सकारात्मक तरीके से बातचीत कर सकते हैं। एनएसएस-एलबीसी, जोशीले छात्रों का संग्रह है, जिन्होंने ईमानदारी से समाज के लिए काम किया है, विशेष रूप से जरूरतमंदों और वंचितों के लिए। NSS LBC इकाई ने स्वच्छता की आदतों और पर्यावरण संरक्षण जैसे व्यापक क्षेत्रों में काम किया। यह जागरूकता दिवस मनाकर महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है नो टोबैको डे; विश्व पर्यावरण दिवस ; बाल श्रम विरोधी दिवस; अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस; संविधान दिवस: जल शक्ति अभियान; स्वच्छ पखवाड़ा आदि हमारी इकाई ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों जैसे केन्द्र में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया; एफआईटी इंडिया मूवमेंट; एफआईटी इंडिया साइक्लोथॉन। हमारे एनएसएस के चार स्वयंसेवकों को लक्ष्य गीत का गायन करने और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 की सफलता में योगदान करने का अवसर मिला। नुक्कड़ नाटक टीम (UMANG) ने राष्ट्रीय सामाजिक शिखर सम्मेलन, IIT रुड़की में भाग लिया और उसी के लिए मॉड लिंग पर एक नाटक का प्रदर्शन किया। इसके अलावा छात्र लाल डॉट (सेनेटरी नैपकिन मेकिंग प्रोग्राम), सकशम, उरवर, उमंग जैसी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सामाजिक कारणों के लिए परिश्रम और लगातार योगदान कर रहे हैं

डॉ। संगीता शर्मा बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर यूनिवर्सिटी लेवल एनएसएस अवार्ड। लक्ष्मीबाई कॉलेज की एनएसएस यूनिट के लिए यह बहुत गर्व की बात है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित प्री रिपब्लिक डे कैंप 2019 के लिए इकाई के उपाध्यक्ष साक्षी चौधरी को चुना गया। उसने शिविर में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। अय्यूब परवीन, लक्ष्मीबाई कॉलेज की एनएसएस इकाई के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रमुख के तत्वावधान में लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए युवा मामले और विनिमय मंत्रालय। रिया कुमारी को गणतंत्र दिवस परेड कैंप 2019 का हिस्सा बनने का सुनहरा अवसर मिला।

साक्षी चौधरी, इकाई की उपाध्यक्ष को प्री गणतंत्र दिवस के शिविर के लिए चुना गया 2019 अय्यूब परवीन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए



एनएसएस के तहत परियोजनाएं

*सक्षम

सक्षम एनएसएस के तहत एक स्कूल परियोजना है जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच नैतिकता, नैतिकता, रचनात्मकता को विकसित करना है।

लाल डॉट परियोजना

रेड डॉट प्रोजेक्ट इसे पूरा करने की कोशिश करता है और इस संदेश को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाता है। रेड डॉट प्रोजेक्ट में सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन और वितरण शामिल है। परियोजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना है जो सैनिटरी नैपकिन की मार्केटिंग नहीं कर सकती हैं और स्लम क्षेत्रों में महिलाओं की स्वच्छता के बारे में जागरूकता प्रदान करती हैं।



* शिक्षासेल

एनएसएस के तहत एक परियोजना। लक्ष्मीबाई कॉलेज का उद्देश्य वजीरपुर नामक एक झुग्गी के बच्चों को पढ़ाने के द्वारा राष्ट्र के भविष्य को आकार देना है, जो एनएसएस एलबीसी द्वारा शैक्षणिक और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में उनके उत्थान के लिए अपनाया जाता है। लक्ष्मीबाई की एनएसएस यूनिट SAMARPAN नामक एक परियोजना चलाती है, जिसमें हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करते हैं और उनके कार्य, उनके अध्ययन सामग्री और लेखक की इंटरनल रिकॉर्डिंग और उनके भविष्य के लिए खुशी और कुछ सीखने के लिए घटनाओं का आयोजन करके उनकी मदद करते हैं।

रचनात्मक

उर्वरा जिसका अर्थ होता है उत्पादक। इस परियोजना के तहत, सभी रचनात्मक और चालाक कार्यों का ध्यान रखा गया है।

राष्ट्रीय सीएडीईटी कोर (एनसीसी) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) सबसे बड़ा स्वैच्छिक वर्दीधारी युवा संगठन है, जहां नामांकित कैडेटों को छोटे हथियारों और परेड में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीसी में प्रशिक्षण एकता, अनुशासन, देशभक्ति, टीम-भावना, एस्पिरट-डे-कोर, नेतृत्व, आत्मविश्वास जैसे गुणों को पैदा करता है और जाति, पंथ, धर्म या आर्थिक स्थिति के बावजूद व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देता है। 7 दिल्ली गर्ल्स बटालियन, कीर्ति नगर के अंतर्गत लक्ष्मीबाई कॉलेज की जीवंत और गतिशील एनसीसी विंग लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। नामांकित 160 कैडेट साप्ताहिक में भाग लेते हैं 87

दिल्ली के भीतर या बाहर विभिन्न कैम्पों के साथ कॉलेज में ड्रिल / लेक्चर / स्वच्छता अभियान / इंटर क्लास प्रतियोगिता का प्रशिक्षण (गुरुवार को)। एनसीसी अपने कैडेट्स को ड्रिल, सिगनलिंग, हथियार-ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, सिविल डिफेंस, फर्स्ट-एड, होम-नर्सिंग आदि विभिन्न प्रशिक्षणों के दौरान वार्षिक प्रशिक्षण (एटीसी), नेशनल इंटीग्रेशन (एनआईसी), आर्मी अटैचमेंट (एएसी) सहित प्रशिक्षित करता है। बेसिक लीडरशिप (BLC), एडवांस लीडरशिप (ALC), पर्सनलिटी डेवलपमेंट (PDC), ऑफिसर्स ट्रेनिंग (OTA), थल-सैनिक (TSC), प्रधानमंत्री की रैली (PM रैली), रिपब्लिक डे (RDC), ट्रेकिंग एंड माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और प्रतिष्ठित रिपब्लिक डे परेड। एनसीसी प्रशिक्षण अपने कैडेट्स को दो साल के बाद Certificate वी 'प्रमाणपत्र और तीन साल के प्रशिक्षण के बाद' सी 'प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

हमारे दो कैडेट, Cpt। जूही शर्मा और लेफ्टिनेंट मेघा रावत को कमीशन दिया गया है एनसीसी के माध्यम से भारतीय सेना में। कॉलेज को एनसीसी में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज के रूप में सम्मानित किया गया है, दिल्ली के एनसीसी एलुमनी 9 क्लब द्वारा एसडब्ल्यू श्रेणी है। लेफ्टिनेंट (डॉ।) सीमा

कौशिक, कॉलेज की एसोसिएट एनसीसी अधिकारी, महानिदेशक के एनसीसी कमेंडेशन कार्ड और एसडब्ल्यू श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ एएनओ पुरस्कार प्राप्त करने वाली है।

हमारे कैडेट्स ड्रिल में डीयू के अंतर्ध्वनि में पहले स्थान पर थे; डीयू के विभिन्न कॉलेजों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कारों के झुंड जीते, यह बेस्ट कैडेट, ड्रिल, गार्ड, सॉन्ग, डांस, रंगोली, लाइन एरिया या कोई अन्य गतिविधि हो; सेना की टुकड़ी, पैरा जंपिंग, ट्रेकिंग, फायरिंग, कमांडो ट्रेनिंग, एनआईसी, एटीसी, बीएलसी, एएलसी, पीडीसी आदि में भाग लेने के साथ गणतंत्र दिवस परेड, पीएम रैली, और थल सैनिक शिविर सहित प्रतिष्ठित शिविरों में भाग लिया; और प्रवेश और अन्य कार्यों सहित कॉलेज की दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) 2019-2020

लक्ष्मीबाई कॉलेज के विजिबल और अस्सिस्टेंट नेशनल कैडेट कॉर्प्स (NCC) विंग ने 2019-2020 में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर (A.N.O.) लेफ्टिनेंट (डॉ।) सीमा शर्मा (कौशिक) और डॉ। संगीता शर्मा के मार्गदर्शन में छाप छोड़ना जारी रखा। SUO Rachna, JUO श्वेता, JUO अनुपम और JUO रेनु के नेतृत्व में पूरे वर्ष में 160 कैडेटों की नामांकित ताकत ने पूरे साल लगन से प्रदर्शन किया। हमारे 06 कैडेटों ने परेड ग्राउंड, दिल्ली कैंट में आयोजित प्रधानमंत्री की रैली (पीएम रैली) के दौरान कई सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। पंजाब के मलोट में आयोजित एडवांस लीडरशिप कैंप (ALC) में CHM Anchal ने भाग लिया, जिन्होंने समूह गायन में तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि JUO रेणु मेरठ में आयोजित आर्मी अटैचमेंट कैंप (AAC) में भाग लिया।

इस साल चार अलग-अलग ट्रेकिंग कैंप आयोजित किए गए। जिसमें से, CDT पूजा कुमारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रॉक क्लाइम्बिंग ट्रेकिंग कैम्प (RCTC) में भाग लिया; LCPL तान्या और CPL खुशबू, हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में ट्रेकिंग कैंप में; दार्जिलिंग में सीपीएल चेतना और सीडीटी करुणा; और सीडीटी रेखा और सीडीटी आकांशा रावत, अजमेर, राजस्थान में अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ।

Ek Bharat Shreshtha Bharat (EBSB) कैंप सिलचर, असम में आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे 05 कैडेटों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया था, जिसमें मुस्कान पाल ने एकल नृत्य में दूसरा और सीपीएल हीना ने टेबल ड्रिल के लिए चयन किया था और पदक प्राप्त किया था। वार्षिक संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (CATC) रोहिणी, दिल्ली के एनसीसी भवन में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे कॉलेज के 84 कैडेटों ने SUO के मार्गदर्शन में भाग लिया।

रचना, हमारे कैडेटों में से 03 सीपीएल हीना, सीपीएल हर्षिता और एलसीपीएल तनु शर्मा ने वार मेमोरियल की पहली वर्षगांठ पर आयोजित मीडिया कवरेज में भाग लिया और उन्हें प्रख्यात व्यक्तित्व चीफ ऑफ स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत के साथ मुलाकात करने का मौका मिला। हमारे कैडेटों ने विभिन्न कॉलेजों द्वारा आयोजित एनसीसी फेस्टिवल्स में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा और कई गतिविधियों में शीर्ष सम्मान के साथ चले गए। हमारा कॉलेज

DRC में खो-खो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा; रंगोली में प्रथम, रिले रेस में प्रथम और केएमसी में 800 मीटर एनसीसी में 3 रन; एमएच में क्वार्टर गार्ड में 2; एआरडीएस कॉलेज में ग्रुप डांस में प्रथम बडी पेयर रेस & 2 में; कालिंदी कॉलेज में स्क्वाड ड्रिल में प्रथम; MLNC में क्वार्टर गार्ड में प्रथम; सीवीए में क्वार्टर गार्ड में 2; PGDAV कॉलेज में स्क्वाड ड्रिल में 2; एलएसआर में समूह नृत्य में प्रथम; क्वार्टर गार्ड में 2, रंगोली में 1 & JDMC में राइफल रन में 1; ZHC में ड्रिल में प्रथमपर |

21 जून, 2019 को मनाए जाने वाले 5 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, हमारे कॉलेज के 40 कैडेटों ने केंद्रीकृत स्थान, शिवाजी कॉलेज में योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया। योग का 6 वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून, 2020 को आयोजित किया गया था, जिसमें कैडेटों ने योग (सुबह) के व्यावहारिक सत्र (योग और शाम) के वेबिनार में भाग लिया। लक्ष्मीबाई कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने पूरे वर्ष विभिन्न सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया। मिशन इन्द्रधनुष के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए, कॉलेज परिसर में कैडेट्स द्वारा एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, व्याख्यान और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। कैडेटों ने हमारे परेड सत्रों के दौरान स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित , नशीली दवाओं के दुरुपयोग, जल बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर रैलियां कीं।

A.N.O. लेफ्टिनेंट (डॉ।) सीमा शर्मा (कौशिक) को NCC कन्वेंशन सेंटर में 15 जुलाई, 2019 को दिल्ली के NCC एलुमनी क्लब द्वारा सीनियर विंग [SW] श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट एनसीसी अधिकारी होने के लिए एनसीसी अचीवर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। दिल्ली। सभी प्रेरक कथाओं के साथ, 3-इंटर कॉलेज एनसीसी फेस्टिवल the ADAMYA-2020 'कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण नहीं हो सका।

NCC GLIMPSES 2019-2020



को-करिकुलर सोसाइटीजएक्स्ट्रा-करिकुलर सोसाइटी संस्था को रचनात्मक ऊर्जा के साथ स्पंदित बनाती है। एलबीसी के पास इन क्षेत्रों में छात्रों के रचनात्मक कौशल के दोहन के लिए बहुत सक्रिय सह-पाठ्यचर्या समितियां हैं।

कॉलेज में विभिन्न समितियां और समाज हैं। उनमें से कुछ हैं:क्लीन एंड ग्रीन मिशन सोसाइटीस्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो स्वच्छता और स्वच्छता के लिए प्रयास करता है। इसका एक हिस्सा, क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी ने इस साल कई कार्यक्रम आयोजित किए: एक प्रेरण कार्यक्रम जुलाई 2019 में आयोजित किया गया; एक जागरूकता सत्र - एक स्वच्छ और हरे पर्यावरण के महत्व पर - आयोजित किया गया था; 6 सितंबर, 2019 को, "सेव ट्री और सेव वॉटर रैली" में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया, 13 सितंबर को कचरा निपटान पर जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली आयोजित की गई; एक नाटक प्रदर्शन - में युवा पुरुषों और महिलाओं की भूमिका पर; मिशन - कॉलेज में और पूरे परिसर में लगाया गया था; एक जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में, छात्र स्वयंसेवकों ने गलियारों और कक्षाओं से कचरा और गंदगी एकत्र की, उन्होंने कॉलेज परिसर में पौधे भी लगाए।

WISHVAS नियमित हैं। सभी स्वयंसेवक वजीरपुर के बच्चों को पढाते हैं। सभी छात्र नियमित रूप से वंचित क्षेत्र से आते हैं और कक्षा वार का निपटान करते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों की सुविधा के लिए, बुधवार और शुक्रवार चतुर्थ अवधि को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आरक्षित किया गया है। छात्रों से इन गतिविधियों में उत्साह से भाग लेने और पुरस्कार जीतने की उम्मीद की जाती है।

रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता सेलहमने कॉलेज द्वारा संचालित इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान जुलाई 2019 की पहली बैठक के साथ इस यात्रा को शुरू किया। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप सेल और प्लेसमेंट सेल ने 12 फरवरी 2020 को "WOMENNOVATOR" और "BE BEAUTIFUL BE YOU" के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन को एक तरह से होस्ट किया, ताकि छात्रों को एक तरह से समृद्ध किया जा सके और उनके आंतरिक के साथ-साथ बाहरी सुंदरता को भी बढ़ाया जा सके। गार्गी भवन में लगभग 215 छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। चार सम्मानित हस्तियां सत्र के लिए उपस्थित थीं। फरवरी के महीने में एक दो दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई थी जो 14 फरवरी और 19 फरवरी 2020 को "MITTI KE BARTAN CHAK PE KAISE BANATEY HAI" थी, इस कार्यशाला के लिए कॉलेज परिसर का खुला प्रांगण था। लगभग 250 छात्रों और संकाय सदस्यों ने इस कार्यशाला में भाग लिया और सीखा कि चक पर मिती के बरतनों को कैसे बनाया जाए। हंटर हाट (एमएचआरडी), इंडिया गेट पर एक यात्रा का भी भुगतान किया गया जहां छात्रों ने सीखा कि स्वयं सहायता समूह कैसे काम करते हैं और वे अपने उत्पाद कैसे बनाते हैं।



अलग से सक्षम- के लिए यूनिट को सक्षम करना कॉलेज की इनेबलड यूनिट साल भर कॉलेज के अलग-अलग एबलड स्टूडेंट्स को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है। प्रवेश प्रक्रिया 2019 के दौरान, विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए आने वाले सभी अलग-अलग विकलांग छात्रों को परामर्श प्रदान किया गया था। भर्ती किए गए छात्रों को तब सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति / फेलोशिप के लिए आवेदन करने के लिए निर्देशित किया गया था। हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन (HTBF), चेन्नई स्थित एक NGO के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र, जो भारत में दृष्टिबाधित छात्रों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए काम कर रहा था, कॉलेज में आयोजित किया गया था। HTBF ने 71,250 रु की छात्रवृत्ति भी महाविद्यालय के 7 दृष्टिहीन छात्र को प्रदान की। दृष्टिबाधित छात्रों को विशेष सॉफ्टवेयर (WS JAWS ', NVDA ', FA SAFA') जारी किए गए, जिन्होंने अपनी शैक्षणिक प्रगति में सुधार के लिए लैपटॉप को सक्षम बनाया। इंटरनेट सुविधा (ईवो ई 10) के साथ डिजिटल रिकॉर्ड प्लेयर खरीदने का प्रयास प्रक्रियाधीन है, इससे दृष्टिबाधित छात्रों को उनकी शैक्षणिक खोज में काफी मदद मिलेगी।

साहित्य और प्रकाशन समिति

समिति का उद्देश्य छात्रों के साहित्यिक कौशल को बढ़ाना है, उनके बीच छिपी प्रतिभाओं को प्रकाश में लाना है, और लेखन के विभिन्न रूपों के माध्यम से विचार की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करने वाली विभिन्न साहित्यिक घटनाओं का संचालन करना है। इसके अलावा, यह लक्ष्मीबाई कॉलेज की एक वार्षिक पत्रिका "ज्योति" के प्रकाशन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। पत्रिका चार अलग-अलग भाषाओं, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी में सभी प्रकार की रुचि और साहित्य का एक आदर्श समामेलन है। यह समिति "वार्षिक रिपोर्ट" के प्रकाशन का भी ध्यान रखती है, छात्रों और शिक्षकों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है, जो कॉलेज में पूरे साल चलती हैं। समिति ने इस शैक्षणिक वर्ष में "POSTER MAKING" और "रचनात्मक लेखन" जैसी घटनाओं

का आयोजन किया, जहाँ छात्रों के बीच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।

पुस्तकालय समिति

2019-2020 में लाइब्रेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में कई नियोजित सुधारों की परिणति देखी गई। लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल अब लगभग 90 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ एक सम्मेलन कक्ष का दावा करती है। कमरा 85 "टच पैनेल स्क्रीन की तरह पूरी तरह से डेट टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसे भविष्य में उपयोगी उपयोग में लाया जाएगा। इसके अलावा, लक्ष्मीबाई कॉलेज की पुस्तकालय समिति ने 28 फरवरी, 2020 को खुले प्रांगण में पुस्तक मेला 2020 का आयोजन किया। जैसा कि विभिन्न विषयों के लिए पुस्तकों का वार्षिक अधिग्रहण पुस्तक मेले के माध्यम से किया जाता है, पुस्तकालय विक्रेताओं से लगभग 500 पुस्तकों की खरीद करेगा। पुस्तक मेले का मुख्य आकर्षण श्री राजेश सिंह, डिप्टी लाइब्रेरियन, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, दिल्ली विश्वविद्यालय था।

संगीत और नृत्य सोसायटी

संगीत विभाग और उसका समाज वर्ष भर सक्रिय रहता है। कॉलेज के कार्यक्रमों जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, कॉलेज वार्षिक दिवस आदि में समाज और विभाग प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस शैक्षणिक वर्ष में संगीत विभाग और सोसायटी के छात्रों ने क्रमशः कॉलेज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में गांधी भजन और सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं में कई छात्रों ने भाग लिया, जिसमें संगीत विभाग की छात्रा शुभा पांडेय को भारतीय विद्यापीठ (डीम्ड यूनिवर्सिटी) द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'सुर के सरताज' और माता सुंदरी कॉलेज (डीयू) द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'महफिल गजल' में सांत्वना पुरस्कार मिला। इसके अलावा सोसायटी के वेस्टर्न डांस ग्रुप 'स्वयं' ने कई कॉलेजों यानी सर अरबिंदो कॉलेज, गार्गी कॉलेज, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईआईटी दिल्ली, एसआरसीसी, लेडी श्रीराम कॉलेज, लेडी इरविन, पीजीडी कॉलेज, जेडीएम कॉलेज, माता द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। सुंदरी कॉलेज और इतने पर। समूह के छात्रों ने 35 टीमों में से गुवाहाटी में छठा स्थान प्राप्त किया।

नवरंग- लक्ष्मीबाई कॉलेज की ड्रमैटिक्स सोसायटी नवरंग स्टूडेंट्स को कला और थिएटर के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को समझने का एक मंच है। समाज अक्सर नाटकों और नुक्कड़ नाटक करता है जो सामाजिक महत्व के प्रासंगिक मुद्दों को उठाते हैं। समाज छात्रों के अभिनय कौशल को निखारने का प्रयास करता है और कई घटनाओं और कार्यशालाओं या इस उद्देश्य का संचालन करता है। 2019-20 सत्र



अभिविन्यास कार्यक्रम में कॉलेज के नए प्रवेशकों के लिए स्किट "चुप-चाप" के साथ शुरू हुआ। थिएटर की दुनिया में प्रथम वर्ष के छात्रों को पेश करने के लिए सत्र की शुरुआत में विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। एजुकेशन सिस्टम पर "सब कुछ ठीक है" और स्ट्रीट प्ले वर्ष 2019-20 के दो महत्वपूर्ण वार्षिक निर्माण हैं। गार्गी, डीटीयू,



एसआरसीसी, शहीद भगत सिंह कॉलेज और कई और अधिक कॉलेजों में 40 से अधिक प्रदर्शनों के साथ, समाज ने थिएटर सर्किल में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नवरंग ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने वार्षिक स्ट्रीट प्रोडक्शन का प्रदर्शन किया। आईआईटी रुड़की स्ट्रीट प्ले प्रीलियम को कॉलेज में आयोजित किया गया था जहां विभिन्न कॉलेजों के थिएटर सोसाइटीज ने आयोजन में भाग लिया था। छात्रों के नाट्य कौशल को समृद्ध करने के लिए महाविद्यालय में 30 दिवसीय रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया गया। समाज ने कालिंदी कॉलेज में एक अंतर-कॉलेज स्टेज प्ले प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया,

जहां वर्तिकापांडे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टीम नवरंग ने गार्गी कॉलेज में अपना वार्षिक स्टेज प्रोडक्शन किया जिसमें राधिका गक्खड़, रितिका कक्कड़ और वर्तिका पांडे को "सर्वश्रेष्ठ कलाकार" के लिए एक विशेष उल्लेख दिया गया था। समाज एक वार्षिक थिएटर फेस्ट "कलामय 2020" आयोजित करने की योजना बना रहा है जिसमें इंदरप्रस्थ विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

*प्रॉक्टोरियल बोर्ड और स्टूडेंट्स यूनियन

प्रॉक्टोरियल बोर्ड कॉलेज की विभिन्न गतिविधियों या घटनाओं में कॉलेज में अनुशासन बनाए रखता है, बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कॉलेज में अनुशासन बना रहे। हमने प्रवेश द्वार पर तिलक समारोह के साथ 20 जुलाई 2019 को प्रथम वर्ष के छात्रों का स्वागत किया। बोर्ड ने एक सप्ताह के छात्र प्रेरण कार्यक्रम के दौरान अनुशासन बनाए रखा। इस शैक्षणिक वर्ष में संघ द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 16 अगस्त को, हम हसी कवि शा. स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में सुरेंद्र शर्मा। संचालित यो-यो चुनौती 20 सितंबर 2019 को हुई थी। 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। श्री जगत सिंह चौधरी (ब्रांड एंबेसडर, वन विभाग, उत्तराखंड) ने पर्यावरण और वन संरक्षण पर बात की थी। डॉ. नरेंद्र कुमार, स्वालंबन द्वारा उसी दिन 'अपशिष्ट पृथक्करण और घर खाद प्रशिक्षण' पर एक और बात की गई। 4 अक्टूबर 2019 को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के सहयोग से स्वचेता पर एलोकेशन प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य अतिथि रीति मिश्रा ने छात्रों के साथ अपने विचार साझा किए। 4 अक्टूबर 2019 को डांडिया मस्ती। 25 अक्टूबर 2019 को

दिवाली मेला आयोजित किया गया। 6 नवंबर 2019 को फ्रेशर्स वेलकम समारोह के दौरान अभिनेता सूरज पंचोली को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। 19 नवंबर को लक्ष्मीबाई जयंती पर प्राचार्य, संकाय सदस्यों, छात्रों और संघ के सदस्यों ने भाग लिया 2019. पासपोर्ट सेवा पर व्याख्यान (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार) 6 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया था। वार्षिक उत्सव Vividha जल्द ही आयोजित किया जाएगा।

*पंजाबी साहित्य और सांस्कृतिक समाज

हमारे छात्र माता सुंदरी कॉलेज द्वारा आयोजित "पेपर रीडिंग" प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। विभिन्न इंटरकॉलेज प्रतियोगिताओं जैसे "लेख रचना प्रतियोगिता", "हस्तकला प्रतियोगिता" और "नारा लेखन प्रतियोगिता" (SGND खालसा कॉलेज) में भाग लेते हैं। LBC पंजाबी सोसाइटी और पंजाबी प्रचारिणी सभा इंटर कॉलेज में "गुरु नानक एक समाजसुधारक प्रतियोगिता" और "हस्तकला प्रतियोगिता" का आयोजन करती है।

*संस्कृत साहित्यिक सोसाइटी

सोसाइटी पूरे साल व्यस्त रही। हमारे छात्रों ने कई इंटर-कॉलेज-प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जैसे कि 'प्रशांतमान', 'श्लोकवृत्ती', 'बसन', 'चित्रकर्म' आदि। हमारी एक छात्रा ऋचा झा (एमए फाइनल ईयर) श्यामा प्रसाद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में चली गईं। हमारे कॉलेज को 'एकल श्लोक संगीत प्रयोगिता' में प्रस्तुत करें और 17 अक्टूबर 2019 को 'प्रत्साहना' पुरस्कार जीता। उन्होंने इस शैक्षणिक वर्ष में समाज के लिए बड़ी संख्या में पुरस्कार लाए - गार्गी कॉलेज में 'भाषा प्रतियोगिता' में भाग लिया और 30 वें स्थान पर 2 वां पुरस्कार जीता। अक्टूबर 2019; सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भाग लिया Won भाषा प्रचारयोग 'और 23 जनवरी 2020 को तीसरा पुरस्कार जीता; गार्गी कॉलेज में hana भाषा प्रज्ञानयोगिता 'में भाग लिया और 4 फरवरी 2020 को प्रथम स्थान प्राप्त किया; मैथ्रेई कॉलेज में Prभाष्ययोग 'में भाग लिया और 18 फरवरी 2020 को तीसरा स्थान हासिल किया; ad वाड-विवाह प्रसादयोगिता 'में हिंदू कॉलेज में भाग लिया और 19 फरवरी 2020 को दूसरा स्थान हासिल किया; सत्यवती महाविद्यालय में 'प्रचिंकव्याशु आराध्या कविता प्रज्ञायोगिता' में भाग लिया और 29 फरवरी 2020 को 'प्रत्साहना' पुरस्कार जीता। हमारे दो छात्र रिया (तृतीय वर्ष, ऑनर्स) और पूजा मिश्रा (2 वर्ष, ऑनर्स) हंसराज कॉलेज गए। दिल्ली की 27 फरवरी 2020 को 'प्रशांक्षा प्रतियोगिता' में हमारे कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने के लिए। एक अन्य छात्र संध्या भट्ट (तृतीय वर्ष, ऑनर्स) ने भी हमारे कॉलेज का प्रतिनिधित्व 'श्लोकवृत्ती' प्रतियोगिता में किया है। छात्रों की सक्रिय भागीदारी बताती है कि शिक्षक और छात्र उत्साहपूर्वक समाज और कॉलेज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं।

***गांधी स्टडी सर्कल**

गांधीजी की 150 वीं जयंती पर आयोजित समारोह गांधीजी के पसंदीदा वैष्णव जन के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद भजन Bhaठुमक चलत राम चंद्र 'हुआ। तब बाइबिल, गीता, श्री ग्रंथ साहिब और कुरान से पढ़ने के साथ प्रथाना सभा थी। प्राचार्य डॉ। प्रत्यूष वत्सला ने कहा कि छात्रों को स्वच्छता बनाए रखना चाहिए और गांधीजी के आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उत्सव का समापन रघुपति राघव राजा राम के साथ हुआ जिसमें सभी लोग शामिल हुए। गांधी स्टडी सर्कल ने 14 तारीख को पोस्टर मेकिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। फरवरी 2020. पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का विषय "महात्मा गांधी - उनकी शांति और प्रेम की विचारधारा" था, जबकि निबंध लेखन प्रतियोगिता का विषय "महात्मा गांधी आज कितना प्रासंगिक" था।

***विवेकानंद स्टडी सर्कल**

विवेकानंद स्टडी सर्कल, विवेकानंद के दर्शन के मूल सिद्धांतों पर "स्लोगन मेकिंग प्रतियोगिता" आयोजित करता है। गुंजन गुप्ता और भरत उदय को "विंटर इंटरनशिप प्रोग्राम" के लिए आमंत्रित किया गया था। 20 फरवरी 2019 को "विवेकानंद के सपनों का भारत" विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

***मैथलेट्स - गणित सोसायटी**

शैक्षणिक वर्ष को ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ चिह्नित किया गया था जिसने पहले वर्ष के छात्रों को पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया था। सोसाइटी ने अल्फा प्लस इंस्टीट्यूट द्वारा "कैरियर काउंसलिंग" और "आईआईटी जेएएम कैंक कैसे करें?" पर व्याख्यान आयोजित किए। डिप्स एकेडमी द्वारा।

मैथलेट्स ने 22 फरवरी 2019 को अपना बहुप्रतीक्षित वार्षिक उत्सव "हेलिक्स 2019" मनाया। यह मुख्य कार्यक्रम "वर्तमान-ओ स्टेशन" था, जिसमें हमारे विभाग के साथ-साथ अन्य कॉलेजों के छात्रों ने भी शोध पत्र प्रस्तुत किए।

समान अवसर सेल

विकलांग लोगों, या अल्पसंख्यक स्थिति वाले लोगों द्वारा मुख्य समस्याएं - पर्यावरण, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं को अक्षम करने से स्टेम। अयोग्यता और अल्पसंख्यक इसलिए समान अधिकार के मुद्दे हैं जो अन्यायपूर्ण भेदभाव और पूर्वाग्रहों के अन्य रूपों के बराबर हैं। 27 जून 2006 को SC, ST, OBC और विकलांग व्यक्तियों (PWD) के संबंध में इन और अन्य ज़रूरी मुद्दों के समाधान के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा समान अवसर सेल की स्थापना की गई थी। प्रश्नों के लिए, छात्र EOC सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं।

कॉलेज सोशल रिस्पांसिविलिटी (सीएसआर)

लक्ष्मीबाई कॉलेज सीएसआरकी पहल सामुदायिक और विस्तार सेवाओ में सक्रिय रूप से शामिल रही है। सीएसआर समिति, लाइफ केयर के सहयोग से, "एक शाम शहीदों के नाम" का आयोजन 21 फरवरी 2019 को पॉप गायक शैल के लाइव प्रदर्शन द्वारा पुलवामा शहीदों को एक संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। छात्रों ने सी आरपीएफ जवानों की याद में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने अपना जीवन खो पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले खो दिया।

महिला विकास प्रकोष्ठ (WDC)

कॉलेज में एक महिला विकास केंद्र और लिंग संवेदीकरण समिति है। जिसके तहत एक परामर्शदाता इकाई प्रशिक्षित काउंसलर के साथ कार्य करती है। केंद्र अक्सर महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं, संगोष्ठी-सह-कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

"विंग्स": लक्ष्मीबाई कॉलेज का प्लेसमेंट सेल

1. प्लेसमेंट सेल ने सत्र की शुरुआत में पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों चुने गए उपाध्यक्षों और कार्यकारी सदस्यों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए।
2. क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में "सीवी राइटिंग और इंटरव्यू हैंडलिंग" पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी 18 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की गई थी। हमारे कई छात्रों का चयन विप्रो, जेनपैक्ट, टाटासमूह दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा किया गया है। वितरण लिमिटेड ने हमारे कॉलेज परिसर में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया।
3. विविध पृष्ठभूमि के 64 अभ्यर्थियों ने विप्रो परिसर प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आवेदन किया, जो कि 16 जून, 2020 को आयोजित किया गया था। विप्रो के तीन एचआर ने हमारे परिसर का दौरा किया और कुल 7 छात्रों का चयन किया गया। 'जेनपैक्ट कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव' जिसे 4 फरवरी, 2020 को आयोजित किया गया था। 92 छात्रों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आवेदन किया था, जिसमें बैंकिंग, बीमा, वित्त से सम्बंधित लोगों के प्रोफाइल लिए गए। उनमें से 16 लोगों का चयन हुआ।
4. प्लेसमेंट सेल, क्रिएटिविटी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेल, होस्ट और इंटरैक्टिव सेसन के साथ "वोमेनोवाटर" और "बी ब्यूटीफुल बी यू" 12 छात्रों को अपने भीतर और साथ ही बाहरी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, एक तरह से हमारे छात्र को समृद्ध बनाने के लिए 12 फरवरी 2020 को आयोजन किया गया। इस सत्र के लिए चार सम्मानित पैनलिस्ट थे। महिलाओं के लिए वेदिक स्कॉलर्स प्रोग्राम का एक सत्र भी फरवरी, 2020 को आयोजित किया गया था।
5. कोक्यूब्स के सहयोग से- टाटा पावर्स दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड ने प्लेसमेंट के लिए 5 मार्च, 2020 को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी।

6. छात्र को एचआर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एनजीओ, वालंटियर, स्पोर्ट्स लीडर, कंटेंट राइटिंग, कैंपस एंबेसडर प्रोग्राम, पब्लिक रिलेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग आदि विभिन्न प्रोफाइल के लिए इंटरर्नशिप राउंड द ईयर प्रदान किया गया।
7. डेकाथलॉन, यूनिको जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों शेरखान, फिनालेटिक्स, फेलिशिया रिटेल, अस्मी, इंटरर्नशिप प्रदान करने के लिए छात्रों का चयन किया गया। कुछ कंपनियों ने वजीफा भी दिया इंटरर्नशिप के लिए कुछ कम्पनियों ने वेतन की भी पेशकश की।
8. वर्ष की सबसे सफल घटनाओं में से एक 2 मार्च 2020 इंटरर्नशिप केयर का संचालन था। कुल 887 ऑनलाइन पंजीकरण और 190 ऑफलाइन पंजीकरण किए गए थे। 40 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियाँ बोर्ड पर थीं जैसे कि शेरवान, बजाज कैपिटल आउटलुक, डीयू एक्सप्रेस, स्टेप्रिशियस और ऑर्टन आदि।
9. कैंपस की सभी गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ-प्लेसमेंट सेल डेसच रैंक, ट्रेसविस्टा, लिडो लर्निंग आदि जैसी सम्मानित कंपनियों से कैंपस ड्राइव मध्यस्थता करने में पीछे नहीं थी।



पुरस्कार

शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित विश्वविद्यालय परीक्षा में अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है।

शैक्षणिक पुरस्कार

कॉलेज निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान करता है

- द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के सभी विषयों में ऑनर्स कोर्स के टॉपर।
- द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष बी में व्यक्तिगत विषयों के टॉपर।(प्रोग्राम) .ए.
- तृतीय वर्ष में अनुशासन पाठ्यक्रमों सभी विषयों के टॉपर।
- द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के बी अलग विषयों के टॉपर।-अलग में (.प्रो) कॉम.
- प्रत्येक पाठ्यक्रम में एम प्रथम वर्ष का टॉपर। .ए.

- प्रत्येक पाठ्यक्रम में एम फाइनल का टॉपर। .ए.

संस्थागत और प्रायोजित पुरस्कार

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए भिन्न गणमान्य लोगों द्वारा कई पुरस्कार और ट्राफियां की महाविद्यालय में व्यवस्था है। ये नीचे सूचीबद्ध हैं:

- "मिस सी के कौसकट्टी और सुश्री जे कौशिक द्वारा ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार।
- सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड स्पोर्ट्स वुमन के लिए श्री दीपक फुकन रनिंग ट्राफी-
- सुश्री गोरुवारा आल राउंड बेस्ट स्टूडेंट रनर अप पुरस्कार
- श्रीमती पद्म रस्तोगी रनिंग ट्राफी और प्रमाणपत्र खेल और पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए
- मिसमें उच्चतम अंक प्र करने (आनर्स) कौशिक पुरस्कार बी ए.कौसुकट्टी और सुश्री जे.के.सी. के लिए।
- मिस में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए (प्रो.)ए.कौसुकट्टी पुरस्कार बी.के.सी.
- ललित कला में सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए बृहस्पति स्मृति पुरस्कार
- संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ उद्यम करने वाले छात्र के लिए एस एल पासी मेमोरियल पुरस्कार
- श्री ललित नारायण सक्सेना मेमोरियल पुरस्कार संस्कृत में वादगिता में विवाद प्रतियो-सर्वोत्तम छात्र के लिए
- श्री ललित नारायण सक्सेना मेमोरियल पुरस्कार संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ काव्य पाठ के लिए
- श्रीमती फूलवती सक्सेना स्मृति पुरस्कार ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट तृतीय वर्ष गृह विज्ञान विभाग के लिए
- श्रीमती फूलवती सक्सेना स्मृति पुरस्कार संगीत विभाग में तृतीय वर्ष ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट के लिए
- महिला विकास कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए डॉ स्मृति पुरस्कार .ज्ञा .आर (श्रीमती) .
- श्री जयपाल और श्रीमती कमल अहलूवालिया स्मृति पुरस्कार अ .विवाद ब-हिंदी वाद. हिंदी नाट्यशास्त्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए
- श्रीमती राधा रानी मेमोरियल खाद्य प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक उद्यमी छात्र के लिए पुरस्कार।
- श्रीमती शकुंतला देवी स्मृति पुरस्कार परिधान डिजाइन और निर्माण में सबसे अधिक उद्यमी छात्र के लिए
- श्री जयपाल और श्रीमती कमल अहलूवालिया स्मृति पुरस्कार खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए
- प्रो .रामकुमार स्मृति रनिंग ट्राफी इंटरक्लास वन एक्ट-प्ले प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खेल के लिए
- श्री बसंत लाल भूटानी स्मृति पुरस्कार अंग्रेजी में ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए
- श्रीमती कलावती भूटानी स्मृति पुरस्कार संस्कृत में मंत्रअंताक्षरी प्रतियोगिता के लिए -रपुरस्का
- डॉ रचनात्मक लेखन के लिए (दो पुरस्कार) रमा ज्ञा स्मृति (श्रीमती) .
- श्रीमती राज दुलारी स्मृति पुरस्कार संस्कृत में एम ए परीक्षा में सर्वोच्च अंक (फाइनल) प्राप्त करने के लिए

- श्रीमती कौशल्या भारद्वाज स्मृति पुरस्कार अंग्रेजी प्रथम और द्वितीय वर्ष में (ऑनर्स) सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए।
- श्रीमती माया देवी मेमोरियल पुरस्कार अंग्रेजी आनर्स में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए)
- प्रो में सर्वोच्च अंक (प्रो) राम कुमार स्मृति पुरस्कार अंग्रेजी में बी ए.प्राप्त करने के लिए।
- बीखनीजों स्मृति एवं .आर.बी.इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए डॉ (प्रो) .ए. अकादमिक पुरस्कार
- प्रोमें सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के राजनीति विज्ञान (प्रो) .ए.राम कुमार स्मृति पुरस्कार बी. लिए
- श्री बनर्जी स्मृति पुरस्कार .एल.आर.बी(प्रो) ए., में कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए
- श्री डी।परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए (प्रो) गांगुली स्मृति पुरस्कार बी कॉम .पी.
- श्रीमती निशा रानी देवी स्मृति पुरस्कार 'फूड टेक्नोलॉजी' बी ए मे(प्रो)ं सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए
- श्री सी.डी . अरोड़ा स्मृति पुरस्कार, बी ए में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए(प्रो)
- राजनीति विज्ञान (ऑनर्स),द्वितीय वर्ष में में (वर्ष के संयुक्त परिणाम प्रथम और द्वितीय) विज.आर.टी.सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रो स्मृति पुरस्कार
- श्रीमती सत्या देवी स्मृति पुरस्कार व्यापार डेटा संधान बी ए प्रथम (प्रो),द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिये
- श्री बांके बिहारी भटनागर स्मृति पुरस्कार बीमें सर्वोच्च अंक .(आनर्स) ए प्रथम वर्ष हिंदी. प्राप्त करने के लिए
- श्री करतार सिंह गोवर स्मृति पुरस्कार, बी ए द्वितीय वर्ष पंजाबी बी में सर्वोच्च अंक (प्रो) प्राप्त करने के लिए
- श्रीमती जसवंत कौर गोवर स्मृति पुरस्कार बीअथवा पंजाबी ए में सर्वोच्च अंक (पास) .ए. प्राप्त करने के लिए
- इतिहास खानजो .आर.बी.प्रथम वर्ष में उच्चतम अंक हासिल करने के लिए डॉ (ऑनर्स) स्मृति एवं अकादमिक पुरस्कार
- डॉ. झा स्मृति अवार्ड फ़ॉर बेस्ट ऑल राउंड अकादमिक प्रदर्शन .आर (श्रीमती) तृतीय वर्ष के लिए(प्रो).ए.बी
- डॉ. (आनर्स) आर झा स्मृति अवार्ड अंग्रेजी (श्रीमती)तृतीय वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए
- पं हिंदी तृतीय वर्ष के लिए (ऑनर्स।) .ए.कुंदन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार बी .
- श्रीमती उषा जैन स्मृति पुरस्कार बी ए प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए संयुक्त रूप से (प्रो) खाद्य प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च अंक हेतु
- श्रीमती स्वर्ण अरोड़ा स्मृति पुरस्कार बीतृतीय वर्ष अर्थशास्त्र में सर्वोच्च अंक के (ऑनर्स) .ए. लिए
- प्रोफेसर ललित केमें सर्वोच्च अंकों प्रथम वर्ष इतिहास(ऑनर्स) भूटानी स्मृति पुरस्कार बी ए. के लिए
- डॉ द्वितीय व (ऑनर्स) सोहन लाल गुलाटी स्मृति पुरस्कार बी ए.र्ष इतिहास में सर्वोच्च अंकों के लिए

- श्रीमती कौशल्या गुलाटी स्मृति पुरस्कार इतिहास बी ए तृतीय वर्ष के उच्चतम (ऑनर्स) अंक के लिए
- श्रीमती प्रभावती स्मृति पुरस्कार बी ए -दर्शनशास्त्र के पेपर(ऑनर्स)। (तर्कमें उच्चतम अंकों (के लिये
- श्री वीचतुर्वेदी स्म.के.ृति पुरस्कार बी हिंदी तृतीय वर्ष में सर्वोच्च अंक के लिए (प्रो) ए.
- श्री आरद्वितीय वर्ष में उच्चतम अंकों के (ऑनर्स) कॉम.अग्रवाल स्मृति पुरस्कार बी.आर . लिए
- बी में उच्चतम अंकों के लिए श्री हरबंस लाल बंसल स्मृति पुरस्कार(ऑनर्स) कॉम.
- श्रीमती सत्यादेवी बंसल स्मृति पुरस्कार बीप्रथम (प्रो) कॉम., द्वितीय, तृतीय वर्ष में संयुक्त रूप से उच्चतम अंकों के लिये
- श्री सी बी गुप्ता स्मृति पुरस्कार, बीकॉम द्वितीय (ऑनर्स)वर्ष 'आयकर में उच्चतम अंक हासिल करने के लिए
- श्रीमती कलावती मिश्र स्मृति पुरस्कार बीतृतीय वर (ऑनर्स) कॉम.्ष में उच्चतम अंक के लिए
- श्री प्रेम के सेठ स्मृति पुरस्कार बी द्वितीय (आनर्स).ए.वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए
- श्री यू यस भटनागर स्मृति पुरस्कार बीकॉम कारपोरेट ऑनर्स)अकाउंटिंग के पेपर)VIII) में उच्चतम अंक हासिल करने के लिए
- श्रीमती सावित्री लयाल स्मृति पुरस्कार ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट रनर अप के लिए
- श्रीमती लक्ष्मीबाई गोरावारा स्मृति पुरस्कार हिंदी ऑनर्स प्रथम वर्ष में उच्चतम अंको के लिए
- बी एस जैन स्मृति पुरस्कार बी कॉम तृतीय वर्ष माइको इकोनॉमिक्स के लिए(ऑनर्स)
- श्री एम.ज.आर.ैन और श्रीमती नागिनी देवी जैन स्मृति पुरस्कार संरक्षण की गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ भागीदारी के लिए
- प्रो जैन और श्रीमती चंदतारी जैन स्मारक छात्रवृत्ति. एल.जे .
- सरला शर्मा पुरस्कार नाटकीयता में उत्कृष्टता के लिए
- डॉ.दुआ पुरस्कार पर्यटन के छात्रों क .सी.जे .े लिए
- डॉके लिए छात्रवृत्ति बंदोबस्ती निधि (ऑनर्स)कॉम.उषा अग्रवाल ट्रस्ट बी.
- श्री जवाहर लाल ओझा स्मृति पुरस्कार के लिए सर्वोच्च अंक बीए आनर्स)प्रथम वर्ष दर्शन शास्त्र प्रश्नपत्र 2 (भारतीय दर्शन के तत्व (
- गणित के लिए जेएल ., मेमोरियल पुरस्कार।
- श्रीमती सत्यवती वशिष्ठ स्मारक पुरस्कार राजनीति विज्ञान की छात्रा को प्रदान किया गया।
- वित्तीय प्रबंधन में उच्चतम अंक प्राप्त करने के लिए श्रीमती आर .पी सेठी मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया-गया।
- कास्ट अकाउंटिंग)v सेमेस्टर तम अंकमें उच्च (प्राप्त करने के लिए श्री एस के सेठी मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया।
- बीए आनर्स दर्शनशास्त्र में उच्चतम अंक प्राप्त करने के लिए डॉ० स्नेह खोसला मेमोरियल पुरस्कार।

वर्ष 2020-2021 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक शुल्क का विवरण।

पाठ्यक्रम	सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अल्प संख्यक	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	दिव्यांग
बीए प्रोग्राम	7385	7385	7385	145
बीकाम प्रोग्राम	7385	7385	7385	145
बीए आनर्स राजनीति विज्ञान	7385	7385	7385	145
बीकाम आनर्स	8385	8385	8385	145
बीए आनर्स अर्थशास्त्र	7385	7385	7385	145
बीए आनर्स अंग्रेजी	7385	7385	7385	145
बीए आनर्स हिंदी	7385	7385	7385	145
बीए आनर्स इतिहास	7385	7385	7385	145
बीए आनर्स गणित	8385	8385	8385	145
बीए आनर्स दर्शनशास्त्र	7385	7385	7385	145
बीए आनर्स संस्कृत	7385	7385	7385	145
बी.ई.बी.	19385	19385	19385	Null
बीए आनर्स समाजशास्त्र	7385	7385	7385	145
बीए आनर्स मनोविज्ञान	7385	7385	7385	145
बीएससी आनर्स गृह विज्ञान	8385	8385	8385	145

नोट: शुल्क की वापसी: विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार।

- यदि बैंक शुल्क पर्ची खो जाती है, तो 30 रुपये के भुगतान पर कॉलेज कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि कॉलेज के सभी बकाया राशि को मंजूरी नहीं मिल जाती है और एक मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता है।
- सिक्योरिटी डिपॉजिट का केवल पचास प्रतिशत ही वापस किया जाता है, दिसंबर के महीने में उन छात्रों को जिन्होंने वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, बशर्ते वे कॉलेज के ऑफिस में भरे हुए रिफंड फॉर्म को 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच जमा करें। शेष पचास प्रतिशत सिक्योरिटी डिपॉजिट गोल्डन ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन को जाता है। यदि किसी कॉलेज की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई है, या पुस्तकालय की किताब खो गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है, तो सुरक्षा जमा से कटौती की जाएगी।

- क्लीयरेंस सर्टिफिकेट सिक्योरिटी मनी के रिफंड से पहले लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स और ऑफिस से लेना होगा।
- विदेशी छात्रों को शुल्क विवरण के लिए कैशियर के संपर्क में रहना चाहिए।

महाविद्यालय परिसर के प्रवक्ताओं की उपलब्धियाँ महाविद्यालय की प्राचार्य को संसदीय हिंदी समिति द्वारा राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान 2018.

दिल्ली सरकार द्वारा सराहनीय शिक्षक पुरस्कार

महाविद्यालय परिसर के नियम

क्या करें?

1. अनुशासन और समय की पाबंदी सफलता के अभिन्न अंग हैं। समय पर अपनी कक्षाओं और प्रयोगशाला सत्र में भाग लें। देर से आने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2. अपनी कक्षाओं में नियमित रहें। न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति नहीं रखने वाले छात्रों को सेमेस्टर परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा।
3. अपने साथी सहपाठियों, वरिष्ठ छात्रों के साथ-साथ अपने शिक्षकों का भी सम्मान करें। आत्मीय और विनम्र भाषा का प्रयोग करें और कॉलेज के संकाय, कर्मचारियों, छात्रों और मेहमानों के साथ शालीनता के साथ व्यवहार करें।
4. कॉलेज की संपत्ति का ख्याल रखें। कॉलेज के प्रयोगशालाओं, उपकरणों या अन्य संपत्ति के नुकसान होने पर नुकसान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
5. कॉलेज के सभी असाइनमेंट, टेस्ट और परीक्षाओं को गंभीरता से लें और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। आपको दी गई किसी भी जानकारी और या अन्य कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
6. कॉलेज नोटिस बोर्ड / कॉलेज ऐप / वेब साइट पर प्रदर्शित नोटिस / परिपत्र पढ़ें। इस प्रकार प्रदर्शित किसी भी नोटिस / परिपत्र को न पढ़ने की अज्ञानता को तथा दिए निर्देशों लिए निर्देशों का पालन करने में बरती गई लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. अपने कार्यों के लिए ज़िम्मेदार बनें और अपनी कक्षा की सामूहिक ज़िम्मेदारी को साझा करना सीखें।
8. कॉलेज में उपलब्ध सभी संसाधनों का विवेकपूर्ण और प्रभावी ढंग से उपयोग करें। पुस्तकालय, खेल का मैदान, कैंटीन और कॉमन रूम आपके सीखने और बातचीत का केन्द्र हो सकता है।
9. किसी भी समस्या या भ्रम की स्थिति में, तुरंत अपने कक्षा प्रमुख को बताएं।
10. किसी भी वास्तविक शिकायत को बिना किसी डर के संबंधित प्राधिकारी को दर्ज कराएं।
11. कॉलेज के फर्नीचर का उपयोग ज़िम्मेदारी से करें। यदि आपको लॉन, गलियारे और मैदान में कोई भी कुर्सी / टेबल मिलती है, तो कृपया उसे निकटतम क्लास रूम में रख दें।

12. किसी भी निषिद्ध कार्रवाई में शामिल होने पर 100/200/300/500/1000/ और अनुशासनात्मक कार्रवाई का जुर्माना हो सकता है।

क्या न करें

1. रैगिंग न करें और रैगिंग के लिए मूक गवाह न बनें। यह भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। कॉलेज परिसर के अंदर या बाहर किसी भी तरह की रैगिंग या छेड़खानी में लिप्त किसी भी छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
2. कॉलेज आपका दूसरा घर है। कैम्पस में कूड़ा न फैलाएं। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण एक बेहतर कल की ओर ले जाएगा।
3. परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग न करें। परीक्षा के दौरान दुर्व्यवहार, प्रवेश के उद्देश्य के लिए गलत जानकारी या दस्तावेजों और कॉलेज से ली गई सामग्री को वापस न करने पर छात्रा को गंभीर स्थितियों से निपटना होगा।
4. कैम्पस के भीतर गलत भाषा का प्रयोग न करें।
5. ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों जिससे दूसरों को या खुद को नुकसान हो।
6. कैम्पस के अंदर या उसके बाहर किसी भी तरह की हिंसा न फैलाएं।
7. कॉलेज के अंदर किसी भी प्रकार के मादक पेय पदार्थ / धूम्रपान सेवन सख्त वर्जित है।

अनुबंध

दिल्ली विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण अध्यादेश

सफल आवेदकों को विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का पालन करना होगा और प्रवेश के समय इस आशय का लिखित वचन देना होगा। महत्वपूर्ण अध्यादेशों के कुछ सार यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्यादेश XV-बी: विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन का रखरखाव

1. अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां कुलपति के पास निहित होती हैं।
2. कुलपति सभी या ऐसी शक्तियां सौंप सकते हैं, क्योंकि वह प्रॉक्टर के लिए उचित है और अन्य व्यक्तियों को भी वह इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकते हैं।
3. अध्यादेश के तहत अनुशासन को लागू करने के लिए शक्ति की व्यापकता के पक्षपात के बिना सकल अनुशासनहीनता के कृत्यों के लिए निम्नलिखित परिणाम होगा:
 - (क) शारीरिक हमला या किसी भी संस्थान / विभाग के शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के किसी भी सदस्य के खिलाफ और दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र के खिलाफ शारीरिक बल का उपयोग करने की धमकी।
 - (ख) किसी भी हथियार के इस्तेमाल की धमकी देना या उसका इस्तेमाल करना।
 - (ग) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन।
 - (घ) अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित छात्रों की स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान का उल्लंघन।
 - (ङ) महिलाओं के अपमानजनक किसी भी प्रथा चाहे मौखिक हो या अन्यथा।
 - (च) किसी भी तरीके से रिश्वत या भ्रष्टाचार पर कोई प्रयास।
 - (छ) संस्थागत संपत्ति का इच्छित विनाश।
 - (ज) धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर अ-इच्छा या असहिष्णुता पैदा करना।
 - (झ) विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक कामकाज के किसी भी तरीके से व्यवधान डालना
 - (ञ) अध्यादेश xv-सी के अनुसार रैगिंग का निषेध।
4. अनुशासन के रखरखाव से संबंधित उसका / उसकी शक्तियों की व्यापकता के पक्षपात का बिना और अनुशासन को बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई करना जो उसे उचित लग सकता है।

कुलपति, अपनी शक्तियों के प्रयोग में आदेश या किसी भी छात्र या छात्रों को निर्देशित कर सकते हैं

- (क) निष्कासित किया जाना; या
 - (ख) एक घोषित अवधि के लिए निष्कासित किया जा सकता है: या
 - (ग) एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, एक कॉलेज, विभाग या विश्वविद्यालय के संस्थान में अध्ययन के कार्यक्रमों या कार्यक्रमों में भर्ती नहीं करना; या
 - (घ) निर्दिष्ट रु.राशि के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है; या
 - (ङ.) एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज या विभागीय परीक्षा लेने से वंचित किया जा सकता है; या परीक्षा में संबंधित छात्र या छात्रा का परिणाम जिसमें वह या वे उपस्थित हुए हैं, रद्द किया जा सकता है।
5. संबंधित विभागों में संस्थान, हॉल और शिक्षण। वे अपने कॉलेजों, संस्थानों या विभागों में ऐसे शिक्षकों के माध्यम से उनके अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं या उन्हें इन उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं।
6. उपकुलपति और प्रॉक्टर की शक्तियों पर पूर्वग्रह के बिना पूर्वोक्त रूप से अनुशासन और उचित आचरण के विस्तृत नियमों को तैयार किया जाएगा। इन नियमों को जहां आवश्यक हो, इस विश्वविद्यालय में कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, हॉल के प्रमुखों, संकायों के डीन और शिक्षण विभागों के प्रमुखों द्वारा लागू किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र से इन नियमों की एक प्रति प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी कि प्रवेश पर वह कुलपति और विश्वविद्यालय के कई प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में खुद को प्रस्तुत करता है, जो अनुशासन का पालन करने के लिए प्राधिकारी के साथ निहित हो सकता है। अधिनियमों के तहत कानून, अध्यादेश और नियम जो विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए हैं।

अध्यादेश XV-सी: रैगिंग के लिए निषेध और सजा

1. कॉलेज/ विभाग या संस्थान और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के कि किसी भी हिस्से के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन के परिसर के भीतर किसी भी रूप में रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
2. रैगिंग के किसी भी व्यक्ति या सामूहिक कृत्य या अभ्यास से घोर अनुशासनहीनता होती है। और उसे इस अध्यादेश के तहत निपटा जाएगा।

3. इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए रैगिंग का अर्थ है किसी भी कार्य, आचरण या अभ्यास से जिसके द्वारा छात्रों की प्रमुख शक्ति या स्थिति को नए सिरे से नामांकित छात्रों या उन छात्रों पर सहन करने के लिए लाया जाता है, जो किसी भी तरह से अन्य छात्रों के साथ कनिष्ठ या हीन समझे जाते हैं; और इसमें निम्नलिखित व्यक्तिगत या सामूहिक कार्य या अभ्यास शामिल हैं:
 - (क) शारीरिक बल का उपयोग करना या शारीरिक हमला या धमकी देना।
 - (ख) महिला छात्रों की स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान का उल्लंघन करना।
 - (ग) अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित छात्रों की स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान का उल्लंघन करना।
 - (घ) छात्रों का उपहास और अवमानना करना और उनके आत्मसम्मान को प्रभावित करना।
 - (ङ) संपूर्ण मौखिक दुर्व्यवहार और आक्रामकता, अश्लील इशारे और अश्लील व्यवहार।
4. कॉलेज के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष या संस्थान के प्रमुख, कॉलेज या विश्वविद्यालय हॉस्टल या हॉल के अधिकारियों को रैगिंग की घटना की किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
5. उपर्युक्त खण्ड में कुछ भी नहीं होने के बावजूद, प्रॉक्टर किसी भी घटना के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, रैगिंग और घटना की प्रकृति में शामिल लोगों की पहचान के बारे में कुलपति को रिपोर्ट कर सकते हैं।
6. प्रॉक्टर रैगिंग के अपराधियों की पहचान और रैगिंग की घटना की प्रकृति को स्थापित करने वाली एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. यदि किसी कॉलेज के प्राचार्य या विभाग के प्रमुख या संस्थान या प्रॉक्टर संतुष्ट हैं कि किसी कारण से इसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, तो इस तरह की पूछताछ करना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए वह उपकुलपति को सलाह दे सकते हैं।
8. जब उपकुलपति संतुष्ट हो जाते हैं कि इस तरह की जांच करना समीचीन नहीं है, तो उसका निर्णय अंतिम होगा।
9. खंड (5) या (6) के तहत एक रिपोर्ट मिलने पर खंड 3(ए) बी और (सी) में वर्णित रैगिंग की घटनाओं की घटना का खुलासा करते हुए खंड 7 के तहत संबंधित प्राधिकरण द्वारा एक निर्धारण प्राप्त होने पर कुलपति किसी निर्दिष्ट वर्षों के लिए किसी छात्र /छात्रा को निष्कासन का आदेश दे सकते हैं।

10. कुलपति रैगिंग आदेश के अन्य मामलों में ऐसे आदेश या निर्देश दे सकते हैं कि किसी भी छात्र या छात्रा को निष्कासित कर दिया जाए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, कालेज में अध्ययन के एक कार्यक्रम में, एक या अधिक वर्षों के लिए विभागीय परीक्षा में प्रवेश न दिया जाए अथवा परीक्षा या परीक्षाओं में संबंधित छात्र या छात्राओं के परिणाम निरस्त कर दिए जाएं।
11. यदि कोई छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर चुका है, दोषी पाया जाता है तो इस अध्यादेश के तहत, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई उपाधि या डिप्लोमा को वापस लेने के लिए कानून 15 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
12. इस अध्यादेश के उद्देश्य से, रैगिंग के लिए किसी भी कृत्य के माध्यम से, रैगिंग के अभ्यास या उकसावे के लिए भी रैगिंग की सजा दी जाएगी।
13. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर सभी संस्थानों को इस अध्यादेश के तहत जारी आदेशों / निर्देशों को पूरा करने और अध्यादेश के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए कुलपति को सहायता देने के लिए बाध्य किया जाएगा।

अध्यादेश XV-सी के अनुसरण में कुलपति का आदेश: जहां इस अध्यादेश के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा कुलपति को रैगिंग करने की घटना की सूचना कुलपति को दी जाती है, वह रैगिंग में शामिल छात्रों को आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित कर सकते हैं। आदेश में निर्दिष्ट है। रैगिंग की रिपोर्टों में शामिल गैर-छात्रों को भारत के आपराधिक कानून के तहत आगे बढ़ाया जाएगा; उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में नामांकन प्राप्त करने से पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। जिन छात्रों के खिलाफ इस टिप्पणी के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है, उन्हें प्राकृतिक न्याय के नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ बाद में निर्णायक सुनवाई दी जाएगी।

कार्य xv-डी / कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (कानून और न्याय का मंत्रालय) कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए और आकस्मिक चिकित्सा से जुड़े मामलों के लिए एक अधिनियम प्रदान करता है।

यौन उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत महिलाओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और उनके जीवन के अधिकार और सविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। किसी ऐसे पेशे या व्यवसाय पर ले जाना जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है। जबकि यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और सम्मान के साथ काम करने का अधिकार अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों और उन्मूलन के रूप में सार्वभौमिक मानवाधिकार है। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव जिन्हें भारत के शासन द्वारा 25 जून 1993 को प्रमाणित किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन के खिलाफ सुरक्षा के लिए उक्त कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए प्रावधान करना समीचीन है। जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट [http://www.shebex.nic.in/assets/site/image/sexualHarassment-of-workplace - Act.pdf](http://www.shebex.nic.in/assets/site/image/sexualHarassment-of-workplace-Act.pdf),

अनुबंध

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण

आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप

सरकार _____

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक और आर्थिक वर्गों (ईडब्ल्यूएस) द्वारा उत्पादित किए जाने वाले प्रमाण पत्र

दिनांक _____

प्रमाण पत्र संख्या _____

वर्ष के लिए मान्य _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी _____

की बेटा/बेटी/पत्नी _____ स्थायी निवासी _____

ग्राम /गली _____ डाक घर _____ जिला _____

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में _____ पिन कोड _____

जिसकी तस्वीर नीचे दी गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का/ की है। उसके/उसकी परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है (केवल आठ लाख रुपये) वित्तीय वर्ष _____ उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है।

1. 5 एकड़ कृषि भूमि और ऊपर
2. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
3. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आईआर आवासीय भूखंड

IV अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड

श्री/श्रीमती / कुमारी _____ के अंतर्गत आता/आती है।

जिस जाति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

(केंद्रीय सूची)

मुहर के साथ हस्ताक्षर _____

कार्यालय _____

नाम _____

पद _____

नवीनतम पासपोर्ट फोटो

नोट 1: आय के सभी स्रोतों अर्थात वेतना, कृषि व्यवसाय आदि को कवर किया गया।

नोट 2: इस उद्देश्य के लिए परिवार में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ अपने माता - पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहनों के साथ-साथ अपने जीवन साथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी शामिल करना चाहता है।

नोट 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या सम्पत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय एक परिवार द्वारा अलग स्थान या अलग जगह और शहरों में रखी गई सम्पत्ति को क्लब किया गया है।

परिशिष्ट

ओबीसी प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... बेटा/बेटी..... गाँव / शहर..... जिला/प्रभागराज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश के अन्तर्गत आता है.....समुदाय जिसे पिछड़ा के रूप में मान्यता दी जाती है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के संकल्प संख्यादिनांक श्री श्रीमती/ कुमारी..... और उसका / उसके परिवार का आमतौर पर निवास होता है मैं जिला/ प्रभाग का..... राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश। यह भी प्रमाणित करना है कि वह व्यक्ति वर्गों, क्रीमीलेयर से संबंधित नहीं है, जो अनुसूची 3 के कॉलम में भारत के शासन, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है।

ओ एम क्रमांक. 36012/22/93

ईस्ट (एस सी टी) दिनांक 8.9.93

जिला मजिस्ट्रेट

उपायुक्त आदि

दिनांक

सील

प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें उन व्यक्ति की जाति का उल्लेख ओबीसी के रूप में किया गया है। जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है

शैक्षिक छूट प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रारूप

शैक्षिक छूट प्रमाण पत्र

प्रापर लेटर हेड पर

पूरा पता, फोन नम्बर और ईमेल।

कार्यालय.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान श्रीमती.....पुत्र/पुत्री हैं.....संख्या
.....निवास उपरोक्त नामित अधिकारी, जेसीओ अथवा

प्राथमिकता I सैनिक कार्रवाई में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाएं / बच्चें।

प्राथमिकता II सैनिक कार्रवाई में निःशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चें। तथा सैनिक सेवा के लिए अनिवार्य क्षमता न होने के कारण सेवा से निकाले गए कार्मिकों के बच्चें।

प्राथमिकता III उन रक्षा कार्मिकों की विधवाओं / बच्चें जो सेवा में रहने के दौरान मारे गए।

प्राथमिकता IV सेवा में रहने दौरान अक्षम हुए रक्षा कार्मिक और सैन्य सेवा से निकाले गए कार्मिकों के बच्चें।

प्राथमिकता V (क) निम्नलिखित शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस कार्मिकों सहित सेवारत/सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चें।

- I. परमवीर चक्र
- II. अशोक चक्र
- III सर्वोत्तम युद्ध पदक
- IV महावीर चक्र
- V कीर्ति चक्र
- VI उत्तमयुद्ध सेवा पदक
- VII वीर चक्र
- VIII शौर्य चक्र

IX युद्ध सेवा पदक

X सेना, नौ सेना, वायु सेना पदक

XI उल्लेख.इन.प्रेषण

प्राथमिकता V (ख) उन पुलिस कार्मियों के बच्चें जो वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक प्राप्त करते हैं।

प्राथमिकता-VI पूर्व सैनिकों के बच्चे।

प्राथमिकता. VII निम्नलिखित की पत्नियाँ:

I सैनिक कार्रवाई में अक्षम होने के कारण सेवा से बाहर निकाले गए रक्षा कार्मिक।

II सेवा के दौरान अक्षम/दिव्यांग होने के कारण सैनिक सेवा से निकाले गये कार्मिक।

III शौर्य पुरस्कार पाने वाले पूर्व सैनिक और सेवारत कर्मी।।

प्राथमिकता.VIII सेवारत कार्मिकों के बच्चें।

प्राथमिकता. X सेवारत कार्मिकों की पत्नियाँ।

सुश्री/ श्रीमती-----पुत्र/पुत्री पत्नी----- अधिकारी/ जेसीओ अथवा प्राथमिकता के तहत सशस्त्र बल श्रेणी के खिलाफ दिल्ली विश्व विद्यालय में प्रवेश के लिए शैक्षिक रियायत के पात्र हैं।

संख्या

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम के साथ मुहर सील करें।

प्रवेश वापसी पर शुल्क वापसी के नियम

वापसी की मांग करने का कारण	शुल्क की राशि वापस की जायेगी
1. जब कोई छात्र प्रवेश वापसी के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि तक आवेदन करता है।	1000 की कटौती के बाद पूर्ण शुल्क और पूर्ण परीक्षा शुल्क।
2. जब कॉलेज, विश्वविद्यालय, कमीशन की ओर से जाने अनजाने में चूकत्रुटि हो जाए।/	पूर्ण शुल्क और पूर्ण परीक्षा शुल्क

<p>3. गलतनकली प्रमाण पत्र भ्रामक पैदा करते / को प्रस्तुत करते समय छात्र द्वारा हैं। तथ्यों कोई भी त्रुटि या गलती होती है तो प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।</p> <p>4. जब छात्र सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स का अवेदन करता है तो प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले ही प्रवेश को वापस ले सकता है /</p> <p>5. छात्र को प्रवेश के अंतिम तिथि के एक महीने के अंदर उसके प्रवेश की समय सीमा समाप्त हो जाती है।</p>	<p>कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।</p> <p>1000 की कटौती के बाद पूर्ण शुल्क और पूर्ण परीक्षा शुल्क।</p> <p>परीक्षा शुल्क उसके मातापिता को सहित पूरा / वापस कर दिया जाए। शुल्क</p>
--	---

आंतरिक शिकायत समिति

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (रोकथाम, निषेध और उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न का निवारण) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया गया है जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों को बाध्य कर रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर हैंडबुक" भी प्रकाशित किया है, इस पुस्तक में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इसकी रोकथाम, निषेध और वैश्विक मानकों और अच्छी प्रथाओं के साथ निवारण जैसे मुद्दों का वर्णन है। इस संबंध में निम्नलिखित 5 जुलाई 2016 को यूजीसी के पत्र न.एफ. 91 /9/2015 (जीएस / एमएचआरडी) के संदर्भ में, कॉलेज ने उपरोक्त विनियमों के तहत एक लिखित आदेश के माध्यम से एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है।

आंतरिक शिकायत समिति एक समुदाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें छात्र, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी हिंसा, उत्पीड़न, शोषण और धमकी से मुक्त वातावरण में एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के हिंसा, यौन उत्पीड़न और भेदभाव शामिल हैं।

वर्तमान में आंतरिक शिकायत समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. डॉ. सुचेता चतुर्वेदी | संयोजक |
| 2. डॉ. रंजीत कौर | सदस्य |
| 3. डॉ. सुधा गुप्ता | सदस्य |
| 4. डॉ. बुलबुल दास | एक्सटर्नल मेम्बर |
| 5. श्री मनोज कुमार | सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स |
| 6. श्री नरेन्द्र | असिस्टेंट एडमिन |





Department of Home Science at a Glimpse (Field Visits)



Department of Home Science at a Glimpse (Workshops/Seminars)










Campus Security



**CCTV CAMERA OUTSIDE
MAIN GATE**




**CCTV CAMERA ON THE WALL OF
GUARD ROOM**



**CCTV CAMERA IN THE
LOBBY**



**CCTV CAMERA OUTSIDE
BANK**



लक्ष्मीबाई कॉलेज

अशोक विहार फेस-IIIए दिल्ली-110052

ई-मेल infor@lb.du.ac.in <https://lakshmbaicollege.in/>

संपर्क- 011-27308598